राजस्थान विधान सभा

द्वादसम् बैठक, गुरुवार, दिनांक २५ अक्टूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्याह्न पूर्व ११-२० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७१

सन् ५१-५२ से राजस्थान में अब तक कुओं के बोरिंग गहरे कराने सम्बन्धी आय-व्यय

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Agriculture be pleased to state:—

(a) What are the Receipts and Expenditure for each year from 1951-52 to date under the Blasting and Boring and Deepening of wells Scheme ?

(b) What is total amount of Capital Investment made till 31-3-1956 in respect of this Scheme ?

(c) What is the number of wells worked upon under this Scheme for each of the Years since 1951-52 ?

(d) What steps does the Government take to improve the state of affairs ?

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री, कृषि विभाग)—

(a)	*Scheme*	*Year.*	*Receipts*	*Expenditure*
	Blasting	51-52	30,406-12-6	11,280-9-9
	Boring		800-0-0	
	Blasting	52-53	29,803-3-0	1,45,233-0-0
	Boring		24,944-11-0	
	Blasting	53-54	32,062-6-9	79,098-1-6
	Boring		14,432-0-0	
	Blasting	54-55	1,36,244-6-9	1,86,036-2-0
	Boring		17,504-9-0	
	Blasting	55-56	1,35,540-0-0	1,52,477-3-0
	Boring		11,624-11-3	

(b) Capital investment 1951-52 Rs. 3,34,077/-

(चर्चा)

श्री अध्यक्ष—कॉपी दे दीजियेगा । It is very long.

(श्री हरिकृष्ण व्यास से) कॉपी ले लीजियेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कॉपी दे देनी चाहिये उनको । अगर अभी भी कॉपी दे दें तो लेटर ओन में सप्लीमेन्ट्री करने को तैयार हूं । तो इसको पेस्टपोन कर दें और दूसरे क्वेश्चन के बाद में मैं सप्लीमेन्ट्री इसके ऊपर कर लूंगा ।

श्री खेतसिंह—यह कॉपी अभी पहुंच रही है आपके पास एक सेकन्ड में ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसे देखना तो पड़ेगा ।

(शेष के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७२

खाने के तेलों की बिक्री-कर से मुक्ति होने पर भी मूंगफली के तेल पर बिक्री-कर

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या खाने के तेलों को बिक्री कर से मुक्त रखा गया है ?

(२) क्या यह सही है कि मूंगफली के तेल पर बिक्री-कर लगाया जा रहा है ?

(३) यदि हां, तो किस २ जिले में और क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार की इस कार्यवाही के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी पेश हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) सभी जिलों में ।

(४) जी हां ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मूंगफली का तेल खाने के तेलों में शामिल है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डिक्शनरी में एडीबल ऑइल के जो हिन्दी में मायने दिये हैं उनमें मूंगफली का तेल भी लिखा हुआ है ।

(घंटी)

Page No 3

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि हाई कोर्ट में जो रिट पेश किया गया है उसमें इस बात का सर्टीफिकेट पेश किया गया है कि मूंगफली का तेल खाने के काम में आता है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष--और पूछिये ।

श्री जगतसिंह झाला--क्या चित्तौड़ जिले में कोई रिट पेश हुई है इसके खिलाफ ?

श्री अध्यक्ष--यह क्या इन्फोर्मेशन है, क्वेश्चन के बारे में पूछिये ।

प्रश्न संख्या ७३

श्री शम्भूसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७४

ग्रेन प्रोक्योरमेंट सेन्टर खाचरियावास, तहसील दांतारामगढ़ में नियुक्त लेबर कान्ट्रेक्टर्स एवं उनकी रकम का भुगतान

श्री भैरूंसिंह (१६)--क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) ग्रेन प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर खाचरियावास, तहसील दांतारामगढ में सन् १९५१-५२ में किन २ व्यक्तियों को लेबर कान्ट्रेक्टर्स मुकर्रर किया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि इन लेबर कान्ट्रेक्टर्स को अभी तक इस कान्ट्रेक्ट का पेमेन्ट नहीं मिला है और इन कान्ट्रेक्टर्स ने लगभग १०० आवेदन-पत्र उनके रुपयों के लिये संबंधित अधिकारियों को दिये हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इस संबंध में उस क्षेत्र के विधान सभाई सदस्य ने भी १६-७-५३ को एक पत्र द्वारा सचिव, नागरिक रसद विभाग द्वारा, राजस्थान, को जानकारी कराई थी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या २ कार्यवाही की गई है ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री):—(क) जहां तक रेकार्ड से मालूम होता है प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर खाचरियावास, तहसील दांतारामगढ में सन् १९५१-५२ में श्री सोनपाल जैन व श्री महावक्ष को लेबर कान्ट्रेक्टर मुकर्रर किया था ।

(ख) हां, उनको पेमेन्ट नहीं मिला है । आवेदन-पत्र की बात सही नहीं है ।

(ग) नहीं, केवल एक पत्र १६-७-५५ को प्राप्त हुआ । ठीक इसके पश्चात् वह पत्र डाइरेक्टर, रसद विभाग, के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया । बिलों के चुकारे की व्यवस्था अब तक जारी है । एकाउन्ट्स की प्रक्रियाओं की पूर्ति के लिये पत्र-व्यवहार जिलाधीश, सीकर, शासकीय अधिकारी, रसद विभाग एवं वित्त विभाग के दर्मियान चल रहा है ।

श्री भैरू'सिंह--सन् १९५१ से लेकर सन् १९५६ तक यह पेमेन्ट किन कारणों से नहीं हो सका।

श्री खेतसिंह--मैंने तो (ग) के उत्तर में निवेदन किया।

श्री भैरू'सिंह--उसने कारण कोई नहीं बताये हैं, केवल इतना ही बताया था कि कलेक्टर से रसद विभाग में और रसद विभाग से दूसरी जगह गया हुआ है। क्या सरकार ६ वर्ष का समय एक लेबर कान्ट्रेक्टर को पेमेन्ट किये जाने के लिये पर्याप्त नहीं समझती है ?

श्री अध्यक्ष--पर्याप्त समझती है कितना टाइम लगा वह बता दिया।

श्री भैरू'सिंह--क्यों लगा ?

श्री अध्यक्ष--क्यों लगा, यह दूसरी बात है। पर्याप्त समझती है या नहीं ?

This is not a question of information.

श्री भैरू'सिंह--क्यों लगा, यह बता सकती है सरकार ?

श्री खेतसिंह--मैंने आपसे निवेदन किया कि एकाउन्ट्स आफिसर शासकीय अधिकारी, रसद विभाग, व जिलाधीश के दर्म्यान इन तीनों के शामिल होने में और कागजात की पूर्ति होने में इतना समय लग गया और अब जल्दी ही उसका पेमेन्ट कर दिया जायगा।

श्री भैरू'सिंह--क्या यह सही है कि यह कागजात अभी तक फाइनेलाइज नहीं हुए हैं ?

श्री खेतसिंह--अब जल्दी से जल्दी पेमेन्ट कर दिया जायगा।

श्री भैरू'सिंह--क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि पेमेन्ट कितना देना है ?

श्री अध्यक्ष--No Sarkar. सरकार क्यों करती ?

श्री भैरू'सिंह--कितना देना है, माननीय अध्यक्ष, वह अभी तक तय नहीं किया है कि उस आदमी को रुपया कितना देना है, तो फाइनेलाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि रुपया कितना देना है ?

श्री अध्यक्ष--कितना पैसा देना है, यह इसके अंग की बात नहीं है।

श्री भैरू'सिंह--नहीं, यह तय कर लिया है या नहीं ?

श्री खेतसिंह--कार्यवाही चल रही है। जो वाजिब होगा उतना दिया जायगा।

श्री भैरू'सिंह--कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री खेतसिंह--मैंने निवेदन किया है कि शीघ्रातिशीघ्र।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि इन कागजात का किसी भी विभाग में पता नहीं चलता कि सोयाल वगैरह को पेमेन्ट दिया जा चुका है या नहीं ?

श्री खेतसिंह--यह सही नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा है वह सही है ।

श्री भैरूंसिंह--यह कागजात इस समय किस विभाग के जेर तहकीकात व जेर तजवीज है ?

श्री खेतसिंह--अभी यह वित्त विभाग के पास में है ।

श्री भैरूंसिंह--वित्त विभाग में वे किस कारण से पड़े हुए हैं ।

श्री खेतसिंह--कार्यवाही हेतु पड़े हुए हैं । (हंसी) ।

श्री भैरूंसिंह--कितने दिनों से पड़े हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

श्री खेतसिंह--तारीख मेरे पास नहीं है ?

श्री भैरूंसिंह--अध्यक्ष महोदय, ६-६ वर्षों तक एक आदमी का पेमेन्ट नहीं होता है और सरकार कहती है कि कार्यवाही कर रही है ।

श्री अध्यक्ष--It is a fact that the papers are lying under red tapism. From which date and to which date it is.........

श्री भैरूंसिंह--माननीय अध्यक्ष, मैं यह पूछना चाहता हूं कि १६-७-५५ को उस क्षेत्र के विधान सभा के एक सदस्य ने रसद विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा, उसके बाद में किस विभाग में किस तारीख से क्या २ कार्यवाही की गई, कम से कम यह तो उन्हें बताना चाहिये । बाकी यह बात कई दिनों से चल रही है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री खेतसिंह--जिस तारीख से पत्र प्राप्त हुआ उसके बाद में तेजी की गई है और कार्यवाही चल रही है और जल्दी ही पेमेन्ट हो जायगा ।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि इस पत्र के प्राप्त होने से पहले ही सरकार इस निर्णय पर पहुंच चुकी थी कि अमुक कॉन्ट्रैक्टर को इतना रुपया देना है । उसके बाद में भी इतना समय क्यों लगा ?

श्री खेतसिंह--इसकी जानकारी अभी मेरे पास में नहीं है ।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि उस पत्र को संबंधित नागरिक रसद विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि १५ दिन के अन्दर पेमेन्ट हो जायगा ।

श्री खेतसिंह--यह तो आप मुझ से अधिक जानते हैं क्योंकि वह आश्वासन आप लेकर आये होंगे । इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

Page No 6

श्री भैरूंसिंह—इसकी कोई सूचना नहीं है, यह कोई जवाब नहीं है। यह रिलिवेन्ट है, सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन का इससे संबंध है।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, वे प्रार्थना-पत्र लेकर गये और आश्वासन लेकर आये उसका मुझे क्या मालूम हो सकता है कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। मैंने कह दिया है कि कार्यवाही चल रही है और उसमें जल्दी से जल्दी पेमेन्ट कर दिया जायगा। यह भी मैंने बता दिया है कि वे कागज़ात फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के पास हैं।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि १६-७-५५ के बाद से कागजात गायब हो गये और डेढ़ वर्ष के बाद दुबारा कहने पर कागजात बरामद हुए हैं।

श्री खेतसिंह—यह सही नहीं है कि कागजात गायब हो गये। कार्यवाही चल रही है और जल्दी ही इसका निर्णय कर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ७५

जनवरी १९५६ के पश्चात् सहकारी समितियों के एम. सी. एल. नियुक्ति होने के आवेदन-पत्र एवं उन पर निर्णय

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर जिले की किन सहकारी समितियों के एम. सी. एल. के मुकर्रर होने के आवेदन-पत्र १ जनवरी, १९५६, के बाद राज्य सरकार के समक्ष पेश हुए ?

(ख) किन २ सहकारी समितियों के एम. सी. एल. मुकर्रर होने के मामले अभी तक सरकार के समक्ष कब से विचाराधीन हैं ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) किसी भी सहकारी समिति के एम. सी. एल. का मामला विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ७६

वन विभाग द्वारा कुछ वन उत्पादकों के ठेके एवं १९५५ से १९५७ में उदयपुर व चित्तौड़ में ठेकों के नियमों के उल्लंघन

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) वन विभाग द्वारा वन की किस २ उपज का ठेका दिया जाता है और ठेका दिये जाने के संबंध में प्रत्येक वस्तु के लिये क्या २ नियम हैं उनकी एक २ प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

Page No 7

[श्री भैरूंसिंह]

(ख) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर और चितौडगढ़ में सन् ५५-५६ व ५६-५७ में ऐसे ठेकों में नियमों का उल्लघन किया गया है, यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कत्था और गूंद का ठेका किन २ व्यक्तियों को किस आधार पर दिया गया है ?

(ग) क्या इन ठेकों के दिये जाने का जनता ने विरोध किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(क) वन विभाग द्वारा निम्न वन उपज का ठेका दिया जाता है:—

१. लकड़ी जिसमें इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कोयला बनाने की लकड़ी शामिल है।

२. बांस।

३. कत्था बनाने के लिये खेर।

४. आंवल छाल।

५. अन्य छोटी पैदावार जिसमें पत्ता तेंदू, गोंद, शहद, व मोम, लाख, मूसली, महुआ फूल व फल, आंवल, अरीठा, बहेडा इत्यादि शामिल हैं।

६. घास जिसमें चराई शामिल है।

(क) वन विभाग के ठेके नीलाम करने के नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं, उदयपुर व चित्तौडगढ डिविजनों में सन् १९५५-५६ और १९५६-५७ में कत्थे व गोंद के ठेके जिन जिन व्यक्तियों को दिये गये उनकी सूची संलग्न है। ठेके नीलाम में सबसे ऊंची बोली वाले ठेकेदार या स्थायी सहकारी समिति को तीन वर्ष की औसत आय पर दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट संख्या ३ देखिये)

(ग) जनता द्वारा किसी प्रकार का विरोध किये जाने की सूचना इस विभाग को नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि इस ठेके की सूचना सरकार द्वारा राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित नहीं कराई गई थी?

श्री खेतसिंह—इन ठेकों की सूचना अखबारों में और कई जरियों से दे दी गई थी। राज-पत्र में दी गई या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि उदयपुर में कत्थे का ठेका देने के लिये सूचना राजस्थान के किसी भी अखबार में कभी प्रकाशित नहीं कराई गई थी ?

श्री खेतसिंह—कौन से जिले के मुतालिक पूछ रहे हैं ?

(विराम)

Page No 8

[श्री खेतसिंह]

नवजीवन अखबार में दी, इसकी सूचना मेरे पास है और अखबारों में दी हो तो उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरू सिंह--क्या यह सही है कि नवजीवन अखबार उदयपुर में सब अखबारों से कम बिकता है और उसमें जो विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई वह बिलकुल अपर्याप्त समझी गई ?

श्री खेतसिंह--मैं निवेदन करूं कि गजट में भी सूचना प्रकाशित हो चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह नीलाम कब हुआ और कितने लोगों ने बोली लगाई ?

श्री खेतसिंह—यह तो आप अलग से प्रश्न पूछते तो मैं उसकी सूचना प्राप्त करके दे सकता था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पिछले वर्ष के ठेकेदार को ही उन्हीं टर्म्स पर कन्टीन्युएशन में यह ठेका दे दिया गया और नीलाम की कार्यवाही का कोई उपयोग नहीं किया गया ?

श्री खेतसिंह--अगर इसके लिये कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दें तो मैं उसकी छानबीन करके सूचना दे सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--स्पेसिफिकेशन का प्रश्न चल रहा है और उसी सिलसिले में मैं पूछ रहा हूं कि उदयपुर में इस साल कत्थे के ठेके के सिलसिले में, क्या यह सही है कि नीलाम की कार्यवाही का कोई उपयोग नहीं किया गया बल्कि पिछले ठेकेदार को ही उन्हीं शर्तों पर आगे चालू रखने का आदेश दे दिया ?

श्री खेतसिंह—इसकी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास–अभी उत्तर दिया गया कि कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया, तो मैं पूछता हूं कि उस उत्तर को सेंक्टिटी की क्या स्थिति है ? स्पेसिफिक क्वेश्चन तो यह है कि नीलाम पब्लिक ओक्शन के जरिये किया गया या दूसरे तरीके से किया गया ? मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले साल के ठेकेदार को कन्टीन्यु किया गया या नीलाम से यह ठेका दिया गया ?

श्री खेतसिंह—स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा नहीं है। जनरल क्वेश्चन पूछा और उसी का मने उत्तर दिया है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं। जहां तक जनरल बात का सम्बन्ध है नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। कोओपरेटिव सोसाइटीज को तो तीन साल का दिया गया है।

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि उस जिले के कथोडियों ने वन मंत्री महोदय को इस बात की शिकायत की थी कि कत्थे के ठेके में अनियमितता बरती जाकर पहले वाले ठेकेदार को ही ठेका दे दिया गया है ?

श्री खेतसिंह–अगर आप प्रश्न कत्थे का ही पूछते तो मैं सारी इन्फार्मेशन इस सम्बन्ध की लाता और उसका उत्तर देता। सवाल आपने जनरल पूछा है और स्पेसिफिकली कत्थे पर नहीं पूछा है।

श्री भैरूंसिंह—आपने तो जांच कराने के बाद ही तो कहा होगा कि कोई अनियमितता नहीं बरती गई। उसमें सारी चीजें आ जाती हैं; कत्था, गोंद, लकडी। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कत्थे के सम्बन्ध में कोई इरेंगुलरिटी हुई या नहीं ?

श्री खेतसिंह—मैंने यह निवेदन किया कि कोई इरेंगुलेरिटी नहीं हुई हैं। उस ठेकेदार को क्यों किस रीजन से दिया गया, इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। अगर आप खास तौर से इस पर पूछते तो मैं उत्तर देता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रश्न के भाग (ख) की ओर ध्यान दीजिये। सन् ५५-५६ व ५६-५७ में जिला उदयपुर और चितौडगढ में कत्थे का ठेका किन किन व्यक्तियों को किस किस आधार पर दिया गया ? क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उदयपुर में साल ५५-५६ व ५६-५७ में कत्थे का ठेका किस किस व्यक्ति को दिया गया और किस किस आधार पर दिया गया ? That is a specific question.

श्री खेतसिंह—कत्थे के तीन ठेके हुए थे ? कमरुद्दीन बोहरा, उदयपुर—इसको झाडोल रेन्ज का ठेका दिया गया। He was the highest bidder in general auction. दूसरा ठेका है गुलाम अली अब्बास अली बोहरा, उदयपुर पारसोला रेन्ज, he was also the highest bidder in general auction. तीसरा दिया है जीवन अली बोहरा, उदयपुर।

एक माननीय सदस्य—हां, जीवन अली बोहरा।

श्री खेतसिंह—श्री जीवन अली बोहरा। इसको दिया था, खोलिया रेन्ज, उदयपुर। The contract was auctioned in 1953-54 in Rs. 24,000/- but as the contractor could not work in that area in the year 1953-54 he was allowed to work in 1955-56 on payment of Rs. 30,000/-

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस कान्ट्रेक्ट के सिलसिले में पब्लिक ओक्शन में क्या क्या बोलियां आई थीं ?

श्री खेतसिंह—इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस ऑक्शन की कार्यवाही रोक दी गई थी; it was stayed by the Government order?

श्री खेतसिंह—इसकी कार्यवाही रोकी जाने की मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कार्यवाही रोकने के बाद उक्त ठेकेदार के रिप्रेजेन्टेशन पर बगैर ऑक्शन के उसी को पिछले वर्ष के कन्टीन्युएशन में वापिस काम करने के लिये ठेका दे दिया गया था ?

श्री खेतसिंह—इसका मैंने आपको उत्तर दे दिया है। पिछले वक्त २४ हजार में यह ठेका नीलाम हुआ था, उसको काम न कर सकने के कारण ३० हजार में वापिस दिया गया। वह इसीलिये दिया गया था कि वह हाइएस्ट बिडर था और काम नहीं कर सका था। एप्लीकेशन दी, उस पर कार्यवाही हुई।

Page No 10

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सरकार के ध्यान में है कि इस सिलसिले में सम्बन्धित लोगों के साथ दूसरे लोगों ने जीप का सौदा किया ?

श्री खेतसिंह—यह सरकार के ध्यान में नहीं है, यह एक मनगढ़न्त बात है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार जांच करायेगी कि वह जीप किसकी थी, किसने रजिस्ट्रेशन कराया, कब खरीदी गई और मिनिस्टर महोदय की आज्ञा हो चुकी उसको शाया किया गया इर्रेगुलेरिटी के साथ ?

श्री खेतसिंह—मेरे ध्यान में कतई नहीं कि जीप की खरीद हुई। लिखित में आप देंगे तो जांच करा ली जावेगी।

श्री भैरूंसिंह—सरकार इस निर्णय पर कैसे पहुंची कि उक्त ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया ?

श्री खेतसिंह—कोई काम नहीं किया, यह मैंने नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि वह पूरा काम नहीं कर सका था। वह हाइएस्ट बिडर था इसलिये उसकी एप्लीकेशन पर उसको ३० हजार रुपया उससे लेकर उक्त ठेका दे दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उस वर्ष में काम करने के बारे में कोई रोक थाम नहीं की गई थी सरकार के द्वारा और दूसरों के द्वारा और न उस वर्ष में उसने कोई शिकायत की थी ?

श्री खेतसिंह—उसको ठेका तीन महीने के बाद में मिला था इसलिये वह काम नहीं कर सकता था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ठेके का निर्णय होने के बाद इस तीन महीने की अवधि के सिलसिले में आगे कन्टोन्युएशन की फैसीलीटी फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने उस वक्त में दे दी थी ?

श्री खेतसिंह—उस वक्त में दी या बाद में दी, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है............

श्री भैरूंसिंह—क्या मंत्री महोदय............

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट इयर कोई ऑर्डर नहीं हुआ था।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order please ! Yes, Shri Bhairon Singh

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि इस ठेके को कन्टीन्यु करने के पहले उक्त ठेकेदार की कोई एप्लीकेशन ठेके की मयाद पूरी न होने के पहले नहीं आयी थी, मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया हूं ?

श्री खेतसिंह—यह सही नहीं है। ठेका पूरा होने से २१ दिन पहले ही एप्लीकेशन कर दी थी कि काम पूरा नहीं कर पाया।

(हंसी)

श्री भैरूसिंह—क्या पहले की मयाद खत्म होने से २१ दिन पूर्व ही सूचना दिये जाने की अखबार और राजपत्र में सूचना जारी हो चुकी थी ?

श्री खेतसिंह—जी हां, यह हो चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह ठेके की मयाद कब समाप्त होती थी ?

श्री खेतसिंह—ठेके की मयाद कब समाप्त होती थी, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह गलत जवाब दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—How can you expect to remember all.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He has given contradictory replies, sir.

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order please!

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सवाल से पता लग जावेगा ....

श्री अध्यक्ष—No, no.

प्रश्न संख्या ७७

ग्राम बांदर सींधरी (तहसील किशनगढ़) में १९५१-५२ में कम्प्रेशर्स हेतु कृषि विभाग में जमा कराये गये रुपयों की वापसी

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम बांदर सींधरी, तहसील किशनगढ़ के किन किन किसानों ने सन् १९५१ और ५२ में कुए खोदने के लिये कम्प्रेशर मशीन के लिये कितने कितने रुपये कृषि विभाग में जमा कराये ?

(२) उक्त किसानों के रुपये अभी तक वापिस क्यों नहीं लौटाये गये ?

श्री खेतसिंह (उप मन्त्री)—(१) निम्नलिखित व्यक्तियों ने अपने कुए खुदवाने के लिये कम्प्रेसर मशीन के वास्ते कृषि विभाग में सन् ५१ और ५२ में रकम जमा कराई :—

१.	श्री मेघराज वैद्य के मारफत	रु० २,७५०
२.	श्री भैरूं कुम्हार के मारफत	३,२९०
३.	श्री बोलू जाट	१५०
४.	श्री मेवा गूजर	१५०
		रु० ६,३४०

(२) चूंकि श्री मेघराज व श्री भैरूं कुम्हार ने इकट्ठा रकम जमा कराई है और इसका उन्होंने कोई विवरण अभी तक नहीं दिया कि इसमें किन किन काश्तकारों की कितनी कितनी रकम है, इसलिये हिसाब तय करने में देरी हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रकम जो जमा हुई है वह अलग अलग किसानों के नाम से जमा हुई है और उसकी रसीदें अलग अलग किसानों के पास मौजूद हैं?

श्री खेतसिंह—मेरे पास जो इन्फोर्मेशन है उसकी मारफत मैंने निवेदन किया कि मेघराज वैद्य और भैरूं कुम्हार ने इकट्ठी जमा कराई थी लेकिन आप फरमाते हैं कि अलग अलग किसानों के पास रसीदें मौजूद हैं, तो मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी ओर से आवेदन पत्र भी पेश किये थे और इसके सम्बन्ध में विधान सभा में जवाब भी दिया गया था कि पेमेन्ट जल्दी से जल्दी कर दिया जायगा?

श्री खेतसिंह—मैंने यह नहीं कहा कि पेमेन्ट नहीं दिया जायगा। बल्कि यह कहा कि देर होने की यह वजह हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने रुपये जमा कराये उनके कुओं पर कम्प्रेशर्स ने कितना कितना काम किया और किस किस के कितने कितने व्यय हुए, इसके बारे में विभाग वालों ने जांच कर ली है?

श्री खेतसिंह—यह अलग प्रश्न है। अलग से पूछेंगे तो जवाब दूंगा।

श्री चांदमल मेहता—आपने फरमाया था कि रुपये तभी मिलेंगे जब जांच हो जायगी। तो सन् ५१-५२ में रुपये जमा कराये थे तो अब तक जांच कर ली या नहीं कि किस किस के कुएं पर कितना कितना काम हुआ और कितने रुपये वापिस देने हैं?

श्री खेतसिंह—मेरे पास इसकी इन्फोर्मेशन नहीं है। मैंने निवेदन किया था कि इन २ ने इकट्ठे रुपये जमा कराये थे।

Page No 13

श्री चांदमल मेहता—आपने दो आदमियों के बारे में कहा कि वैद्य मेघ राज और भैरूं कुम्हार ने रुपये इकट्ठे जमा कराये थे और उनका अलग अलग हिसाब नहीं आया लेकिन यह भी कहा कि कुल ४ ने जमा कराये थे तो जिन्होंने अलग रुपये जमा कराये थे उनका हिसाब नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह—और आदमी डिपार्टमेन्ट के हिसाब से नहीं होने चाहिये। चारों के अलावा औरों के नाम आप देंगे तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—आपने नाम दिये हैं जिनमें मेघराज और भैरूं के बारे में आपने बताया इनके अलावा २ नाम और हैं; क्या यह सही है कि उनके कुओं के बारे में भी जांच नहीं हुई है ?

श्री खेतसिंह—उनकी जांच जल्दी से जल्दी करवाई जायगी।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५१-५२ में रुपये जमा कराये थे और अब तक जांच नहीं करवाई, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री खेतसिंह—देरी जरूर हुई है, इसमें शक नहीं लेकिन अब पेमेन्ट जल्दी ही कराया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सच है कि राज्य कर्मचारियों को कुछ कमीशन नहीं मिला इसलिये जांच नहीं कराई गई ?

श्री खेतसिंह—यह बात आपकी जानकारी में होगी, मेरी जानकारी में तो नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह की जानकारी मन्त्रीजी के ध्यान में लाई गई और आवेदन-पत्र दिये गये कि रुपये जमा कराये लेकिन हिसाब साफ नहीं किया गया ?

श्री खेतसिंह—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या विभाग के पास इस सिलसिले में हिसाब बाकायदा मौजूद है

श्री खेतसिंह—हिसाब मौजूद है तभी तो फिगर्स बताये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि फरवरी ५६ में सरकार की आज्ञानुसार एक अधिकारी ने इसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की कि एक का भी हिसाब नहीं है और उस अधिकारी का नाम श्रीलाल था ?

श्री खेतसिंह—This is not in my knowledge, I cannot say.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार रजिस्टर फिर से बनाने की कार्यवाही की गई ?

श्री खेतसिंह—आप यह सूचना दे रहे हैं, मैं मालूम करूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इसमें गड़बड़ रहने के कारण ऐसे रुपये देने में देरी हुई है ?

Page No 14

श्री अध्यक्ष—Next Question; Shri Bharion Singh.

श्री किशनलाल शाह—एक ही आदमी ने जब रुपये जमा कराये हैं तो उसको वापिस देने में क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—Next Question ! Shri Bhairon Singh.

प्रश्न संख्या ७८

उदयपुर के शराब के थोक फरोश पारसी ठेकेदार से उदयपुर राज्य द्वारा ढाई लाख रुपयों को वसूली के आदेश होने पर भी भूतपूर्व एक्साइज कमिश्नर द्वारा माफी.

श्री भैरूं सिंह—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि उदयपुर के एक शराब के थोक फरोश पारसी ठेकेदार के विरुद्ध ५० मुकद्दमे फेसल होकर भूतपूर्व मेवाड़ गवर्नमेन्ट द्वारा ढाई लाख रुपये उक्त ठेकेदार से वसूल करने की आज्ञा हुई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान के एक्साइज विभाग के भूतपूर्व कमिश्नर ने इन केसेज को रिओपिन करने उक्त ठेकेदार को बरी कर दिया तथा ढाई लाख रुपया माफ कर दिये ?

(ग) यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—(क) उदयपुर के शराब के थोक फरोश पारसी ठेकेदार के विरुद्ध शराब के गोदामों पर आवश्यकतानुसार शराब न पहुंचाने के कारण कुल १,२६,००० रु० वसूल करने की आज्ञा सन् १९४३ में हुई थी और यह उपरोक्त रकम कुल सन् १९४४ में वसूल हो गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि राजस्थान के एक्साइज विभाग के भूतपूर्व कमिश्नर ने उक्त ठेकेदार के मुकद्दमे न तो पुनः खोले और न कोई रुपये माफ किये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरूं सिंह—१ लाख ४३ हजार में से वसूल कितने हुए ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—१,२६,००० रु०।

श्री भैरूं सिंह—वसूली कम होने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—रकम ही १ लाख २६ हजार रु० थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आंकडा प्रस्तुत किया गया, उसका स्टेटमेन्ट कब दिया गया ? तभी या पहले या अभी ?

Page No 15

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया न कि १ लाख २६ हजार रूपये वसूल करने थे जो कर लिये गये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने फरमाया कि इतने रुपयों की अमाउन्ट वसूल हुई; तो क्या यह अमाउन्ट हाल ही में डिर्टमिन की गई या पहले से डिर्टमिन्ड थी ?

श्री अमृतलाल यादव—जिनके केसेज थे उनको देखकर केसेज के माफिक जितनी रकम थी वह ली गई ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ओरिजिनल क्लेम्स पर फिर से विचार करके डिपार्टमेन्ट ने क्लेम रिवाइज किया है और जो रिवाइज्ड क्लेम निकला है उसे क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—इसकी सूची मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ओरिजिनल क्लेम पुराने उदयपुर राज्य के थे वे ज्यादा थे और अभी जो आंकडा बताया गया है वह रिवाइज्ड क्लेम है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अभी बता दिया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि ओरिजिनल क्लेम को रिवाइज किया गया, उसका क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि रिवाइज नहीं किया गया है ।

प्रश्न संख्या ७६

चालू वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने की योग्यता एवं उनके खोलने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) चालू वर्ष में कहां कहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंड खोलने की योजना है ?

(२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने के लिये आधार क्या माना गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) इस साल राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड कहीं भी खोलने की योजना नहीं है ।

(२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने के लिये सामुदायिक योजना प्रशासन द्वारा निर्धारित निम्न योजनायें आधार हैं :—

१. सिंचाई के साधन और वर्षा का निश्चित परिमाण जिससे विशेष प्रयत्न करने पर अच्छे परिणाम निकल सकें।

Page No 16

[श्री रामकिशोर व्यास]

२. क्षेत्र के नजदीक कृषि या प्रसार केन्द्र का होना।

३. ऐसे क्षेत्र का पास होना जहां पहले ही कार्य आरम्भ पर दिया गया हो ताकि वह एक ही शासन सम्बन्धी इकाई में आजावे।

४. क्षेत्र का बहुत पिछडा हुआ होना।

श्री चांदमल मेहता—चालू वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड कहां कहां खोले जा चुके हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—यह प्रश्न नहीं था, लेकिन फिर भी बता देता हूं।

श्री चांदमल मेहता—प्रश्न भेजा गया तब तो यह प्रश्न था।

श्री रामकिशोर व्यास—निम्न स्थानों पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले गये हैं:—

राजाखेडा, किशनगढ, गंगापुर, लक्ष्मणगढ, शिव, ओसियां, खारची, हिन्डोली खानपुर, बागीडोरा, घरियावद, मांडल, हनुमानगढ़।

प्रश्न संख्या ८०

सन् १९५५-५६ में शराब के ठेकेदारों को उधार दी गई धनराशि एवं इसमें नियमों का उल्लंघन

श्री भैरूं सिंह (१६)—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि आबकारी विभाग द्वारा सन् १९५५-५६ में कई शराब के ठेकेदारों को सरकारी रकम उधार दी गई थी? यदि हां, तो कृपया उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(ख) यह रुपये किस २ तारीख को दिये गये और उन पर सरकार की मंजूरी कब २ की गई?

(ग) क्या यह सही है कि कमिश्नर ने बिना स्वीकृति के रकम उधार देने में अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है? यदि हां, तो क्यों और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री अमृतलाल यादव—(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से कई ठेकेदारों को एडवान्स के रूप में काफी रकम दी गई है?

श्री अध्यक्ष—वे इन्कार करते हैं।

श्री भैरू सिंह--उन्होंने उधार के लिये इन्कारी की है इसलिये क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि क्या एडवान्स के रूप में रकम दी गई है ?

श्री अमृतलाल यादव--आपका प्रश्न है कि सन् १९५५-५६ में कई शराब के ठेकेदारों को सरकारी रकम उधार दी गई थी या नहीं; मैंने इसका उत्तर दिया कि नहीं दी गई ।

श्री भैरू सिंह--क्या एडवान्सेज नहीं दिये गये थे ?

श्री अमृतलाल यादव--इस प्रश्न में एडवान्स की बात नहीं है । यदि कोई एडवान्सेज दिये गये हैं तो उनकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सरकारी रकम शराब के ठेकेदारों को एडवान्स के रूप में दी गई या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव--रकम एडवान्स नहीं दी गई ।

श्री अध्यक्ष--एडवान्सेज के बारे में क्लीयर क्वेश्चन पूछा होता। Loans and advances are two different things. The information is not readily available.

श्री अमृतलाल यादव--मैं इन्फोर्मेशन देता हूं कि एडवान्स में रकम नहीं दी गई ।

प्रश्न संख्या ८१

गत उन्हालू फसल में जयपुर जिले में बीज देने को बाढी एवं जयपुर जिले में बाढी से अधिक वसूली

श्री चांदमल मेहता--क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) गत उन्हालू फसल में बीज जयपुर जिले में किस बाढी पर दिया गया ?

(२) जिन किसानों को बीज दिया गया उनसे किस रेट पर बाढी देने का बोण्ड लिखाया गया ?

(३) क्या यह सही है कि बोण्ड में जो बाढी की रेट दर्ज है उससे अधिक जयपुर जिले में वसूल किया जा रहा है ?

(४) किशनगढ सब डिवीजन के कितने प्रार्थना-पत्र बोण्ड से अधिक रेट से बाढी वसूल करने के संबंध में सरकार के पास पेश हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)--(१) गत उन्हालू फसल में बीज जयपुर जिले में ७॥) बाढी प्रति मन के हिसाब से बांटा गया था ।

(२) किसानों से जिनको कि बीज बांटा गया था दर ७॥) प्रति मन के ही बोण्ड भराये गये थे । केवल बान्दर सींधरी (किशनगढ तहसील) के कृषकों से दर ५ सेर प्रति मन के बोण्ड भराये गये थे क्योंकि इनके बोण्ड ७॥) प्रति मन के हुक्म आने से पहले ही भरवा लिये गये थे ।

[श्री खेतसिंह]

(३) बोण्ड में जो बाढी दर्ज है वही वसूल की गई है।

(४) किशनगढ सब डिवीजन के बोण्ड से अधिक रेट से बाढी वसूल करने के कोई प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बांदर सींधरी गांव के किसानों से ५ सेर की बाढी के हिसाब से बोन्ड लिखाया गया और साढ़े सात सेर के हिसाब से वसूल किया जा रहा है?

श्री खेतसिंह—मेरे पास इन्फोर्मेशन है, उसके माफिक यह सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या बांदर सींधरी के किसानों से ५ सेर बाढ़ी के हिसाब से बीज वसूल किया गया है?

श्री खेतसिंह—जी हां, मैंने कहा वैसा ही है, ५ सेर बाढ़ी के हिसाब से दिया गया था और उसी हिसाब से वसूल किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि साढ़े सात सेर के हिसाब से वसूली की जा रही थी, उसके विरोध में कम्प्लेन्ट्स हुई हैं?

श्री खेतसिंह—प्रश्न ४ के उत्तर में मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री नारायण चतुर्वेदी।

प्रश्न संख्या ८२

चाकसू स्थित श्यामपुरा बांध बनाने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—चाक्सू तहसील स्थित श्यामपुरा बांध बनने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही हुई है और यह कार्य कब से चालू है?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—बांध बनाने के सिलसिले में अभी सर्वे की जा रही है। कार्यवाही वर्षा होने के पहले से चालू है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—कार्यवाही शुरू कब की थी?

श्री खेतसिंह—मैंने निवेदन किया कि कार्यवाही बरसात होने के पहले से चालू है और इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—एक साल पहले भी जवाब मिला था कि बरसात होने से पहले से कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

श्री खेतसिंह--अब यह जल्दी ही खत्म कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८३

पिछले १८ महीनों में ग्राम नरवर व उसकी ढानियों में चोरियां एवं डकैतियां तथा उस सम्बन्धी पुलिस कार्यवाहियां

श्री चांदमल मेहता--क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--(१) पिछले १८ महीनों में ग्राम नरवर और उसकी ढानियों में कुल कितनी चोरियां और डकैतियां हुईं तथा पुलिस में कितनी की रिपोर्ट्स दर्ज हुईं व उनमें से कितनी चोरियों व डकैतियों का कितना माल बरामद कराया गया ?

(२) क्या जिन का पता नहीं चला उनकी दुबारा तफतीश की आज्ञा दी गई किन्तु स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)--(क) दो चोरियां तथा एक डकैती। ४ चोरियां तथा १ डकैती की रिपोर्ट की गई जिनमें दो चोरियों की रिपोर्ट झूठी पाई गई। एक चोरी का लगभग २५ रुपये का माल तथा डकैती में साढे आठ सेर चांदी के जेवर, जिनका मूल्य लगभग १२२५ रुपया है, बरामद किये गये।

(ख) जिस चोरी का पता नहीं चल सका उसकी दुबारा तफतीश करने की आज्ञा दी गई तथा स्थानीय पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही भी की गई।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि उस क्षेत्र में ५० से अधिक चोरियां हुई हैं और पुलिस की साजिश से हुई हैं, इसलिये रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास--यह सही नहीं है।

श्री मेहता--क्या यह सही है कि डी. आई. जी. पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और उनको कन्विन्स कर दिया गया कि इतनी बड़ी तादाद में चोरियां हुई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास--चोरियों की जो रिपोर्ट्स हमारे यहां दर्ज हुई वही मैं बता रहा हूं। डी. आई. जी. के और आपके क्या बातें हुईं, यह मैं कैसे बता सकता हूं ?

श्री चांदमल मेहता--सवाल यह है कि पुलिस चोरियां कराती है और दर्ज नहीं होतीं, डी. आई. जी. को कन्विन्स करा दिया कि पुलिस की साजिश से चोरियां हुई हैं। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बात सही है कि नहीं कि पुलिस की साजिश से चोरियां होती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास--मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है कि पुलिस की साजिश से चोरियां होती हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन चोरियों के बारे में कोई रिकवरी नहीं हुई उसके अन्दर पुलिस का हाथ था, यह डी. आई. जी. की जांच से साबित हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डी. आई. जी. के समक्ष किसानों ने जाहिर किया था कि वहां के उप-सरपंच और पुलिस के अधिकारियों का इन चोरियों में हाथ था ?

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकता है, मेरे ध्यान में यह नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—जिन चोरियों का पता नहीं चला वे किस किस की चोरियां हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग सवाल है, अलग से पूछें तो बता सकता हूं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन चोरियों के बारे में दुबारा तफतीश करने के आदेश दिये उनके बारे में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री रामकिशोर व्यास—दुबारा तफतीश की है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि दुबारा जांच में वहां का एक उप-सरपंच दोषी पाया गया और इस बात को दबा दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी, सही नहीं है । अभी आप तो फरमा रहे थे कि कोई कार्यवाही ही नहीं हुई ।

श्री चांदमल मेहता—तफतीश के बाद में चालान नहीं हो तो और भी खराब बात है, डी.आई.जी. दुबारा जांच का हुक्म दें और फिर भी मामिले को दबा दिया जाय तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से चाहूंगा कि क्या वे दुबारा डी. आई. जी. को और जांच के लिये आदेश देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—दुबारा तफतीश करने पर किसी के खिलाफ अगर जुर्म साबित नहीं हो तो चालान कैसे किया जा सकता है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डी. आई. जी. ने जांच के समय माकूल खामियां पाई थीं ?

श्री अध्यक्ष—कन्टेन्ट्स आफ इन्क्वायरी के बारे में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं ? After all it is a police enquiry on the whole.

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, जांच के सिलसिले में डी. आई. जी. को अच्छी तरह से कन्विन्स कर दिया गया था .... ।

श्री रामकिशोर व्यास—इसीलिये दुबारा इन्क्वायरी की ।

श्री अध्यक्ष--एक तरफ तो आप कहते हैं कि पुलिस की साजिश है और दूसरी तरफ कहते हैं कि डी. आई. जी. ने जांच की, यह कैसे ? Is D.I.G. not a part of the Police Department ?

श्री चांदमल मेहता--वहां की लोकल पुलिस का हाथ है।

श्री अध्यक्ष--Then say local police officers. Why blame the whole Police Department ? Next.

प्रश्न संख्या ८४

बीकानेर पशु-चिकित्सालय में बीमार ऊंटों के लिये छप्पर की मांग

श्री प्रभुदयाल--क्या कृषि मंत्री निम्मलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--(१) बीकानेर पशु चिकित्सालय में बीमार ऊंटों के लिये छप्पर बनाने की मांग कब से की जा रही है ?

(२) क्या छप्पर बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों और इतनी देरी के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है और क्या सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री):--(१) यह मांग सन् १९५६ से की जा रही है।

(२) छप्पर बनाने के लिये पी. डब्ल्यू. डी. से तखमीना मांगा गया है। तखमीना आने पर छप्पर बनाने की स्वीकृति दी जायगी। गतवर्ष पशु-चिकित्सालय के आंकडों में पर्याप्त धन की कमी के कारण छप्पर नहीं बन सका।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह।

प्रश्न संख्या ८५

चम्बल डेम का नक्शा बनाने वाले एवं उसका निर्माण करने वाले इन्जीनियर्स एवं उस पर व्यय हुई सम्पूर्ण धन-राशि

महाराज श्री केसरीसिंह--Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(*a*) What is the name of the Engineer who has designed the Chambal Dam?

(*b*) Under whose supervision is the construction of this dam being done?

(*c*) What is the total amount which has been spent till now and how much more is proposed to be spent ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)--(*a*) Two works on the Chambal are being executed at present :

Page No 22

[श्री खेतसिंह]

(1) Gandhi Sagar Dam in Madhya Bhart and

(2) Kotah Barrage in Rajasthan.

Both the works have been designed in collaboration with and with the help of the Central Water and Power Commission, Ministry of Irrigation & Power, Government of India.

(*b*) The Kotah Barrage in Rajasthan is being constructed under the supervision of the Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan. The Superintending Engineer at site is in direct charge.

(*c*) The estimate cost of the Kotah Barrage is Rs. 307 lacs. The expenditure to the end of August, 1956 is Rs. 77.8 lacs.

महाराज श्री केसरीसिंह—By what date this will be completed ?

श्री खेतसिंह—यह अपने शिड्यूल टाइम पर खत्म कर दिया जायगा ।

श्री केसरीसिंह—What is the scheduled time, Sir ?

श्री खेतसिंह—यह अभी मेरे पास इत्तला नहीं है कि कौनसे ईयर में खत्म कर दिया जायगा ।

(हंसी)

श्री केसरीसिंह—क्या फिर कभी इत्तला देने की कृपा करेंगे ?

श्री खेतसिंह—आपने अखबारों में कई जगह पढ़ा होगा ही, फिर भी मैं बता दूंगा ।

श्री केसरीसिंह—आपने अखबार में नहीं पढ़ा है क्या ?

(हंसी)

श्री खेतसिंह—पढ़ा है, पर मुझे पूरी डेट याद नहीं है । अभी बता दूंगा तो आप सैकड़ों सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स करेंगे ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—The scheduled time may be the next General Elections.

प्रश्न संख्या ८६

१९५५ से ५७ तक विभिन्न सहकारी समितियों को सरकार द्वारा दिया गया लोन

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) सन् ५५-५६ व ५६-५७ में किन किन सहकारी समितियों को कब कब और कितना २ लोन सरकार द्वारा दिया गया है और क्यों ?

Page No 23

[श्री भैरूंसिंह]

(ख) जिन समितियों को यह लोन दिया गया है वे कब बनी थीं, उनके मंत्री व अध्यक्ष कौन कौन है ?

(ग) लोन मिलने से पहिले उनका विभागीय ऑडिट हुआ था या नहीं ? यदि हुआ था, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

(घ) लोन दिये जाने के बाद किस किस समिति का विभागीय अंकेक्षण (ऑडिट) हुआ और उसका क्या नतीजा रहा ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न करीब साढ़े सात हजार समितियों से ताल्लुक रखता है और वे सहकारी समितियां गांव गांव में फैली हुई हैं इसलिये इसकी इन्फोर्मेशन इतनी जल्दी आ नहीं सकी है। इसके लिये काफी समय चाहिये।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न केवल उन्हीं समितियों से संबंधित है जिनको लोन दिये हुए हैं और वे कुछ ही हैं और कुछ के लिये इत्तला इकट्ठा करना सरकार के लिये मुश्किल नहीं था। जब कि प्रश्न एक महीने पूर्व पूछा गया था तो अब तक सरकार को इसकी इत्तला मंगवा लेनी चाहिये थी।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, ५५-५६ और ५६-५७ में बहुत सी समितियों को लोन्स दिये गये हैं, इसलिये ऐसी कुछ ही नहीं बहुत सी समितियां हैं।

श्री अध्यक्ष—एप्रोक्सिमेट टोटल कितना होगा जिनको लोन दिये गये ?

श्री खेतसिंह—सारे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स से दर्याफ्त करने पर बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—लोन तो यहीं से दिये गये होंगे ?

श्री खेतसिंह—लोन कितनी समितियों को दिये गये हैं, उन समितियों का टोटल नम्बर ?

श्री अध्यक्ष—हां।

श्री खेतसिंह—करीब ५ हजार समितियें हैं।

श्री भैरूं सिंह—५ हजार के करीब हैं !

श्री खेतसिंह—हां।

श्री अध्यक्ष—क्या यह लोन ५ हजार समितियों को दिया गया है या ५ हजार का कुल लोन दिया गया है ?

क्या यह सही है कि अधिकांश समितियों को लोन देने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगाया कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है ?

श्री खेतसिंह—यह सूचना तो मैंने आपको निवेदन की कि मेरे पास नहीं है, आपने जो बताया वह गलत है।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, जब सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय जब उनका नाम दर्ज किया जाता है तो सब चीज देखी जाती है और उसी को M. C. L. कहते हैं। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि लोन देते समय समिति हैसियत का पता नहीं लगाती।

श्री भैरूंसिंह—क्या इसमें ऐसी बहुत सी समितियें हैं जिनका एकाउन्ट अभी तक ऑडिट नहीं कराया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—कोई समितियें रह गई हों, लेकिन आम तौर से अकाउन्ट ऑडिट कराया जाता है।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार के ध्यान में ऐसी बात है कि ऐसी कई समितियें हैं जिनके मंत्रियों पर गबन के मामले कोर्ट में चल रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—हो सकता है।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह सही है कि बहुत से स्थानों से लोगों ने सरकार को शिकायत की कि जिन लोगों के नाम सदस्यों के रूप में दिये गये हैं और उनके दस्तखत किये गये हैं वे गलत हैं और उससे उनको ऐतराज है और उसके लिये उन्होंने ऐतराज किया कि न तो उन्होंने रुपया लिया है और न वे इस समिति के सदस्य हैं और न उनके दस्तखत हैं।

श्री अमृतलाल यादव—यह बात मेरी जानकारी में नहीं है, आपकी इस सूचना के लिये धन्यवाद।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह सही है कि जब शिकायत आई तो एक बार नहीं-दो-दो, तीन-तीन बार जांच भी हो चुकी है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह कोओपरेटिव विभाग का काम है कि वह उसकी जांच करे और निर्णय करे।

श्री भैरूंसिंह—क्या मंत्रियों को उन्होंने रुपया लोन के रूप में दिया है ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या कुछ दिन पहले इस बात की शिकायत मंत्री महोदय के पास आई कि मंत्रियों के खिलाफ गबन के मुकदमें चल रहे हैं, इसलिये उनको लोन नहीं दिया जावे ?

श्री अमृतलाल यादव—किसी मंत्री को व्यक्ति विशेष के रूप में लोन नहीं दिया जाता, वह तो संस्था को दिया जाता है। अगर उस संस्था के किसी सदस्य के खिलाफ मुकदमा चलता है तो उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता।

Page No 25

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि जिन मंत्रियों के कार्य संतोषजनक नहीं हैं उनके खिलाफ लोगों ने शिकायत की है कि इनको रकम नहीं दी जानी चाहिये।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने जवाब दिया, उसमें इसका उत्तर आ जाता है। मैंने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष को लोन नहीं दिया जाता। व्यक्ति विशेष के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही होती हो तो चलती रहेगी। लेकिन कमेटी को एज ए होल लोन देने की बात नहीं आती। वह व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्यवाही चल रही है और वही व्यक्ति समिति से अगर रुपया लेने को आता है तो उसको नहीं मिलना चाहिये और अगर ऐसी बात है तो मैं इसको देखूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८७

चम्बल डेम को नहर में आई हुई भूमि एवं उसका मुआवजा.

महाराज श्री केसरीसिंह—Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(*a*) What is the area of land which has been acquired for the canals of Chambal Dam and what is the amount of compensation paid for the same per bigha ?

(*b*) Is it a fact that only a few cultivators have been paid the compensation ?

(*c*) When does the Government contemplate to pay compensation to the remaining cultivators ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(*a*) 1,793 bighas of land has been acquired.

(*b*) Rs. 2,07,520/- has been paid as compensation.

(*c*) The awards are made at different rates for different kinds of land ranging from Rs. 30/- to Rs. 150/- per bigha.

(*d*) Compensation to the owners of the lands in respect of which compensation proceedings have been completed, has been paid. The remaining will be paid soon.

महाराज श्री केसरीसिंह—What is the criteria on which compensation is based ?

श्री खेतसिंह—वह जैसी जमीन होती है उसी माफिक कम्पन्सेशन पे (pay) करते हैं; मैंने बताया कि ३० से ५० रुपये तक।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि लोगों ने अपने कम्पेन्सेशन के लिये शिकायतें की है ?

श्री अमृतलाल यादव--कोई शिकायत नहीं है, अगर कोई शिकायत आवेगी तो उस पर विचार किया जावेगा।

श्री एच. के. व्यास--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कम्पेन्सेशन कितनों को दिया, कितनों को दिया जा चुका है और कितनों का विचाराधीन है ?

श्री खेतसिंह--इसका उत्तर मैंने दे दिया है। लोगों का नम्बर मेरे पास नहीं है और कितनी रकम दी गई, वह मैंने बता दी।

श्री एच. के. व्यास--माननीय अध्यक्ष, प्रश्न के पार्ट (बी) में पूछा गया है कि "Is it a fact that only a few cultivators have been paid compensation ?" उसके उत्तर में बताया गया है कि जिसके केसेज फाइनेलाइज नहीं हुए हैं उनको नहीं दिया गया और बाकी को दे दिया गया है। The material question that remains to be answered is how many persons have been paid compensation ?

श्री खेतसिंह--नम्बर मेरे पास नहीं है। दो लाख और कितने ही रुपयों का पेमेन्ट कर दिया गया है और बाकी के लोगों का पेमेन्ट भी जल्दी ही कर दिया जावेगा।

श्री केसरीसिंह--फाइनल पेमेन्ट कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री खेतसिंह--ज्योंही कम्पेन्सेशन के मामले तय हो जावेंगे कम्पेन्सेशन दे दिया जावेगा।

श्री हिम्मतसिंह--टोटल कम्पेन्सेशन कितना देना है ?

श्री खेतसिंह--आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री एच. के. व्यास--टोटल नम्बर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, जिनको कम्पेन्सेशन दिया गया ?

श्री खेतसिंह--मैंने पहले ही बताया कि नम्बर मेरे पास नहीं है।

श्री एच. के. व्यास--प्रश्न यह है कि थोड़े लोगों को ही कम्पेन्सेशन दिया गया है। यह शिकायत है, Only a few persons have been paid compensation. The only material point is what is the total number of persons, how many have been disposed of ?

श्री अध्यक्ष--That is ture. The main purpose of the question must be taken into account when reply is being drafted. Whenever the number of the persons is asked the number must be mentioned, not the money.

श्री हिम्मतसिंह--एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें तहसीलों का पूछा गया था, उसका भी जवाब नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८८

ग्राम पोलवा, फलौदी में पागियों की ढाणी के सिन्धियों के पास बिना लाइसेंस की बन्दूकें व हथियार एवं फलौदी थानेदार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करना

श्री भोपालसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—(क) क्या यह सच है कि ग्राम पीलवा, फलौदी, में पागियों की ढाणी के सिन्धियों के पास बन्दूकें व दूसरे बिना लाइसेंस के हथियार हैं ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त सिन्धियों का पाकिस्तान से स्मग्लिंग का व्यापार चलता है और फलौदी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इस मामले को जानते हुए भी कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने को तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) एक महेन्द्र खां के अतिरिक्त, जो धारा ३०२ एवं ३०७ भारतीय दंड संग्रह के अधीन एक अपराध करके फरार है किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप नहीं है। ऐसी शंका अवश्य है कि वहां के आदमियों के पास बिना लाइसेन्स के हथियार हैं।

(ख) ऐसी भी शंका है किन्तु इसका पक्का सुबूत नहीं मिलता।

(ग) जी नहीं।

(घ) इसकी आवश्यकता नहीं दिखती।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८९

राजस्थान में अभी क्षतिग्रस्त हुए बन्ध एवं उनके जीर्णोद्धार सम्बन्धी शासकीय योजना

महाराज श्री केसरीसिंह—Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(*a*) Which bunds in Rajasthan were damaged recently ?

(*b*) What was the total amount spent on the construction of these bunds ?

(*c*) What amount of money is estimated to be spent in the repairs, if any, of each of these damaged bunds ?

(*d*) When was the final payments made to the contractors of Gudha and Bhimlat dams respectively in Bundi District ?

(*e*) Has the Government made any enquiry into the cause of so sudden a damage to almost every newly constructed bund in the State ?

Page No 28

श्री खेतसिंह—(*a*) List 'A' has been placed on the Table.

(*b*) About Rs. 136.91 lacs.

(*c*) The estimated extent of damage on each of the bund is given in col. 6 of list 'A'.

(*d*) Final payment for Gudha dam has not yet been made. Final payment of Bhimlat project was made on 31-3-1956.

(*e*) The enquiries are in hand.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

महाराज श्री केसरीसिंह—The list has not been delivered to me, Sir.

श्री खेतसिंह—The Hon'ble Member was late today.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६०

सन् १६५६ के लिये भीलवाड़ा में नवीन करने हेतु आर्म्स अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण

श्री शंभुसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—(क) जिला भीलवाडा में आर्म्स एक्ट के तहत कितने लाइसेन्स मय फीस सन् १९५६ के लिये रिन्यू कराने को पेश हुए ? इनमें से किस किस के लाइसेन्स कब कब रिन्यू कर दिये गये और किस किस के अभी तक वापिस नहीं दिये गये ? नामवार बतावें ?

(ख) जिन जिन के लाइसेन्स रिन्यू होकर वापिस नहीं लौटाये गये वे शीघ्रातिशीघ्र कब तक दे दिये जावेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा होने के कारण अभी तैयार नहीं हो पाया है। अतः आज इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री शंभुसिंह—इसका उत्तर कब तक दे दिया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक सप्ताह बाद।

श्री शंभुसिंह—एक सप्ताह असेम्बली नहीं चले तो।

श्री रामकिशोर व्यास—मजबूरी है, आयन्दा पूछियेगा।

प्रश्न संख्या ६१

वर्षा से पाइबालापुरा बंध (जिला बूंदी) को हुई क्षति

महाराज श्री केसरीसिंह—Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(*a*) How much damage was caused to Pai Balapura Dam in Bundi District due to rains ?

(*b*) Was the main road to Nainwa submerged under the dam water ?

(*c*) Was the weir broken by the contractor ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(a) No damage was caused.
(b) Yes.
(c) No.

महाराज श्री केसरीसिंह—Due to water over the road the traffic was stopped. Is it a fact that a boat over-turned in the water and one person died ?

श्री खेतसिंह—मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया, 'हां'; सड़क पर पानी है लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, जनता के आवागमन के लिये दूसरी तरफ से सड़क निकाल दी गई है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि सड़क के न निकालने की वजह से एक आदमी की डूबकर मृत्यु हो गई है ?

श्री खेतसिंह—यह सत्य है, दुर्भाग्यवश एक ऐसी घटना हुई। नावें पहले भी चलीं लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, इत्तफाक से यह एक केस हो गया।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या यह सही है कि एक पटवारी मय सरकारी कागजात के उसमें डूब गया ?

श्री खेतसिंह—इसकी खबर महकमे के पास नहीं आयी।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कारण है कि रोड के ऊपर पानी आ जाने पर उसका लेवलिंग बराबर नहीं किया गया था ?

श्री खेतसिंह—बन्ध में पानी ज्यादा आ गया, इसलिये वह सड़क के ऊपर तक निकल आया।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या उस पर पुलिया बनाने की योजना है ?

श्री खेतसिंह—जैसा कि मैंने उत्तर दिया, कोई डेमेज नहीं हुआ; इस वजह से अभी तक कैसे क्या किया जाय इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या जिस आदमी की मृत्यु हुई उसको कम्पेन्सेशन देने की कोई योजना रखते हैं ?

श्री खेतसिंह—नियमानुसार कार्यवाही की जाय, फिर देखा जायगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—कार्यवाही तो की जा रही है आप भी कुछ देने की इच्छा रखते हैं या नहीं ?

श्री खेतसिंह—मैंने निवेदन किया, मैं तो बहुत खेद प्रगट करता हूं; मेरे पास सहानुभूति के अलावा क्या हो सकता है ?

महाराज श्री केसरीसिंह—खेतसिंहजी के खेद प्रगट करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

राज श्री हिम्मतसिंह—जिन किश्तियों से आदमियों को उतारा जाता है, वे किस किस्म की थीं ?

श्री खेतसिंह—मैं मौके पर तो गया नहीं जो आपको बता सकूं कि किस किस्म की बनी हुई थी।

प्रश्न संख्या ६२

राजस्थान में चालू किया गया पुलिस वेलफेयर एवं उसके नियम तथा उसके अन्तर्गत एकत्रित की गई धनराशि

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में पुलिस वेलफेयर फंड कब से और किसकी आज्ञा से चालू किया गया ? उसके नियम क्या हैं ? कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) यह फंड चालू होने से लेकर अब तक किस किस जिले से किस किस वर्ष में कितना कितना धन एकत्रित हुआ और कितना कितना किस किस वर्ष में किस किस जिले में खर्च हुआ और किस किस की आज्ञा से ? कृपया इसकी भी एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या यह सच है कि यह धन पुलिस अधिकारियों द्वारा एकत्रित किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—

(अ) यह कोष माह जून, १९५३ में आई.जी.पी. की आज्ञा से प्रारम्भ किया गया। नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ब) ज्ञातव्य सूचना संलग्न पत्र (ए) में सम्मिलित है। जिला सवाईमाधोपुर, चूरू और नागौर सम्बन्धी सूचना अप्राप्य है।

(स) यह कोष स्वेच्छित चन्दे, कैन्टीन का लाभ, दान, प्रदर्शन, जन साधारण से अनुरोध एवं उसी प्रकार के अन्य तरीके द्वारा एकत्रित किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भैरूंसिंह—क्या इस प्रकार की शिकायतें पुलिस के उच्चाधिकारियों के पास प्रस्तुत की गई हैं कि पुलिस के अधिकारी जबरदस्ती से पुलिस वेलफेयर फन्ड में पैसा लेते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जबरदस्ती से तो नहीं लिया जाता।

श्री भैरूंसिंह—मैं तो यह पूछ रहा हूं कि इस प्रकार की शिकायतें आई हैं क्या कि पुलिस के अधिकारी जबरदस्ती पुलिस वेलफेयर फन्ड में पैसा लेते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—आई. जी. पी. के पास आयी हों तो पता नहीं, दर्याफ्त करके बता सकता हूं।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार यह ठीक समझती है कि पुलिस अधिकारियों की मार्फत पुलिस वेलफेयर फन्ड में पैसा इकट्ठा करवाया जाय ?

Page No 31

श्री रामकिशोर व्यास—इसमें बुराई की बात नहीं, दूसरी स्टेट्स में भी इसी प्रकार होता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न समाप्त हुए।

प्रश्न संख्या ६१ सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्नोत्तर

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लिस्ट अभी दी गई। यदि उस समय उत्तर में यह लिस्ट पढ दी जाती तो मैं सप्लीमेन्टरी पूछ सकता था। लिस्ट अभी दी गई है इसलिये मुझे सप्लीमेन्टरी सवाल पूछने की आज्ञा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—पूछिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर में जो एक्सपेन्डीचर के आंकडे दिये गये क्या इसमें स्टाफ की तनख्वाह और अलाउन्सेज़ के आंकड़े भी शामिल हैं ?

श्री खेतसिंह—यह मेरे पास अलग अलग इनफोर्मेशन नहीं है कि इसमें स्टाफ के आंकड़े हैं या नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो कौन कौन से आइटम्स इसमें शामिल हैं, स्टोर्स ....

श्री खेतसिंह—ब्लास्टिंग, बोरिंग में जो खर्चा हुआ उसका इकट्ठा इसमें लिखा हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने अभी बताया कि स्टाफ के एक्सपेन्डीचर इसमें शामिल हैं या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या आइटम्स शामिल हैं ?

श्री खेतसिंह—कौन कौन से आइटम्स शामिल है यह मैं नहीं बता सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ब्लास्टिंग एन्ड बोरिंग 'No profit, No loss' बेसिस पर करने की सरकार की आज्ञा है ?

श्री खेतसिंह—हां, यह तो आपको कई दफा बताया जा चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय उप मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन वर्षों में जिनके आंकड़े दिये गये हैं उनमें 'नो प्रोफिट, नो लॉस' की बेसिस पर आंकड़े निकाले गये हैं या नहीं ? अगर निकाले गये है तो इसका कम्प्यूटेशन क्या रहा ?

श्री खेतसिंह—वे आंकड़े निकाले गये हैं या नहीं, मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सन् ५४-५५ में ८८० वर्क्स पर काम हुआ, ५५-५६ में ७९ वर्क्स पर काम हुआ ऐसी इत्तला मुझे दी गई है इस सूची के जरिये, तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि ५६-५७ के आंकडे हैं वे कौनसी तारीख तक के हैं ?

श्री खेतसिंह—५६-५७ के किस तारीख तक के आंकडे हैं, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कौन से महीने तक के हैं वही बता दीजिये ?

श्री खेतसिंह—महीने का भी नहीं कह सकता, साल की सूचना थी वह मैंने दे दी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस लिस्ट में जो खर्चा बताया गया उसमें केपीटल का इन्ट्रेस्ट किस रेट पर आंका गया ?

श्री खेतसिंह—इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। आप घुमा फिराकर एक ही बात को पूछ रहे हैं क्या आप मेरे से यही कहलाना चाहते हैं कि मेरे पास सूचना नहीं है। जो कुछ सूचना मेरे पास थी वह मैंने आपको दे दी।

श्री कंवरलाल जेलिया—आप चिडते क्यों हैं साहब ?

श्री अमृतलाल यादव—तारीख १८ के भी प्रश्न आज लिये जाने वाले थे, उसके उत्तर तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—अब तो समय नहीं, उनके उत्तर सदन की मेज पर रख दीजिये।

(दिनांक १८-१०-५६ के प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अध्यक्ष—तारीख १६ का प्रश्न संख्या १०४ श्री भैरूंसिंह।

प्रश्न संख्या १०४

राजस्थान में कोर्ट आफ वार्ड्स के अन्तर्गत लिये गये ठिकाने एवं दी गई रकमें

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कितने ठिकाने (जागीर) कोर्ट आफ वार्ड्स के तहत लिये हुए हैं और उनके कोर्ट आफ वार्ड्स में लिये जाने के क्या कारण हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) किन किन ठिकानों को कितनी कितनी रकम किस किस व्यक्ति को किसकी आज्ञा से किस हिसाब से उधार दी हुई है और प्रत्येक की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस प्रश्न में चाही गई सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है माननीय सदस्य के पास भी पहुंच गई होगी।

श्री भैरूंसिंह—पहुंची तो नहीं, अब आ जायगी।

श्री अध्यक्ष—अब बाकी के प्रश्नों के उत्तर टेबिल पर रख दीजिये।

श्री भैरूंसिंह—दो प्रश्न और हैं। एक तो झुन्झुनू डिस्ट्रिक्ट में पंचायत के बारे में था।

श्री अध्यक्ष—कल लिया जावेगा।

श्री भैरूंसिंह—आज ही लिये जाने को था साहब।

श्री अध्यक्ष—Tomorrow, that is on 26th. Yes, legislative business. Clause by clause discussion on Rajasthan Hindu Trust Bill.

Page No 33

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, जो इस पर अमेन्डमेन्ट पेश किये दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने मैं उसका विरोध करता हूं। सिद्धान्ततया तो वे इसे स्वीकार करते हैं, पर इस बात को वे स्वीकार नहीं करते कि सहायक आयुक्त को पक्षकार बना लें। मैं अर्ज करूंगा कि यह मामला सिविल लॉ का है। इसमें पार्टी बनना जरूरी है। एक ट्रस्ट जिसका कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उससे सम्बन्धित किसी मामले में कोई कागजात कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना जरूरी हो और कोर्ट में इसके लिये देवस्थान कमिश्नर को पार्टी बनाना जरूरी है ताकि उस ट्रस्ट के मामले में इमदाद मिल सकें तो ऐसे समय पार्टी बनने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिये। दूसरी बात यह है कि ऐसे ट्रस्ट भी हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड न हों और उनका कोई मामला रेवेन्यू अधिकारी या अन्य कोर्ट में पेश हो जाता है तो इसके लिये भी पार्टी बनना जरूरी हो जाता है। इसमें बगैर ट्रस्टी के इसके इन्ट्रेस्ट को वाच करने वाला और कौन हो सकता है ? तो इसलिये पार्टी बनना आवश्यक है। इसमें हेरेसमेन्ट की कोई बात नहीं है। ट्रस्ट के इन्ट्रेस्ट को वाच करने के लिये पार्टी बनना जरूरी है। इसलिये यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रेस करते हैं ?

श्री भैरूंसिंह--जी हां।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ में श्री भैरूंसिंहजी ने जो संशोधन रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १४, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता--मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष--श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)।

श्री भैरू सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है "छठी पंक्ति में 'जायगा' और 'अथवा' शब्दों के बीच में शब्द 'अथवा प्रन्यास विलेख में निर्देशित अन्य किसी रूप में रक्खा जायगा" जोड दिये जाएँ।

छठी व सातवीं पंक्तियों में से शब्द 'सहायक आयुक्त' से लेकर शब्द 'करने वाले' तक के शब्द लोप कर दिये जायें।

नवीं पंक्ति में से शब्द 'ऐसी' व शब्द 'जैसा कि सहायक आयुक्त प्रत्येक मामले में पर्याप्त समझे', को लोप किया जाय।

इस खण्ड के प्रतिबन्ध को लोप किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास की सम्पत्ति का विनियोजन कैसे होगा? विनियोजन के लिये इस क्लॉज के अनुसार वह रकम या तो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के एक्ट १९३४ (२ ऑफ १९३४) के द्वितीय शिड्यूल में तत्समय सम्मिलित किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में या दी राजस्थान कोऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट, १९५३ (राजस्थान एक्ट ४ ऑफ १९५३) के अन्तर्गत पंजीयित किसी बैंक में रक्खा जायगा, अथवा किसी सार्वजनीन प्रतिभूति में विनियोजित किया जायगा अथवा सहायक आयुक्त के स्वीकरण से किसी बैंकर साहूकार या बैंकर के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के पास रखा जायगा जिसने इस प्रकार जमा कराये गये रुपये के सुरक्षापूर्ण संरक्षण तथा मांग करने पर तुरन्त वापिस भुगतान करने की ऐसी प्रतिभूति दे दी है जैसा कि सहायक आयुक्त प्रत्येक मामले में पर्याप्त समझे।

इसमें यह मेरा संशोधन है कि यह व्यवस्था हो, उसके साथ साथ इस बात का भी अधिकार होना चाहिये कि जो उस ट्रस्ट के इन्वेस्टमेन्ट में यदि कोई विशेष प्रकार का आदेश है जिसके अनुसार उस रकम को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता महसूस की जावे तो उस इन्वेस्टमेन्ट के आदेश के अनुसार वह रकम इन्वेस्ट की जा सके, इस प्रकार की छूट इस क्लॉज में दी जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई प्रकार के ट्रस्ट इस बात को लेकर निर्माण किये जाते हैं कि उनके द्वारा रकम का विशेष प्रकार से इन्वेस्ट किया जाकर उसके कारण जो व्याज की आमदनी होती है उसके फलस्वरूप जो काम किया जा सके वह करवाया जाय।

अब यदि हमने इस सारे ट्रस्ट की पूंजी को इस क्लॉज के अनुसार इन्वेस्ट कर दिया तो परिणाम यह होगा कि वह रकम एक आदमी को या बैंक को इन्वेस्टमेन्ट के रूप में जरूर दी गई है लेकिन उसका उचित रिटर्न नहीं आ सकेगा, उतना व्याज नहीं आ सकेगा।

कई ऐसे भी ट्रस्ट हैं जो मूलधन को बचाकर व्याज की आमदनी के ही ऊपर उस सारे ट्रस्ट का काम, जो ओब्जेक्ट है पूरा होता रहता है और मूल धन वैसे का वैसा ही रह जाता है। अब यदि इसमें दिये गये प्रोविजन के अनुसार रकम का व्याज नहीं मिलता है तो उस काम में हानि होती है।

अब इसमें उचित जमानत का प्रावधान भी है। मैं समझता हूं कि यह जमानत लेने के साथ यह इजाजत भी होनी चाहिये कि इन्वेस्टमेन्ट में जिस बात का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार

[श्री भैरूसिंह]

जिस ढंग से आदेश हुआ है उसके अनुसार ही इन्वेस्ट कर सके। इसमें पाबन्दी भी डाली गई है कि सहायक आयुक्त को पर्मीशन लेनी पड़ेगी पर यह पर्मीशन ऐसी स्थिति में आवश्यक नहीं रहनी चाहिये। वह कन्डीशन को मांग करने पर तुरन्त वापिस देने को ऐसी प्रतिभूति दे दी है जैसा कि सहायक आयुक्त प्रत्येक मामले में पर्याप्त समझें। यह काफी होना चाहिये। तो वापिस करने के सम्बन्ध में काफी मात्रा में जमानत प्रस्तुत की जा रही हो तो ट्रस्ट को अधिकार होना चाहिये कि वह उस सारी की सारी रकम को वहां इन्वेस्ट कर सके। इसमें सहायक आयुक्त को कोई बन्धन नहीं डालना चाहिये, नहीं तो अगर उसकी नीयत नहीं हुई और मना कर दिया तो ओब्जेक्ट को ही काफी जबर्दस्त ठेस पहुंचेगी। इसलिये पहला संशोधन मेरा यह है।

इसके साथ साथ मेरा और संशोधन है। नवीं पंक्ति में से 'ऐसी' व शब्द 'जैसा कि सहायक आयुक्त प्रत्येक मामले में पर्याप्त समझे' को लोप किया जाय। तो यह भी ठीक है। इसका कारण यह है कि जहां हमने दो कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब कर दी हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से रुपये को सुरक्षापूर्ण समारक्षण तथा मांग करने पर तुरन्त वापस भुगतान करने की ऐसी प्रतिभूति दे दी है तो फिर सहायक आयुक्त के हाथ में डिस्क्रीशन नहीं देना चाहिये। अगर इस प्रकार का डिस्क्रीशन रहा तो निश्चित रूप से वह ट्रस्टियों के काम में बाधा देगा, इस डिस्क्रिशनरी पॉवर का वह मिसयूज करेगा।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि मैंने जो यह तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय। और "किन्तु शर्त यह है कि सहायक आयुक्त सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा किसी सार्वजनीन प्रन्यास अथवा सार्वजनीन प्रन्यासों के किसी वर्ग के प्रन्यासधारी को किसी अन्य रीति से रुपये को विनियोजित करने की अनुमति दे सकता है।"

माननीय अध्यक्ष, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूं कि यह भी एक इस प्रकार का अधिकार है कि जिस अधिकार का उपयोग नहीं होता है। आज तक हमारे सामने इस बात की कई दलीलें आई हैं, और हमने खुद ने अनुभव किया है कि जहां सरकार को ऐसे डिस्क्रिशनरी पॉवर दिये हैं कि अन्य रीति से सहायक आयुक्त किसी भी ट्रस्टी को इन्वेस्टमेन्ट करने का अधिकार देने की व्यवस्था करें, वहां पर अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है। यह अधिकार इसलिये दिया जाय कि इन्वेस्टमेन्ट के करने में अच्छे रिटर्न्स होंगे। यदि सहायक आयुक्त चाहे तो ऊपर की शर्तों को देखकर इस रकम का इन्वेस्टमेन्ट कर दे। वह चीजें बहुत कम होती हैं। काम होता है उनके विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में काम होने के कारण सहायक आयुक्त चाहे समारक्षण की कोई गारन्टी हो या नहीं, वापस आने की कोई गारन्टी हो या नहीं, किसी भी शर्त की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन जो अधिकार उसके हाथ में दे दे कि वह ट्रस्ट को मर्जी आये उसको दे दे। उसका मतलब यह हो गया कि वह रकम किसी भी प्रकार वापिस नहीं आये। माननीय अध्यक्ष, आज से पांच वर्ष पहले केसरियाजी के मन्दिर में से १९५१ में वैंकटाचार सरकार ने इस तरह से कुछ रुपये आर्य समाज को दे दिये, कुछ रुपयों को एक सेठ को दिला दिया लेकिन वह रुपया आज तक वापिस नहीं आया इसलिये डिस्क्रिशनरी पॉवर रखना कि मर्जी आये उस व्यक्ति को दिला दिया। कानून का सख्ती से पालन हो ताकि मर्जी आए उस आदमी को रुपया उधार नहीं हो। मैं समझता हूं कि उससे ढाई लाख रुपया मंदिर को घाटा हुआ है, अगर वे

[श्री भैरूंसिंह]

उसका सख्ती से पालन करते तो वह घाटा नहीं होता इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह कहूंगा कि जो स्पष्ट निर्देशन ऊपर के क्लॉज में दे दिया उसके लिये प्रतिबन्ध रखने का मतलब यह होगा कि सहायक आयुक्त अपनी मर्जी के आधार पर उस रकम का इन्वेस्टमेन्ट चाहे उसकी जमानत आई या नहीं, विनियोजन के लिए प्रतिभूति आई या नहीं, सुसंरक्षण है या नहीं, समय पर वापिस आने वाला है या नहीं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अवांछनीय है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय राजस्व मंत्री जी से कि मेरे इन संशोधनों को स्वीकार कर लें।

माननीय अध्यक्ष, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने संशोधन में कुछ शब्द और जोडना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी उनको स्वीकार कर लेंगे। इस विनियोजन में सोने और चांदी पर विनियोजन की रकम रखना हो तो उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है इसलिये विनियोजन में सोने और चांदी भी रख दिये जाय तो सोने और चांदी पर भी रकम दे दी जाय या देने की व्यवस्था कर दी जाय, इस प्रकार का संशोधन किसी भी तरफ से नहीं आया है। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्रीजी इसको स्वीकार करेंगे। वैसी सूरत में, यदि आपकी अनुमति से उन शब्दों के साथ में अपने संशोधनों को प्रस्तुत करते हुए यह मांग करूंगा कि मेरे सब संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह जो अमेन्डमेन्ट्स हैं मैं उन दोनों को ही स्वीकारकरना ठीक नहीं समझता हूं। अगर इस क्लॉज को पूरे तौर से देखें तो मैं समझता हूं कि दोनों एमेन्डमेन्ट्स की आवश्यकता नहीं है। मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो रही है जिससे कि वह यह महसूस कर रहे हैं कि जो मौजूदा क्लॉज है उसमें कुछ देवस्थान कमिश्नर या असिस्टेन्ट देवस्थान कमिश्नर को ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं। वास्तव में बात यह है कि यह सेक्शन जो है वह सिर्फ ट्रस्ट का जो मनी है उसके इन्वेस्टमेन्ट के लिये सेक्शन है। इन्वेस्टमेन्ट में यह तरीका रखा गया है कि रोजमर्रा का जो खर्च है, जो इखराजात हैं उसके लिए जितनी आवश्यकता होती है उनको रखकर बाकी का जो मनी है उसको इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वितीय शिड्यूल में तत्समय सम्मिलित किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स या पब्लिक सिक्योरिटीज के अन्दर और साथ ही साथ यह भी अधिकार दिया गया है कि प्राइवेट बैंकर्स जो कि बैंकिंग का बिजनेस करते हैं उनके पास आम तौर से यह दलील दी गई थी माननीय सदस्यों की तरफ से कि प्राइवेट बैंकर्स में इन्वेस्ट करने से सूद ज्यादा मिल सकता है और ट्रस्ट को ज्यादा मुनाफा मिल सकता है इसलिये यह उसमें रख दिया गया है; प्राइवेट बैंकर्स या सेठ साहूकारों में इन्वेस्टमेन्ट करने के लिये इजाजत दे दी गई। देवस्थान कमिश्नर के लिये जो अल्फाज रखे गये हैं वह मैं आपको अर्ज कर दूं: 'shall be invested in a public security, or shall, with the approval of the Assistant Commissioner, be kept with any banker or person acting as a banker who has given such security for the safe custody and repayment on demand of the monies.' यानी जो मनी उसके पास जमा करेंगे उसको सेफ्टी पहले होनी चाहिये and must give an undertaking as security that he will keep it in safe cus-tody and return the money on demand. That is all. अब आप 'रिटर्न दी मनी ओन डिमान्ड' के आगे के अल्फाज को डिलीट कराना चाहते हैं तो वह यह है कि 'as the Assistant Commissioner may in each case thinks sufficient.'

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जिस इन्वेस्टमेन्ट में इस तरह की जमानत दी गई जो कि माकूल जमानत होगी असिस्टेंट कमिश्नर के खयाल से। तो यह इतना जरूरी है क्योंकि जमानत कोई भी दे सकता है लेकिन असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान काफी समझे ऐसी जमानत को। उसका मतलब यह होगा कि उसके पावर्स में यह होगा कि वह जमानत को जांच कर सकेगा कि आया वह सोल्वेन्ट है या नहीं ? इन्सोल्वेन्ट को जमानत तो नहीं ली जा सकती। Therefore, in order to determine the nature of the surety this is necessary to keep these words." उसका खास प्रोवीजन होना चाहिये, सफिशियन्ट जमानत का। इसलिये ये अलफाज रखे गये हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि डिलीट करने से इसका मतलब खत्म हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि क्लॉज १४ में आप शुरू में यह रखवाना चाहते हैं, 'अथवा प्रन्यास विलेख में निर्देशित अन्य किसी रूप में रखा जायगा।' आप इन्वेस्टमेन्ट का तरीका बता रहे हैं तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, यह जो इसका प्रोवीजो है उसमें उसको पॉवर्स दे दिये गये हैं कि, "He can order the investment in any other way also." 'in any other way' के अन्दर प्रन्यासों को वाइड पॉवर्स हो गये हैं तो क्लॉज १४ को क्लॉज ३० ए और बी के साथ पढते हैं जिसमें कि १४, १७, १९, २३ के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही के लिये कहा गया है, "The Assistant Commissioner will not independently exercise his powers but will exercise his powers with the consultation of the Board of Advisors to be appointed by the Government, and the members of that Board will belong to very religion to which the Trust belongs." तो उसने असिस्टेन्ट कमिश्नर को पॉवर्स नहीं दिये गये हैं। हर बात कानून में नहीं लिखी जायगी। जनरल प्रोवीजो रखा गया है कि इस तरह का कोई खास इन्स्ट्रूमेन्ट हो कि ट्रस्ट की प्रापर्टी इस प्रकार से इन्वेस्ट की जाय तो यदि वह इन्स्ट्रूमेन्ट इस प्रकार का हो कि जिसने ट्रस्ट की प्रापर्टी सेफ रहती हो, उसमें किसी प्रकार के ट्रस्ट की प्रोपर्टी, ट्रस्ट के मनी के खत्म होने का आन्देशा नहीं हो, तो उसमें इन्वेस्ट कर दी जायगी। इस तरह की बात का जो रूल्स बनाये गये हैं उसमें डाइरेक्टिव दिये जा सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इन्स्ट्रूमेन्ट ऑफ ट्रस्ट के पालन के साथ यदि मनी भी सेफ हो तो उसकी ऑनर करने की कोशिश की जायगी। अगर इस तरह से हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स बना दिये जायेंगे कि चाहे कुछ भी हो, इन्स्ट्रूमेन्ट में चाहे किसी के पास इन्वेस्टमेन्ट के लिये लिखा हुआ हो वह दिवालिया हो जाय और कोई गडबड हो जाय तो भी उसकी पाबन्दी करनी होगी जो कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं होगी। जहां तक सोल्वेन्ट है और कोई चीज गडबड नहीं है तो यह उसके पास इन्वेस्ट हो सकता है। इसलिये इस पर माननीय सदस्य को संतोष होगा और वे अपने दोनों अमेन्डमेन्ट्स को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १४ पर जो संशोधन श्री भैरूसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १५, श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ को स्वीकार किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं एक एमेन्डमेन्ट इसमें देना चाहता हूं आपकी आज्ञा से।

श्री अध्यक्ष—इनका (श्री भैरूंसिंह का) एमेन्डमेन्ट है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पता नहीं। (श्री भैरूंसिंह से) है क्या ?

श्री अध्यक्ष—(श्री राजस्व मंत्री से) आप बोलिये न।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—उप-खंड १ (क) में शब्द "अचल संपत्ति" के पश्चात् शब्द "अथवा पांच हजार रुपये से अधिक मूल्य की चल संपत्ति" प्रविष्ट किये जावें और मार्जिनल नोट में से शब्द "अचल" को हटाया जाय। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिलकुल स्पष्ट है और किसी को भी इस पर एतराज नहीं होगा। इसलिये इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजस्व मंत्री ने क्लॉज १५ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज १५.

(विराम)

श्री शंभुसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ ए.....

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—मेरा भी है।

(विराम)

२९ नम्बर पर है।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, कोरम नहीं है सदन में।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—अभी हो जाता है कोरम।

श्री जगतसिंह झाला—यह इम्पोर्टेन्ट क्लॉज है।

(घंटी)

श्री भैरूंसिंह (१६)—कोरम हो ही नहीं रहा है, माननीय अध्यक्ष। लोग-बाग आ ही नहीं रहे हैं, धर्मादे का क्लॉज है।

श्री हिम्मतसिंह—चीफ व्हिप की रेस्पोन्सिबिलिटी है।

(पुनः गणपूरक घंटी)

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन है कि क्लॉज १५ ए का लोप किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जिस समय विधेयक यह विधान सभा में प्रस्तुत हुआ था उस दिन शायद इस प्रकार की सरकार की कोई मंशा नहीं थी कि छोटे २ रूप में धर्मादे के नाम पर जो रकम इकट्ठी की जाय उस रकम को भी एक ट्रस्ट मान कर उसका भी नियंत्रण सरकार अपने हाथ में ले। लेकिन यह माननीय राजस्व मंत्री की एक प्रकार की इच्छा है कि उन्होंने इस प्रकार के क्लॉज का भी समावेश इस कानून में कराने की चेष्टा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला धर्मादे का है और इसलिये मैं उन शब्दों को दोहराऊंगा जो शब्द माननीय राजस्व मंत्री को कल उन्हीं के निकट के मित्र ने कहे। माननीय अध्यक्ष, उन्होंने कल यह कहा कि यह कानून तो किसी कसाई को बनाना चाहिये था, आपको ऐसा कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे ऐसा पता लगता है कि ऐसा कानून बनाने वाले व्यक्ति यदि धर्म का कसाई के रूप में कोई काम करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि ये बड़े बड़े जितने भी अच्छे ट्रस्ट हैं, इन ट्रस्टों का किस प्रकार से नियंत्रण किया जाय,

[श्री भैरूसिंह]

उनमें रकम का दुरुपयोग नहीं हो, इस बात के लिये कौनसी कार्यवाही ऐसी की जाय जिसके कारण से ट्रस्ट बना रहे, ट्रस्टीज वालन्टीयरिली सर्विस करते रहें और रकम का कोई दुरुपयोग न हो, भविष्य में भी ट्रस्ट का उसी संख्या में निर्माण होता रहे ? कोई भी कानून बने, कानून बनाने में ट्रस्ट के सम्बन्ध में यदि कोई कानून बनेगा तो हमें इन चार मुख्य बातों का ध्यान देना पड़ेगा। इन चार बातों पर ध्यान देने के बाद यदि हमें यह विश्वास हो जाता है कि इस धर्मादे को रेगुलेट करने के बाद भी धर्मादा उसी रूप में वसूल होता रहेगा, और गांवों की छोटी मोटी समस्यायें उसी रूप में हल होती रहेंगी, लोगों की आस्था उसी रूप में बनी रहेगी कि वे धर्मादे के नाम पर कुछ खराबियां न करते रहें और सरकार के नियंत्रण के बाद जो इस प्रकार से धन एकत्रित हो उससे व्यापारियों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी कि वे दूसरे लोगों से धर्मादे के नाम पर रुपया इकट्ठा करते रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक मानव जाति का लक्षण है कि लोग अपने काम में थोड़ा बहुत परिश्रम उस वक्त करते हैं जब उस काम में कोई न कोई स्वार्थ होता है। यदि यह कहा जाय कि धर्मादे में पैसा देने वाले निस्वार्थ रूप से देते हों, कोई भौतिक लाभ उसमें न होता हो, लेकिन कई अध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के हेतु दूसरे आदमी को इसलिये देते हैं कि वह रकम को धर्मादे में लगाये। क्लॉज १५ ए इस बात को नियंत्रित करता है, बड़े बड़े शहरों में दुकानदार हैं, बाहर गांवों में छोटे २ दुकानदार हैं, वे दुकानदार खरीद और फरोक्त के सिलसिले में, कहीं एक आना सैंकड़ा है, कहीं पैसा सैंकड़ा है और कहीं एक हजार रुपये पर एक रुपया सैंकड़ा है, एक परिपाटी है, उस खरीद फरोक्त में धर्मादे के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं। वह धन आयन्दा इस कानून के रूप में ट्रस्ट माना जायगा और इस हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट के रूप में आकर सरकार के नियंत्रित में रहेगा। मैं इस बात को मानता हूं, कि यदि उस प्रकार के रुपये में धर्मादे में कोई रुकावट आती हो, रुपयों का कोई दुरुपयोग होता हो तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे उन रुपयों का दुरुपयोग न हो। लेकिन इस व्यवस्था में जिस मूल भावना को वे बिलीव करते हैं वह मूल भावना को ही खत्म कर देती है जिससे खरीद करने वाले, फरोख्त करने वाले व्यक्ति धर्मादे के नाम पर कुछ न कुछ धन एकत्रित करते हैं। यदि यह भावना खत्म हो गई तो कानून बनाने की मंशा ही पूरी नहीं होगी। यह कहा जाता है कि धर्मादे के लिये रकम दी जाती है, वह बढ़ कर खूब हो जाती है, वे अपने काम में खर्च करते हैं; यह शिकायत हमें सुनने को मिलेगी कि धर्मादे खाते की रकम वो अपने काम में लाते हैं। जहां तक व्यापार करने वाले लोगों का सम्बन्ध है, कोई व्यापारी व्यापार के नाम पर धर्मादा इकट्ठा कर ले, वह उस पैसे से व्यापार करने की चेष्टा करे, मैं समझता हूं कि यह गलत है। वे लोग उस पैसे को पाप का पैसा समझते हैं। उस धर्मादे के पैसे को निज के पैसे में शामिल करने को एक जबरदस्त पाप का काम समझते हैं और उस भय से भी कभी वे यह कोशिश नहीं करेंगे कि धर्मादे की रकम को घर के काम में लें। यह कहा जाता है कि लोग लेते हैं। मैं आपको कहता हूं कि सरकारी अधिकारी चोरी करते हैं, सरकारी अधिकारी रिश्वत खाते हैं, सरकारी अधिकारी गबन के मामलों में फंसते हैं, कहने का यह तात्पर्य है कि कहीं एक दो व्यापारियों ने ऐसी गड़बड़ी की हो तो उसके लिए सारे व्यापारियों पर यह पाबन्दी डाल देना उचित नहीं है। देवस्थान विभाग में ही १ लाख का गबन हो गया। दो वर्ष हो गये, डिटेक्ट हुआ और कार्यवाही चल रही है। यदि इस प्रकार से धर्म के स्थानों में भी गड़बड़ी हो जाती है और इस दृष्टि से सामान्य रूप से यह सब व्यापारी करते हों, यह ठीक नहीं प्रतीत होता है। अगर एक-आध आदमी इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति कर लेता है तो उसको

[श्री भैरूंसिंह]

वजह से सारे आदमियों पर पाबन्दी डालने की चेष्टा करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह न्याय संगत नहीं है। यह दलील कि हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि हम एक ऐसी चीज जिसका कानून में कोई रूप नहीं है, उसको कानूनी रूप दे रहे हैं। कोई धर्मादा वसूल कर सकता है या नहीं, इसके लिये कोई कानून नहीं है। लेकिन धर्मादा वसूल करने के बाद के कार्य को कानूनी रूप देने का प्रयत्न करके ऐसी चीज कर रहे हैं जो अनकॉस्टीट्यूशनल है। धर्मादे के रुपये एक टैक्स के रूप में वसूल होते हैं। व्यापारी लोग एक नियम के अनुसार धर्मादे के पैसे इकट्ठे करते हैं। व्यापारी जब कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो उनका नियम बंधा हुआ है कि इसमें से इतना पैसा धर्मादे में देना होगा और लोग वोलेन्टेरिली धर्मादे का पैसा देते हैं। जो पैसा वोलेन्टरिली दिया जाता है उसको हम लीगे-लाइज करना चाहते हैं। कई लोग अपनी किसी खास भावना से धर्मादे का पैसा इकट्ठा करते हैं वे उसी काम में उसको खर्च करना चाहते हैं और उसके लिये लोग वोलेन्टरिली रुपया देते हैं। जो काम वोलेन्टियरी बेसिस पर होता है वह ज्यादा अच्छा और एफिशियेन्टली हो सकता है। इस काम पर सरकार का नियन्त्रण कभी भी न था और न अपेक्षित है और न वाञ्छनीय कहा जा सकता है।

आज यह कहा जा सकता है कि छोटी छोटी कई समस्याएं होती हैं उन पर कंट्रोल व्यापारियों द्वारा भी नहीं हो सकता। हमने व्यवस्था की है कि ट्रस्टों के लिये कमेटियां बनायेंगे, उनके निर्देशन में रकम वसूल की जायगी। उनके निर्देशन के अनुसार काम न करेंगे तो सहायक आयुक्त उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकेंगे। अगर कोई जान बूझ कर काम में गडबड करेगा तो उसको सजा होगी। इसका तात्पर्य यह होगा कि धारा पास होते ही उनको अलग बहियें रखनी पडेंगी, स्टेटमेंन्ट पेश करना पडेगा और इसके लिये अलग गुमाश्ता रखना पडेगा। मैं समझता हूं, आज इस देश में जबर्दस्ती कानून के द्वारा व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझा डालकर धन एकत्रित करवाना कतई वाजिब नहीं है। कोई भी व्यापारी इसके लिये अलग बही खाता रखने के लिये तैयार नहीं होगा, व्यापारी लोग वैसे ही सेल्स टैक्स से, इन्कम टैक्स से और भी कई बातों से परेशान हैं। उनसे यह उम्मेद नहीं की जा सकती कि वे अतिरिक्त हिसाब रखने के लिये तैयार हो जावेंगे, इसको वे बुरा समझेंगे और कहेंगे कि धर्मादे का पैसा वसूल नहीं करना चाहिये। आज बडे बडे ट्रस्ट होंगे जिनके अन्तर्गत बडे बडे दवा खाने या और कई तरह के बडे बडे धर्मार्थ काम चलते हैं लेकिन ये चीजें गांवों की स्थानीय समस्याओं को और मामूली धार्मिक समस्याओं को हल नहीं करतीं। गांवों में छोटे छोटे औषधालय, अन्नशालाएं या विधवाओं और अपाहिजों, जिनके लिये और कोई साधन या जरिया नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिये, या जो छोटीमोटी और समस्याए हैं उनको हल करने के लिये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वह इन्हीं व्यापारियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। गर्मी के दिनों में छोटे छोटे गांवों में प्याऊ खोले जाते हैं और प्याऊ खोलने के नाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है। इस काम के लिये यदि किसी ने २ रु. भी इकट्ठे किये तो वह भी ट्रस्ट बन गया और उस पर भी जिम्मेदारी आ गई कि वह निर्देश प्राप्त करे कि उक्त पैसा किस तरह से खर्च करे। यदि एक महीने तक समिति की सिटिंग नहीं हुई तो गर्मी का समय खत्म हो जायगा और जिस काम के लिये पैसा इकट्ठा किया गया था वह काम पूरा नहीं होगा और कमेटी चाहेगी तो उस पैसे को सडक बनाने के काम में या कुए खुदवाने में खर्च करेगी, लेकिन इस पैसे को इकट्ठा करने का ओब्जेक्ट किसी भी रूप में पूरा नहीं होगा।

[श्री भैरूसिंह]

हमने कानून में ट्रस्ट पर नियन्त्रण करने की व्यवस्था की है। अभी सदन में एक संशोधन पेश किया गया कि उस ट्रस्ट की एक्च्युअल सपत्ति ५००० रु० से कम की है तो सहायक आयुक्त को पूछने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से हमें यह भी कुछ छूट करनी पड़ेगी। जो लोग ५-५ रुपये इकट्ठा करते हैं, उन पर कन्ट्रोल करते हैं तो यह बिल्कुल अनावश्यक है। हम यह चाहते हैं कि वोलेन्टरी बिना पर जो लोग धर्मादा इकट्ठा करते हैं उन पर आघात नहीं पहुंचावें। हम श्रमदान करते हैं, संपत्तिदान करते हैं, जीवनदान की भी बातें करते हैं। आज जो संपत्तिदान, भूदान आदि हैं उनके लिये कोई कानून नहीं है। हम भी यह चाहते हैं कि हमारे लोगों की प्रेरणा बढ़े उसके द्वारा। जो अपनी संपत्ति को त्याग कर समाज के हाथ में सौंप कर उसे खर्च करने का अधिकार उन्हें देने को तैयार हैं यदि उसको हम कानूनी रूप देंगे तो हम उनकी मूल भावना पर आघात करेंगे। इसलिये मैं राजस्व मन्त्री जी से थोड़े से शब्दों में निवेदन करूंगा कि धर्मादा इकट्ठा करने वाले बेईमान आदमी नहीं हैं। वे एक एक दो दो रुपया इकट्ठा करके धर्म का कार्य करते हैं उन पर नियन्त्रण न करें। उनके लिये नियन्त्रण करने वाली सोसायटी ही काफी है। उनमें से यदि कोई बेईमानी करता है तो उनका जाति बहिष्कार कर दिया जाता है, उनके घर पर विवाह शादी के मौके पर भी कोई नहीं जाता है। हम केवल एक दो आदमियों के हिसाब किताब में गडबड देखकर ही कानून बनावें तो यह उचित चीज नहीं होगी। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन द्वारा क्लॉज १५ (ए) लोप होगा, उसको स्वीकार किया जावे।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष—आपको कॉल (Call) किया गया था।

श्री चांदमल मेहता—मैं संशोधन मूव नहीं करना चाहता लेकिन दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपका कोई संशोधन नहीं है ?

श्री चांदमल मेहता—मेरा संशोधन है, लेकिन मूव नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—उसे वापिस लेने का तात्पर्य नहीं रहा।

श्री चांदमल मेहता—मुझे अपना संशोधन मूव नहीं करना है, लेकिन मुझे दांता रामगढ के सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में बोलना है।

श्री अध्यक्ष—वह तो एक ही बात है। आप उसे वापिस लें या मूव करें लेकिन जब बोलना चाहते हैं तो the time of the House is all the same taken whether the Hon'ble member moves his own amendment or supports the amendment moved by Shri Bhairon Singhji.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, क्लाज १५ ए. को विलोप करने के सम्बन्ध में दांता-रामगढ़ के माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल,

[श्री चांदमल मेहता]

में जो धर्मादे की रकम के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है वह ओरिजिनल बिल में नहीं थी बल्कि सिलेक्ट कमेटी ने बढ़ाई है। इस सिलेक्ट कमेटी का मैं भी सदस्य था और मेरा नोट आफ डिसेन्ट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ मौजूद है। व्यापारी लोग धर्मादे का पैसा किस तरह और किस रूप में वसूल करते हैं और उस पर कहां तक नियन्त्रण आवश्यक है, यह प्रश्न है। आम तौर पर व्यापारी धर्मादे के नाम पर पैसा वसूल करते हैं। लेकिन व्यापारी जो माल खरीदते हैं और बेचते हैं उस पर खर्चा लगाते हैं, उस पर आड़त होती है, उस पर दलाली होती है और दूसरा खर्चा होता है। व्यापारी आम तौर पर धार्मिक विचार के होते हैं और व्यापार ने अपनी ओर से यह निश्चय किया कि यदि हम धंधा या व्यापार करते हैं तो यह आवश्यक है कि जो धंधा या व्यापार करें उसमें से कुछ हिस्सा धर्मादे के नाम पर अलग रखा जाय। जहां तक धर्म के पैसे का ताल्लुक है व्यापारी खुद अपने नफे में से आमदनी का एक अंश अलग रखते हैं। इस तरह से अपनी आमदनी में से एक हिस्सा अलग रखते हैं तो इस दृष्टि से उस पैसे का दुरुपयोग किसी तरह से नहीं हो और वह पैसा अपने काम नहीं आवे, इसलिये वे अपनी बहियों में धर्मादे के नाम से इन्द्राज करते हैं।

अब सवाल यह आता है कि इस धर्मादे की रकम पर व्यवस्था हो। जब धर्मादे की रकम इस तरह से इकट्ठी होती है तो अलग अलग व्यापारियों के अलग अलग तरह के विचार होते हैं। मैं जैन धर्म को मानने वाला हूं तो मैं धर्मादे की रकम को उस तरह से जमा करता हूं। जैन लोग आम तौर से जैन संगठन के नाम पर काम करेंगे। धर्मादे की रकम हमारी आमदनी का एक अंश है और हम इस रकम को वैसे ही काम में लगावेंगे जिस धर्म की हमारी मान्यता है। जिस आदमी को दूसरे किसी धर्म में दिलचस्पी नहीं है तो वह धर्मादे के नाम से वसूल कर सकता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो किसी खास काम में दिलचस्पी रखते हैं तो वे उस खास काम का नाम लेकर रकम जमा करते हैं। जैसे कुछ व्यापारी गौशाला के नाम से जमा करते हैं, कुछ व्यापारी कबूतरखाने के नाम से जमा करते हैं और कई व्यापारी धर्म अथवा शिक्षण संस्थाओं के नाम से जमा करते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर इस तरह का संगठन बनाते हैं तो वह आमदनी का हिस्सा जो व्यापारियों द्वारा धर्मादे के नाम से अलग निकाला गया है, जिस मकसद से उन्होंने निकाला है उस मकसद की पूर्ति नहीं होती है तो वे इस प्रकार की रकम देना बन्द कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्यापारी चाहते हैं कि उनके द्वारा दी गई धर्मादे की रकम का कुछ हिस्सा गौओं को पानी पिलाने में, कुछ हिस्सा आदमियों को पानी पिलाने के काम में, कुछ शिक्षण संस्थाओं के काम में और कुछ हिस्सा और अन्यान्य धर्मादे के कामों में देना है, वे यह भी सोचते हैं कि जिस जगह के आदमी उनके पास एप्रोच ज्यादा होते हैं, जिस जगह के लोगों से उनकी आमदनी ज्यादा होती है, जिस जगह से ज्यादा आड़त आती है और उन जगहों के आदमी उनके पास आकर कहते हैं कि धर्मादे की रकम का कुछ हिस्सा उनके स्थानों पर भी दिया जाय; तो ऐसी जगहों पर वे व्यापारी कुछ ज्यादा रुपया देना पसन्द करते हैं पर जहां तक ऐसी समिति बनाने का सवाल है उस सूरत में व्यापारी जो धर्मादे की रकम निकालते हैं उस रकम का खर्च करना व्यापारियों के हाथ में नहीं रह कर उस समिति के हाथों में चला जाता है और उस समिति में जैन समाज के लोग नहीं हैं और जैन समाज के कार्यों में वह समिति पैसा खर्च नहीं करती है तो जैन लोग, जिन्होंने बहुत अधिक मात्रा में धर्मादे की रकम दी है वे यह खयाल करेंगे कि मेरी जिस धर्म में मान्यता है और उस धर्म के

[श्री चांदमल मेहता]

कार्यों में पैसा खर्च करने के लिये मैंने यह रकम दी है पर वह रकम उन कामों में खर्च न की जाकर अन्य धर्मों के कामों में खर्च की गई है तो वह धर्मादे की रकम भी देना बन्द कर सकता है। अगर व्यापारी तय कर ले कि सरकार की ओर से इतनी इतनी दिक्कतें पेश आती हैं, रजिस्टर्ड कमेटी आदि का नियन्त्रण है, कई तरह की और ओर पाबन्दियां हैं और मेरी आमदनी में से जो पैसा जिस धर्मादे के काम के लिये निकाला गया उस काम में नहीं जा रहा है तो वह दान देना बन्द कर सकता है और ऐसी स्थिति में धर्मादे के जो बडे बडे काम आज चल रहे हैं वे बन्द हो सकते हैं। मन्त्री महोदय ने फरमाया कि गडबडी नहीं की जा सकती। पर मेरा निवेदन यह है कि गडबडी हो सकती है, गडबडी अगर किसी को करनी है तो वह धर्मादे के नाम से रकम जमा करेगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर व्यापारी १ रुपया ६ आना वसूल करता है उसमें से चार आने आड़त के और दो आने धर्मादे के। तो जो बेचने-खरीदने जाता है वह यह देखता है कि किस दुकान से कम खर्चा पडेगा, वहीं से खरीदा-बेचा जाय। वह यह नहीं देखता कि धर्मादे के कितने पैसे निकाले जाते हैं बल्कि वह तो वहां जाता है जहां कम खर्च पडता है। अब जिस व्यापारी को गड़बड़ करना है तो वह धर्मादे की रकम जमा ही नहीं करेगा क्योंकि कोई कानून नहीं है जिसके जरिये उसको मजबूर किया जा सके कि वह धर्मादे को रकम वसूल करे ही। वह आड़त न बढ़ा कर उतनी ही रकम वसूल कर सकता है।

व्यापारी ईमानदारी से धर्मादे की रकम बही खाते में जमा करता है, पर मन्त्री महोदय अगर इस पर तुले हुए हों तो मैं उन्हें निवेदन कर देना चाहता हूं कि व्यापारी इस तरह की गडबड कर सकते हैं, मन्त्री महोदय को मालूम नहीं कि कलकत्ता मद्रास में क्या असर हुआ ? अगर मन्त्री महोदय वहां के व्यापारियों में रहे हुए होते तो ऐसी कार्यवाही करने का साहस नहीं करते। कलकत्ता और मद्रास के व्यापारियों ने निर्णय किया कि सरकार नियन्त्रण करना चाहती है तो हमें एक ही रास्ता अख्त्यार करना है कि धर्मादे के नाम से न रख कर दो आने, तीन आने जो भी धर्मादे के लेते हैं वह आड़त में बढा दिये जायें और नतीजा यह हुआ कि जिन व्यापारियों के यहां लाखों करोडों रुपया सालाना धर्मादे का जमा होता था, जिनके पास से लाखों करोडों रुपया सालाना राजस्थान में आता था और अन्य कई प्रान्तों में जाता था वह बन्द हो गया। उसी तरह की अडचनें यहां भी आ सकती हैं कि जो पैसा वे लोग स्वेच्छा से धर्म के कार्यों के लिये देते हैं उस पर सरकार नियन्त्रण करना चाहती है, तो इस सारी चीज को ही खत्म कर दिया जाय।

यदि मन्त्री महोदय इस कानून के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था करते कि धर्मादे की अमुक रेट लेना आवश्यक होगा तो यह गडबडी करने का मौका नहीं आता कि अमुक व्यापारी ने धर्मादे की रकम लेना बन्द कर दिया है। ऐसा नहीं किया है तो फिर इस क्लाज के जरिये बहुत अडचन पैदा हो सकती है और धर्मादे के जो बहुत बडे बडे काम आज चल रहे हैं वे सब बन्द हो सकते हैं। पर माननीय मन्त्री महोदय डिटरमिन्ड हैं कि इस क्लाज को रखा जाय और मैं वादे के साथ कहता हूं कि वे इसे रखेंगे और आने वाले जमाने में लोग बाग राजस्व मन्त्रीजी को याद करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्लाज रखा था, जिससे धर्मादे के जितने बडे बडे काम होते थे वे बन्द हो गये, इनको आने वाली पीढ़ी याद करेगी। मैं इस कार्यवाही में अपना सहयोग देना नहीं चाहता इस लिये मैंने उचित समझा कि मैं इसका

[श्री चांदमल मेहता]

विरोध करूं। मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से अदब के साथ निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें। मद्रास बम्बई में क्या हुआ है, इसके बारे में वहां के व्यापारियों से राय लें कि क्या स्थिति हुई। इस क्लाज को पोस्टपोन करके कलकत्ता और मद्रास के व्यापारियों की इस बारे में राय लें और राय लेने के बाद जैसा उचित समझें वैसा करें।

मैं तो यही कहूंगा कि यह क्लाज दान पुण्य के जरिये जो अच्छे अच्छे काम होते हैं, धर्मादे के जरिये बड़े बड़े पुण्य कार्य होते हैं उन्हें बन्द करने वाला क्लाज होगा। मन्त्री महोदय को यह नहीं समझ बैठना चाहिये कि धर्मादे की रकम में व्यापारी गडबड नहीं कर सकेंगे। व्यापारी चाहें तो गडबड कर सकते हैं। अगर उन्हें गडबडी करनी ही है तो वे बही खातों में धर्मादे के नाम से जमा हो नहीं करेंगे।

तो अन्त में बहुत नम्रता के साथ मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पहलू पर फिर से विचार करें और दांता रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

रावत श्री शंभूसिंह—दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष, धर्मादे के नाम से जो व्यापारी रकम देते हैं उनके ऊपर नियन्त्रण लगाने के लिये यह क्लाज रखा गया है। पहले इब्तदाई बिल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सिलेक्ट कमेटी में इसकी व्यवस्था की गई है। जो इब्तदाई बिल था उसमें भी मोडिफिकेशन और नम्रता करने की आवश्यकता थी, पर बजाय उसको नम्र बनाने के यह एक नया क्लाज जोड कर इस बिल को और भी जटिल बना दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह क्लॉज पास हो जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि व्यापारी लोग जो धर्मादे की रकम इकट्ठी करते हैं और धर्मार्थ के कामों में लगाते हैं वे लोग रकम इकट्ठी नहीं करेंगे और इससे पुण्यार्थ के कामों में जो इससे चलते हैं उनमें बाधा पहुंचने लगेगी क्योंकि व्यापारियों के पास इस वक्त भी ऐसे कई स्टेटमेंट हिसाब के रखने पड़ते हैं और सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ते हैं और यह एक फिर एडीशनल स्टेटमेन्ट और हिसाब किताब मेन्टेन करना और स्टेटमेन्ट तैयार करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा और वे लोग यह उचित समझेंगे कि इस झगड़े में क्यों पड़ा जावे। अगर सरकार यह चाहती है कि इस प्रकार रकम जो धर्मादे के नाम से इकट्ठी होती है वह ठीक तरह से उपयोग में नहीं लाई जावेगी तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की रकम जो इकट्ठी होती है उसका नियंत्रण व्यापारियों द्वारा की गई संस्था द्वारा होता है और वह संरक्षण एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता। यदि एक व्यक्ति के हाथ में रकम का नियंत्रण रहे तो इसमें गड़बड़ होने की संभावना भी हो सकती है। मगर जहां इस प्रकार का प्रबन्ध होता है वहां पर रकम में गड़बड़ी होने की आशंका बहुत कम रहती है।

इसके अलावा इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा यह रकम संग्रह की जाती है उसको ट्रस्टी मानने का विधान है। मैं यह कहूंगा कि शहर में हजारों व्यापारी होते हैं और यह रकम हजारों व्यापारियों

[रावत श्री शंभुसिंह]

के द्वारा इकट्ठी की जाती है तो क्या इसके हजारों ट्रस्टीज बनेंगे । इसके साथ २ इसमें यह भी है कि वह रकम एक हजार से ऊपर की होनी चाहिये। इसमें अध्याय २ के प्रावधानों के नियम लागू नहीं होते हैं और क्लॉज २ के अनुसार इसको विवश नहीं किया जाता कि एक हजार से ऊपर होते ही हिसाब दे । तो यह बात आती है कि कम से कम रकम हो तो भी हिसाब उसके लिये देना पड़ेगा । तो मैं समझता हूं कि यह काम कैसे चलेगा ? हजारों व्यापारी होते हैं उनका दान संग्रहित किया जाता है । इसलिये जिस व्यक्ति द्वारा दान संग्रह किया जाता है उसको ट्रस्टी माना जावेगा तो यह बहुत ही असुविधाजनक होगा क्योंकि इसमें कोई वेल्युएशन नहीं हो सकेगा और संग्रह करने वाला जो व्यक्ति होता है वह इसको एक ऐसे पुन्यार्थ कार्य में लगाता है जिसमें लगाना वह जरूरी समझता हो और किसी जगह वह रकम बड़ी नहीं होती है तो वह दूसरे चन्दे से जो रकम होती है उसका प्रयोग करता है । जैसे किसी दूसरे पुण्यार्थ काम में इकट्ठी की हुई रकम होती है वह भी शामिल कर दी जाती है । कहने का तात्पर्य यह कि कई पुण्यार्थ के मामलों की रकम जो इकट्ठी की हुई होती है वह ५ या ७ प्रकार के धर्मादे से इकट्ठी की हुई होती है और वह सब पुण्यार्थ कार्य में खर्च की जाती है । तो व्यापारी लोग किस तरह से उसका हिसाब रखेंगे ? इसका परिणाम यह होगा कि जो धार्मिक कार्य उन रकमों द्वारा चलते हैं वे बन्द हो जावेंगे । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्लॉज १५ ए को विलोपित कर दिया जाए ।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज १५ ए जो है, यह कानून जिस समय सदन में आया था उस समय नहीं थी । यह क्लॉज सिलेक्ट कमेटी में इस कानून के जाने के बाद में केवल माननीय मंत्री महोदय की इच्छा से ही जोड़ा गया है । मुझे कहना तो नहीं चाहिये क्योंकि सिलेक्ट कमेटी की बात आउट नहीं करनी चाहिये लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस क्लॉज को जोड़ने की किसी की भी मर्जी नहीं थी । यह क्लॉज केवल माननीय मंत्री महोदय की इच्छा से जोड़ा गया। यह क्लॉज इस बिल को कलंकित करनेवाला क्लॉज है, इस बिल को काला बनाने वाला क्लॉज है । इसके कारण राजस्थान में जो करोड़ों रुपयों का धर्मादा वसूल होता है वह केवल धार्मिक कार्यों में ही खर्च नहीं होता वह दूसरे कार्यों में भी खर्च होता है । इसके नहीं होने से आपको ही नुकसान होगा क्योंकि वह विकास के कार्यों में भी खर्च होता है । मैं यह कहूंगा कि कई स्कूलों में यह रकम खर्च होती है और लोग धर्मादा देकर स्कूल बनाते हैं । मैं यह बता देना चाहता हूं कि फतहनगर का एक कस्बा है जहां पर धर्मादे के ५० हजार की रकम इकट्ठी करके स्कूल खोला गया । वह एक मामूली कस्बा है । अगर कोई यह चाहता है कि सरकार वहां पर स्कूल बनाए तो कोई चाहे जितनी भी कोशिश और प्रयत्न करे मगर कस्बा इतना बडा नहीं है कि सरकार वहां कुछ करती । मगर महज धर्मादे के कारण वह स्कूल वहां पर हो सका । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि केवल प्रताप नगर ही नहीं दूसरे भी अच्छे २ कार्यों में रकम खर्च की जाती है । मगर जब आप नियंत्रण लगा देंगे तो लोग धर्मादा देना बन्द कर देंगे और इसका यह मतलब होगा कि जो लोग अभी एक आना या दो आना धर्मादा का देते हैं वे लोग नहीं देंगे । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज पब्लिक के धर्मादे को बन्द करने वाला क्लॉज है और मैं यह कह सकता हू कि इससे धर्मादा देना लोग बन्द कर देंगे । गवर्नमेन्ट को चाहिये कि धर्मादे के मामले में कोई ज्यादती न करे । मगर चूंकि माननीय मंत्री

[श्री जगतसिंह झाला]

महोदय की मर्जी से यह रखा गया है इसलिये वे इसको इच्छा होते हुए भी कैसे वापिस ले सकते हैं, यह तो उनके प्रेस्टिज का प्रश्न है। इसलिये इसको बराबर प्रेस करते हैं। मैं यह कहता हूं कि यह क्लॉज इस बिल के लिये कलंक की बात है। हम तो इस काले क्लॉज को पास कराने में शरीक होना नहीं चाहते क्योंकि राजस्थान में हजारों-लाखों रुपया धर्मादे के रूप में अच्छे २ कामों में खर्च होता है। इस पर आप नियंत्रण करके इसको बन्द करना चाहते हैं।

केवल इतने ही शब्द कहकर मैं निवेदन करूंगा कि अगर माननीय मंत्री इसको वापिस ले लें तो यह कानून जो इतना बुरा मालूम होता है उसी में संतोष हो सकेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लाज १५ ए का बहुत विरोध किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि सिलेक्ट कमेटी में इस क्लाज को मेरे कहने से ही इन्सर्ट किया। मैं समझता हूं कि यह सिलेक्ट कमेटी ने ही इन्सर्ट किया है और यहां पर इसका विरोध किया जाता है। मैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें नोट ऑफ डिसेन्ट किसी का भी हो मगर जैसा कि यह कहा जाता है कि इस क्लॉज के लिये किसी और की राय नहीं थी, यह ठीक नहीं है। इस प्रकार की प्रोविजन बम्बई में है। इसका कोई बहुत बड़ा विरोध करना और यह कहना कि धर्मादे नाम की चीज उठ जावेगी, यह उचित नहीं है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि आज जो प्रथा चल रही है उसमें किसी प्रकार का चेन्ज नहीं किया जावेगा। आज भी जो बात है, जगह जगह व्यापारी व्यापार करते हैं और जगह जगह मंडियों से अपना अपना धर्मादा वसूल करते हैं और इसके लिये धर्मादे की एक कमेटी बनी हुई है, उसकी मारफत यह रुपया खर्च किया जाता है। ठीक है। मगर अभी ५० व्यक्तियों में से ४५ व्यक्ति अपना चन्दा जमा कराते हैं और ५ व्यक्ति जमा नहीं कराते हैं तो किसी प्रकार से कानूनी अधिकार कमेटी या समिति को नहीं है कि वह उनसे किसी प्रकार से रकम वसूल कर सके। इस क्लॉज द्वारा किसी प्रकार से इस प्रोविजन में एग्जिस्टिंग प्रेक्टिस को लीगल सेंक्शन दी गई है। हमने इसमें किसी तरह से भी एसिस्टेन्ट कमिश्नर को दखल देने का अधिकार नहीं दिया है। मैं इस क्लॉज को थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं जिससे आपको मालूम हो जावेगा कि वास्तव में बात क्या है: "Where according to the customs or usage of business or trade or agreement between the parties any amount is charged to the said transaction or collected under whatsoever name has been intended to be used for charitable and religious purpose, the amount so charged or collected shall vest in the person charging or collecting it as a Trustee." पहली बात तो इसमें यह है कि धर्मादा किसी नाम से प्रस्तुत करेगा वह ट्रस्टी होगा। इन्सर्ट नहीं करें तो he automatically becomes a trustee for that purpose and I need not specifically make such a provision तो उसके ट्रस्टी बनने को एतराज है क्या ? इसीलिये तो मैं अर्ज करूंगा कि जो आदमी धर्मादे के कार्य के लिये रकम वसूल करता है वह उसका ट्रस्टी है। अगर वह खुद के काम में लाता है उस पैसे को तो एतराज है, अगर वह रिलीजियस परपज के लिये उस रकम को काम में नहीं लाता है तब तो वह criminal breach of trust का गिल्टी है। इसमें हम कोई नयी बात इन्सर्ट नहीं कर रहे हैं, जो धर्मादा चार्ज करता है वह उसका ट्रस्टी है for all purposes.

Page No 48

[श्री दामोदरलाल व्यास]

दूसरी बात इसमें यह है "Any person charging or collecting such amounts shall within three months from the expiration of the Accounting Year submit an account in the prescribed form to be the Assistant Commissioner."

इसमें जो दूसरी बात है उस पर ज्यादा एतराज किया जाता है कि हिसाब के मामले में अगर इस प्रकार की पाबन्दी रखी गई तो धर्मादे का कोई हिसाब नहीं रखेगा। जहां तक अकाउन्टिंग के क्लॉज को रखने का सवाल है जब कि इस पर बहुत एतराज है तो मैं इसको डिलीट करने के लिये तैयार हूं। साल भर में असिस्टेंट कमिश्नर को अकाउन्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं For that purpose, with your permission, I have moved, "That sub-clause (2) may be deleted."

श्री अध्यक्ष—The withdrawal is absolute.

श्री दामोदरलाल व्यास—I think the hon'ble member from Danta-Ramgarh will agree that this sub-clause may be deleted. और इसमें पोइन्ट है, 'amount so charged' कोई नहीं सिवाय इसके कि देवस्थान डिपार्टमेंट के और कोई डिपार्टमेंट नहीं। अकाउन्ट सबमिट करने के बारे में जो माननीय सदस्यों को एतराज था I have submitted that it may be deleted.

The third point is that the amount so charged or collected shall be applied in such manner as the committee elected in the prescribed manner from amongst the persons engaged in the trade or business may direct.

इसमें क्या है, जिस बिजनेस के वे लोग हैं वे सब मिलकर अपनी एक कमेटी मुकर्रर करेंगे जो ऑलरेडी बनी हुई है। एग्जिस्टिंग प्रेक्टिस में है, जगह जगह पर जहां मंडियां हैं वहां इस प्रकार की कमेटियां हैं उन कमेटियों के पास धर्मादे का पैसा जमा होता है। जिस प्रकार जयपुर में ग्रेन मर्चेन्ट्स की एक कमेटी है जिसमें काफी पैसा धर्मादे के रूप में वसूल होता है, जिसकी ओर से धर्मशाला भी चलती है; ऐसी कमेटीज को लीगल सेंक्शन देने के लिये ही मैंने यह क्लाज इन्सर्ट किया है। अब रहा सवाल, वह रकम किस तरह से खर्च होती है? वह तो पैसा उस कमेटी की हिदायत के माफिक खर्च होता है क्योंकि वह इलेक्टेड कमेटी होती है, गवर्नमेंट द्वारा नोमीनेटेड नहीं।

This is the existing practice as I said earlier.

"The Assistant Commissioner shall have power to make such enquiry as he thinks fit to verify the correctness of the accounts submitted to him." I think the Asstt. Commissioner shall have power to make such enquiries to verify the correctness of the accounts of individual businessman but such enquiry shall be made only on a complaint being made by the committee or a member of the committee.

इस प्रकार की लेंग्वेज इनसर्ट हो जायगी।

This is the only power given to the Assistant Commissioner, Devasthan.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

अगर उस कमेटी के मेम्बर्स को यह शिकायत होगी, उन्होंने अकाउन्ट टेन्डर नहीं किया तो वैसी हालत में असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान को यह अधिकार होगा उसके अकाउन्ट चेक करने का।

Then only the Asstt. Commissioner, Devasthan will have the power and right tc inspect the accounts, otherwise not. I think this is a most harmless provision.

मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इससे क्या इन्टरफिअरेन्स होगा ? बहुत ज्यादा अकाउन्ट्स के बारे में एतराजात थे उसको मैंने डिलीट करने को मंजूर कर लिया है।

क्लॉज फोर्थ है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर को कोई शिकायत करेगा कि अमुक हिसाब ठीक प्रकार से नहीं रखता है और जो कमेटी बनी हुई है उसकी इच्छा के माफिक रकम खर्च नहीं कर रहा है, वैसी हालत में इस क्लॉज का प्रयोग होगा।

यह भी कहा गया माननीय अध्यक्ष, मैंने अपनी प्रेस्टिज का सवाल बना रखा है; मैं आपसे बिल्कुल ठीक अर्ज कर रहा हूं, जिसको मैं उचित समझता हूं उसे मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। धर्मादा तो दूसरे आदमियों से वसूल किया जाय, किसानों से वसूल किया जाय जो उसके ट्रस्टी होते हुए भी अगर उस रुपये का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाये। वे लोग जिनसे पैसा लिया जाता है वे जिस काम पर खर्च करवाना चाहते हैं उस जगह खर्च न किया जाकर अपने व्यापार में खर्च कर ले, अपने निजी कार्य में खर्च कर लेते हैं तो ऐसी हालत में तो कुछ कानूनी कार्यवाही होना जरूरी है। मैं तो यह मानता हूं और यह कॉमन लॉ भी है कि जो व्यक्ति धर्मादे की रकम वसूल करता है वह उसका ट्रस्टी होता है। यह मेरी ही मान्यता नहीं बल्कि कॉमन लॉ से वह ट्रस्टी है, उसको खर्च करने का अधिकार होना चाहिये। मैंने जैसा कि अर्ज किया इसमें कोई चीज ऐसी नहीं रखी गई है या कोई नई चीज इन्सर्ट की गई हो वह बात नहीं। इसी प्रकार का प्रोविजन बम्बई में है। वहां रजिस्ट्रार चेरिटी को सब पॉवर्स दिये गये हैं, यहां कोई पॉवर्स नहीं थे इसलिये ये पॉवर्स देना जरूरी समझा गया, इसलिये यहां रखा गया। इसके अलावा यह भी रखा है कि अगर वह कमेटी शिकायत करे कि इसने धर्मादे का हिसाब ठीक नहीं रखा है या अकॉर्डिंग टू डाइरेक्शन नहीं किया है तो कानूनी आधार कुछ होना चाहिये। न तो कोई मामला मैंने प्रेस्टिज का बना रखा है। इसमें प्रेस्टिज का कोई सवाल ही नहीं, हाउस जिस क्लॉज को रखेगा वह रहेगा, डेमोक्रेसी में प्रेस्टिज का कोई सवाल नहीं। पर्टिकुलरली आइ एम नोट कन्सर्न्ड विथ दिस (Particularly I am not concerned with this)। माननीय सदस्य जो प्रेस्टिज की बात कह रहे हैं वैसी बात नहीं, उनका मेरी प्रेस्टिज की बात मानना गलत होगा। यह बात भी जरूरी नहीं कि हर बात आपकी मान ही ली जाय इसमें न कोई जिद है जो कोई आवश्यक संशोधन समझा गया उसको इन्सर्ट किया गया और वह सिलेक्ट कमेटी ने किया है। और जिस सब-क्लॉज (२) पर आपको एतराज था उसको डिलीट करना स्वीकार कर लिया है; इसके अलावा दूसरे सब-क्लॉजेज में जो कॉन्सीक्वेन्शियल चेन्ज होंगी वह चेन्ज हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--Is it compulsory ?

श्री दामोदरलाल व्यास--It is not at all compulsory.

श्री अध्यक्ष--That is an implied usage.

श्री दामोदरलाल व्यास--That is what I say.

श्री अध्यक्ष--But if some party refuses to pay, is there any provision to force that man to pay 'dharmada' ?

श्री दामोदरलाल व्यास--There cannot be any such provision. If in any trade or business according to the custom or usage any amount is charged by a businessman by whatsoever name as 'dharmada' then he is a trustee for that.

श्री भैरूं सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन के विरोध में अभी जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें माननीय अध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्री ने दो बातें स्पष्ट रूप में रखी हैं। पहली बात तो यह कि अगर किसी भी व्यापारी या किसी भी आदमी द्वारा धर्मादे के रूप में कुछ रकम लगायी जाती है या जिस व्यापारी को वह रकम दी जाय वह इस कानून के अन्तर्गत ओटोमेटिकली उसका ट्रस्टी है। लेकिन अगर वे सार्वजनिक प्रन्यासधारी की परिभाषा देखें, उसके आगे जितने भी प्रावधान हैं उन सब को देखें तो ऐसा पता लगता है...........

श्री दामोदरलाल व्यास--क्यों आप हेर फेर कर कहने की कोशिश करते हैं ?

श्री भैरूं सिंह--(जारी रखते हुए) मैं आपके मुंह से यह कहलवाना चाहता हूं कि वे क्लीयर ट्रस्टी हैं, उसके लिये अलग से प्रोवीजन करने की आवश्यकता नहीं। अगर वे ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टीज के लिये जो सामान्य नियम हैं। उनके नियमन और पंजीयन की बात तो सोची जा सकती है। लेकिन इस चीज की आवश्यकता न समझ कर मैं ऐसा कह सकता हूं कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं इसलिये अध्याय दो के प्रावधान धर्मादे पर लागू नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से राजस्व मंत्री कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार की धन राशि एकत्रित करता है वही उसका ट्रस्टी है, तो फिर जैसे १५ ए के उप-खंड (१) के अनुसार प्रन्यासधारी और सार्वजनिक प्रन्यासों में एक प्रकार से कोम्पलीकेशन्स पैदा होंगे।

माननीय मंत्री महोदय का ध्यान धार्मिक प्रन्यासों को जो परिभाषा दी है, सार्वजनिक प्रन्यासों की परिभाषा दी है या वे व्यापारी जो पैसा लेने वाले प्रन्यासधारी हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं।

तब तीनों चीजों की अलग परिभाषा देकर अलग स्वीकार कर लिया है तो यह सुपरफ्लुअस हो जाता है और कानून में सुपरफ्लुअस चीज नहीं रखनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये यह आवश्यक होगा, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस धर्मादे के उप-खंड (१) को हटा देना चाहिये। उप-खण्ड (२) राजस्व मन्त्री ने हटा दिया। अब उप-खंड तीन आता है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैंने यह पहले भी निवेदन किया था कि व्यापारी लोगों की समिति बनेगी और यदि कानून नहीं भी है तब भी व्यापारियों की समिति बनती है, यह भी सही है। इसका कोई कानूनी आधार नहीं और इस कानून के अन्तर्गत जो समिति बनेगी उसका ऐसा कानूनी आधार होगा। पर उपाध्यक्ष

[श्री भैरूंसिंह]

महोदय, हमें इन समितियों के काम से इस बात का ज्ञान हासिल करना है कि इन समितियों में झगड़ा किस बात का होता है ? एक व्यापारी वर्ग जो पैसा इकट्ठा करता है उसकी मंशा यह होती है कि इस धन राशि को अमुक काम में खर्च किया जाय, पर दूसरी समिति जिसका कि कानूनी आधार है उसमें ऐसे व्यक्ति चुन कर आ जाते हैं जो पहली समिति की मंशा से विपरीत काम करना चाहती है और किसी और काम में वह धन खर्च करना चाहती है तो झगडा होता है। इन दोनों चीजों को लेकर जो झगडा बढता है ऐसी स्थिति में अगर इस बाद में बनने वाली समिति को कानूनी रूप दे दिया गया तो ये उन लोगों को पाबन्द करेंगे कि हम जिस प्रकार से निर्देश दें उस तरह से इस रकम को खर्च किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारी एक स्पिरिट से अपने क्षेत्र में चन्दा लेकर कुछ पैसा किसी खास काम के लिये इकट्ठा करते हैं। अब यदि उनको यह पता लगेगा कि जो पैसा इतनी लगन से उनके अपने मन चाहे काम पर खर्च करने के लिये इकट्ठा किया है उसको खर्च करने का उनको अधिकार नहीं है और उस इलेक्टेड समिति में कुछ या अधिक ऐसे लोग पहुंच गये जो धर्म में विशेष रुचि नहीं रखते या हिन्दुओं की समिति में मुसलमान हों या मुसलमानों की समिति में हिन्दू हों, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बन्दिश नहीं है, कोई भी चुन कर आ सकता है, तो उन लोगों की राय उस पैसे को और किसी काम में खर्च करने की हुई तो इसका स्वाभाविक फल यह होगा कि लोग फिर चन्दा देना बन्द कर देंगे और जो धार्मिक काम आज चल रहे हैं वे भी समाप्त प्रायः हो जायेंगे। इसमें यह भी कोई बन्दिश नहीं कि हिन्दुओं की समिति में हिन्दू ही हों, सारे के सारे मुसलमान भी हो सकते हैं और मुसलमानों की समिति में सारे के सारे हिन्दू भी हो सकते हैं; तो इस तरह से इनके इकट्ठे किये गये पैसे का एक दूसरा कैसे उपयोग कर सकेगा ? इसमें झगडे बखेडे खडे होंगे। हिन्दुओं में भी आपस में कई प्रकार के मत-मतान्तर हैं। एक मत ऐसा भी है जो दान की चीजों में विश्वास नहीं करता, पैसे के दान में विश्वास नहीं करता। वे हमेशा इस बात की कल्पना करते हैं कि हम जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं उसे इकट्ठा न किया जावे, मैटीरियल इकट्ठा किया जावे। अब पैसा इकट्ठा करने वाला दुकानदार हिन्दू है वह हमेशा यह चाहेगा कि हिन्दुओं के मन्दिरों में पूजा पाठ में वह पैसा खर्च किया जावे, गौशालाओं में खर्च किया जावे; पर अगर कोई समिति में सिक्ख आ गया तो वह नहीं चाहेगा कि वह पैसा मन्दिरों में खर्च किया जावे, वह तो यही चाहेगा कि इसे गुरुद्वारे में खर्च किया जाय। इसी तरह से सिक्खों का पैसा इकट्ठा किया हुआ है और वे चाहते हैं कि वह पैसा गुरुद्वारों में खर्च किया जाय, पर समिति में कोई जैन आ गया तो वह यह चाहेगा कि यह जैन मन्दिर में खर्च किया जाय।

हमने आगे चलकर प्रन्यासधारियों की व्यवस्था की है, पर हमने इसके लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की। मसलन उदयपुर में बोहरों का पैसा जावेगा वे मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं। उनकी यह इच्छा रहेगी कि यह सारा का सारा पैसा या तो मस्जिद में खर्च किया जाय या अल्लाह-ताला रहीम के किसी काम में खर्च किया जाय। वे यह भी पसन्द नहीं करेंगे कि वह पैसा हिन्दुओं के किसी काम में खर्च किया जाय या गोशाला में खर्च किया जाय। इसी तरह से जैनियों में श्वेताम्बर-दिगम्बर हैं वे एक दूसरे के काम में अपने पैसे को खर्च करने को पसन्द नहीं करेंगे। पर हमने तो सबके लिये निर्देश दे दिया कि यह सारा पैसा उसी तरह से खर्च होगा जिस तरह से समिति निर्देश देगी। अब समिति

[श्री भैरूसिंह]

में एक मत का बहुमत भी हो सकता है और पैसा इकट्ठा करने वाले दूसरे मत के हो सकते हैं। दूसरे मत वाले पर एक मत वाले का प्रभुत्व हो जायगा। एक मत वाले फिर दूसरे मत वालों को बात मानेंगे नहीं और अगर मान लेंगे तो दूसरा मत वाला पैसे इकट्ठे नहीं करेगा और इसका परिणाम उन संस्थाओं और कार्यों पर पडेगा जो आज ऐसे पैसे से पनपते हैं, गौशालाओं का काम भी इससे ठप्प होगा, किसी विद्यार्थी को अगर वजीफा देने में काम आता है तो वह भी रुकेगा और भी इस तरह से अन्य धार्मिक और पुण्य कार्य समाप्त हो जावेंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए प्रावधान इस बिल में करना चाहिये था।

पर यह कहा जाता है कि पैसा तो किसानों से इकट्ठा किया जाता है, मैं इसे चैलेन्ज देता हूं और कहता हूं कि राजस्थान के किसानों को आड में एक विशेष वर्ग चाहता है कि धर्म नाम को कोई चीज बची न रहे और वह वर्ग एक जाटवाद के रूप में राजस्थान को सरकार पर छाया हुआ है। राजस्व मंत्री चाहते भी हैं, पर आज उनकी हिम्मत इस जाटवाद के खिलाफ जाने की नहीं हो रही है। उनकी हिम्मत नहीं कि इस गुट्ट विशेष का सामना करने को तैयार हो जावें। कुछ ऐसा देखने में आया है कि सरकार को प्रेस्टिज का भी यह प्रश्न नहीं है पर दबाव है इन लोगों का और यह दबाव भी इतना तेज है कि धर्मों की पन्थों की रकम भले ही खतम हो जावे, धर्म नाम की चीज समाप्त हो जावे पर उनको नाराज करने का प्रश्न इनके सामने नहीं है क्योंकि एक तारीख को मंत्रीमंडल का भी पुनर्गठन होने वाला है और इसमें उन लोगों का भी एक बडा हाथ है इस वास्ते हमारे राजस्व मन्त्री महोदय को भी उसमें रहने की ख्वाहिश है। पर मैं कह दूं कि अगर धर्मादा खाते पर, उसकी रकम पर इस तरह इस पद के लालच के खातिर हमला भी किया जाता है तो भी वे पनप सकेंगे ऐसी स्थिति नहीं होगी।

तो ऐसी स्थिति में मैं दुबारा अपील करूंगा कि धारा १, २, ३, ४ में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो स्वीकार की जानी चाहिये। चन्दे के लिये कहते हैं सहायक आयुक्त कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके तीसरे उप-खण्ड में दिया है इसको पढेंगे तो मालूम होगा :

"(३) उक्त रीति से भारित या संगृहीत धनराशि का उपयोग इस प्रकार किया जायगा कि, सम्बन्धित धन्धे या व्यापार में निरत व्यक्तियों से, निर्धारित रीति से, निर्वाचित सदस्यों की समिति निर्दिष्ट करे"।

मतलब यह कि सारे अधिकार उसको दे दिये।

चौथे में है :

"(४) सहायक आयुक्त को उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये लेखे की यथार्थता को मालूम करने के लिये ऐसी जांच करने की शक्ति होगी जिसे वह उपयुक्त समझे, किन्तु ऐसी जांच तभी की जायगी जब कि उप-धारा (३) में उल्लिखित समिति या उसके किसी सदस्य ने ऐसी जांच के लिये निवेदन किया हो।"

कम से कम एक बात तो स्वीकार कर लेना चाहिये कि यदि कोई समिति को शिकायत हो तो सहायक आयुक्त जांच करले, यह तो समझ में भी आ सकता है पर यह एक ताज्जुब की सी बात है

[श्री भैरूसिंह]

कि शिकायत करने का अधिकार समिति को और इसके साथ साथ इन्डिविजुअल व्यक्ति को सदस्य को भी अधिकार देते हैं आप। अगर इन्डिविजुअल को शिकायत है तो वह अपनी शिकायत समिति में रक्खे और समिति अगर उस शिकायत की बोनाफाइडी में सन्देह न करे तो समिति सहायक आयुक्त के समक्ष प्रार्थना-पत्र भेजे कि अमुक मामले में जांच की जावे। पर समिति के इन्डिविजुअल सदस्य को यह अधिकार देना कतई उपयुक्त नहीं है। अगर समिति के सदस्य ने जो शिकायत की है वह समिति की निगाहों में झूठी है तब भी उस इन्डिविजुअल सदस्य को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह भी जांच के लिये आवेदन-पत्र दे दे और समिति के मरजी के खिलाफ भी वह जांच कराए। तो यह बात रखना आवश्यक नहीं है और अगर वे इसको रखना भी चाहते हैं तो उनको इसे अमेन्डेड रूप में रखना पडेगा। इसके इसी रूप में स्वीकार कर लेने से बडी काम्प्लीकेशंज होंगी। धर्मादे की रकम बन्द हो जावेगी और संघर्ष तीव्रतर होगा। आपको इसमें ऐसी परिभाषा देनी होगी। अगर आप इसको इसी तरह से रखने पर तुले हुए हैं तो समिति ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे दूसरे मतवालों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पडता हो, समिति को उनके धर्म के आचार विचारों का भी ध्यान रखना पडेगा और इलेक्शन में ऐसे व्यक्ति नहीं आ सकेंगे जो उस धर्म को मानने वाले नहीं होंगे। जब हम कानून में यह प्रोवीजन रख रहे हैं कि समिति के निर्वाचन के बारे में कोई भी सदस्य हो सकता है, कोई भी चुनकर आ सकता है तो इससे तो अड़चनें निश्चित रूप से पैदा होंगी। बीडी-सिगरेट बेचने वाला भी व्यापारी बनकर क्लेम कर सकता है। हरेक चाहता है कि इस धर्मादा की रकम पर अधिकार किया जाय।

वैसी सूरत में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं दुबारा निवेदन करूंगा माननीय राजस्व मंत्री से कि यदि वे इस स्थिति को एमेन्डेड रूप में स्वीकार कर लें या उस क्लॉज को डेफर कर दें। डेफर नहीं करते हैं तो सदन के माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है कि इस प्रकार से धर्म के कार्यों को बचाये रखने के लिये इस खंड के विरोध में मत देकर इस धर्मादे की क्लॉज को खत्म कर देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं जरा यह जानना चाहता हूं कि क्या एमेंडमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं वे इस सब-क्लॉज में, यानी उसके सदस्य को बदलने के लिये सारी कमेटी कर सकती है; यह मतलब है ?

श्री भैरूसिंह—मेरा एमेन्डमेंट यह है कि कमेटी के मेम्बर्स जो होंगे वे उस रिलीजियन के आचार-विचार का ध्यान रखेंगे, यह है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सब-क्लॉज को किस एमेन्डमेंट के साथ मन्जूर करना चाहिये, तो वह एमेन्डमेंट क्या है ?

श्री भैरूसिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्डिविजुअल मेम्बर को काम्प्लेन्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि समिति के किसी सदस्य द्वारा जिस काम के लिये पैसा इकट्ठा किया जाय और जो व्यक्ति पैसा इकट्ठा करे तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिये समिति निर्देश देगी। यह चीजें खास तौर से होनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इस 'सब-क्लॉज (४) में से या उसके किसी सदस्य' these words may be deleted. यह प्रस्ताव रखा है। मेरे ख्याल से लास्ट बट वन लाइन (last but one line) में यानी लाइन नं० ३ में वह यह चाहते हैं कि...'में उल्लिखित समिति ने ऐसी जांच के लिये निवेदन किया हो,' यही रहना चाहिये। इसमें यह डिलीट कर दिया जाय 'या उसके किसी सदस्य'। इन शब्दों से माननीय सदस्य जो दांता रामगढ से आये हुए हैं उनका बड़ा एतराज है और उनके एतराज की कद्र करते हुए मैं इनको डिलीट करने को तैयार हूं। 'या उसके किसी सदस्य' these words may be deleted

और बाकी हम रूल्स में प्रोवाइड कर देंगे।

The clause now stands like this. According to this clause the Committee is all powerful and that it will be elected by the persons engaged in that particular trade or profession, and the Government or Government officers do not come in the picture at all. Now if the Committee feels that any individual Vyapari is not behaving properly, is not carrying out the instructions of the Committee, the Committee as a body can make a complaint to the Asstt. Devasthan Commissioner and then the Devasthan Commissioner will interfere, otherwise not. This is the sum and substance of the whole clause.

श्री उपाध्यक्ष—अब क्या आप अपने एमेन्डमेन्ट को ले रहे हैं? क्या वापस यह प्रेस करना चाहते हैं?

श्री भैरूंसिंह—मैं चाहूंगा कि इस क्लॉज को अभी डेफर कर दें तो अच्छा रहेगा। अब भी कई कम्प्लीकेशन्स हैं कि आप किसी आदमी को अधिकार दे रहे हैं कि वह इलेक्शन लड़ सकता है तो फिर आप उसमें रूल्स में पाबन्दी नहीं डाल सकते हैं। यदि कोई आ जाय तो क्योंकि आप धर्म के नाम पर कोई क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हैं कि हिन्दू नहीं, मुस्लिम नहीं होगा या वैष्णव नहीं होगा। उनमें सब होंगे जब कि इलेक्शन का प्रश्न आयेगा तो वे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे कमेटी के कान्स्टीट्यूशन में दिक्कत आयेगी, और दिक्कत के कारण वहां कइयों में संघर्ष हो जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष, कि इस क्लॉज को डेफर कर दिया जाय ताकि इस पर विचार कर लिया जाय और माननीय राजस्व मन्त्री जी चाहते हैं कि उसी रूप में पास किया जाय; तो बहुमत उनके साथ में है, वह पास होगा। फिर भी निवेदन करूंगा कि धर्म के मामले में तकाजे से काम नहीं करें। यदि धीरे से करें तो ठीक रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—डेफर करने का मतलब यह नहीं समझा जाय कि वे इसका फायदा उठा लेना चाहते हैं। It has been discussed in the House. मेरा कोई एतराज नहीं है, यदि यह खंड घंटे, डेढ़ घंटे के लिये वोटिंग के लिये डेफर कर दिया जाय। । आई डू नोट माइन्ड कि भैरूंसिंहजी को सद्बुद्धि आ जाय और अमेन्डमेन्ट को वापिस लेलें।

श्री कंवरलाल जैलिया—यह जनसंघ का प्रचार चाहते हैं।

Page No 55

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि······

श्री दामोदरलाल व्यास—Only voting is to be deferred.

श्री उपाध्यक्ष-और बहस हो चुकी है। आपस में बात करके कोई एमेन्डमेन्ट लाना चाहें तो वे अमेन्डमेन्ट राइटिंग में आ जायं।

श्री दामोदरलाल व्यास--एक घंटे भर के लिये डेफर कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि इस क्लॉज को स्थगित कर दिया जाय एक घंटे के लिये ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है। जो बहस हो चुकी है वह दुबारा आवश्यक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं साहब केवल voting is deferred.

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज १६, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता--मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूंसिंह—मैं भी मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड १६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड १७, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता--माननीय उपाध्यक्ष, खंड १७ पर मेरे २ एमेन्डमेन्ट्स हैं। पहला एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:--

"उप-खंड (२) की पंक्ति नं० ४ में 'या' शब्द तथा उसके बाद के इस उप-खण्ड के कुल शब्द सिवा अन्त में शब्द 'किया जायगा' का लोपन किया जावे।"

और दूसरा है:--

"उप-खण्ड (४) का, अन्यथा इसकी अन्तिम तीनों पंक्तियों का लोपन किया जावे"।

[श्री चांदमल मेहता]

जहां तक मेरे पहले संशोधन का ताल्लुक है उप-खण्ड (२) में यह शब्द है; मेरा मतलब यह है कि इस हद तक उप-खण्ड (२) लागू किया जाय :—

"...लेखाओं का अंकेक्षण प्रति वर्ष ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट (३८ आफ १९४९) के अर्थ में, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैं।"

केवल यह शब्द रखे जायें और आगे के शब्द :—

"..या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जावें, अथवा ऐसे हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास के मामले में, जिसकी कुल वार्षिक आमदनी एक हजार रुपये से अधिक नहीं है, सहायक आयुक्त द्वारा सामान्य या विशेष आज्ञा के जरिये अनुमोदित किसी व्यक्ति द्वारा,..." इसको विलोपित कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज उस क्लॉज से सम्बन्ध रखता है कि जिस क्लॉज का हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास के जो हिसाबात हैं, जो लेखा है, उनके आडिट करने का सम्बन्ध है। इस आडिट करने के सम्बन्ध में जहां तक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट करवाने का सम्बन्ध है उससे मेरा कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो व्यवस्था की गई है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनको कि सरकार मुनासिब समझे उनसे इसकी जांच करवा ली जाय। मैं इन शब्दों को विलोपित करने के पक्ष में हूं। मेरी ऐसी मान्यता है कि जहां तक किसी एकाउन्टेन्ट के जांच करने का ताल्लुक है, जो इसके विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जांच करवाना चाहिये। जब ऐसी व्यवस्था है इस धारा में कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के जरिये जांच की जायगी तो फिर कोई वजह नहीं है कि ऐसे अधिकार दिये जांय कि सरकार के किसी भी आदमी के द्वारा जांच करवाई जाय या सहायक आयुक्त जिस आदमी को मुनासिब समझे उस आदमी से जांच करवाई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अनुभव है कि आज देवस्थान में जो जांच करने वाले आदमी हैं और जो गडबडियां होती हैं उन सब के जवाबदार वे ही हैं जो वहां सरकार द्वारा जांच करने के लिये नियुक्त किये जावे हैं। सरकार द्वारा इस प्रकार से जांच करने वाले अधिकारियों को भेजने का मतलब यही होगा जैसा कि अनुभव बताता है कि उन अधिकारियों द्वारा जांच करने के कारण देवस्थान में काम करने वाले जो आदमी हैं उनको गडबडी करने का और मौका मिल जाता है। न तो वे जांच करने वाले अधिकारी विशेषज्ञ होते, वे तो साधारण केटेगरी के होते हैं; इन्स्पेक्टर, साधारण क्लर्क वगैरह। मुझे इस सम्बन्ध में अनुभव है और खास तौर पर किशनगढ के गुसांईजी मन्दिर का अनुभव है। यहां से वहां देवस्थान के आदमी गये। मन्दिर से भी टी. ए. बिल ले लिया और सरकार से भी टी. ए. बिल ले लिया। जब इस बात का एतराज उठाया गया कि उन्होंने वहां से भी टी. ए. बिल लिया है और सरकार से भी टी. ए. बिल लिया है, दोनों तरफ से टी. ए. बिल लिया है, शिकायत हुई लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर इस प्रकार से हिसाब किताब की जांच के लिये चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को नियुक्त नहीं किया जया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऑडिट के बारे में जो भावना है वह निश्चित रूप से खत्म हो जावेगी और सरकार ऐसे आदमियों को पावर्स दे देगी जो जांच करेंगे, कमीशन मुकर्रर करावेंगे और गडबडी होगी तो दूर नहीं करने की कोशिश करेंगे। इसलिये जहां तक जांच

[श्री चांदमल मेहता]

कराने का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित मानता हूं कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स से ही जांच करानी चाहिये जिससे कि अगर कोई अकाउन्ट्स में गडबडी होगी तो वे उसको दूर कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं खास तौर पर उन संस्थाओं की ओर जो ट्रेड यूनियन संस्थाओं के रूप में रजिस्टर की जाती हैं; मजदूरों की संस्थायें हैं, जिनमें आमदनी कम होती है उनमें भी यह नियम है कि वहां के हिसाब की चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट जांच करते हैं। उनमें चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से हिसाब किताब की जांच करने पर महत्व दिया गया है, न कि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस प्रकार के अधिकार नहीं लेना चाहिये कि चाहे जिस अधिकारी को हिसाब की जांच करने के लिए भेज दे।

जहां तक सहायक आयुक्त को अधिकार दिये गये हैं, जहां १ हजार की आमदनी की बात है, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी स्वयम् एक संशोधन लाने जा रहे हैं जिससे उनकी मन्शा नहीं होगी कि १ हजार की आमदनी वाले प्रन्यासों पर भी जांच की पाबन्दी रखी जाय। इसको किस हद तक लागू करना चाहते हैं ? उन्होंने यह माना है कि जहां आवश्यकता होगी वहां होगा। स्थायित्व आमदनी जहां १ हजार की रहती है वहां भी वह उस भावना के खिलाफ होगा। इसलिये माननीय मन्त्रीजी इसको गंभीरता पूर्वक सोचें।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स को ही इन प्रन्यासों के हिसाब किताब की जांच के लिये रखा जाय और सरकारी अधिकारियों में से सरकार चाहे उनको भेज दें, यह व्यवस्था उचित नहीं है। यदि फिर सरकार यह समझती है कि सरकारी अधिकारी को ही भेजती है तो कम से कम मैं यह निवेदन करूंगा कि सहायक आयुक्त के हाथ में तो ये अधिकार नहीं दिये जाए। अगर किसी आदमी को इन प्रन्यासों में नौकरी दिलानी है, एम्प्लोय कराना है, काम दिलाना है, अलाउन्स दिलाना है और वक्तन फवक्तन किसी आदमी को भेज कर जांच कराना है और आपकी इच्छा पूरी करनी है तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सरकार अपने हाथ में अधिकार रख ले और सहायक आयुक्त को तो ये अधिकार न दे। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट जांच करे तो बहुत ही अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष--श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूं सिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "खंड १७ के उप-खंड (१) की द्वितीय पंक्ति में 'या' और 'ऐसे' शब्दों के बीच में शब्द 'दीपावली को या' जोड दिये जायें"।

"द्वितीय व तृतीय पंक्ति में से शब्द 'जो सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाय' के स्थान पर शब्द 'जो प्रन्यास के साम्प्रदाय में बाकी निकालने की तिथि सम्बन्धी परम्परा के अनुसार हो', जोडे जाय।"

"खण्ड १७ के उप-खन्ड (२) की चौथी पंक्ति में शब्द 'सरकार' के स्थान पर शब्द 'परामर्श-दाता बोर्ड' प्रतिस्थापित किये जाय।"

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष, खंड १७ के उप-खंड (१) के अनुसार यह व्यवस्था की जा रही है कि लेखाओं की बाकी और उनका अंकेक्षण किस प्रकार से होगा। बाकी कब निकाली जावेगी और उनका अंकेक्षण किस आधार पर कौन व्यक्ति कर सकेगा? धारा १७ के उप-खंड (१) के अनुसार रखा गया है कि ३१ मार्च को या ऐसे दिन जो सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाय, बाकी निकाली जावेगी। मेरा इसमें जो संशोधन है कि उसके द्वारा जो यह व्यवस्था की जा रही है कि लेखाओं की बाकी ३१ मार्च को निकाली जावेगी या ऐसे दिन निकाली जावेगी जो सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाय; इन दो बातों के स्थान पर मैं ने तीसरी बात रखी है कि '३१ मार्च को या दीपावली को या सहायक आयुक्त द्वारा जो तिथि निर्धारित की जाय उस दिन'।

श्री दामोदरलाल व्यास—मन्जूर है।

श्री भैरूंसिंह—मन्जूर है?

दूसरा जो मेरा संशोधन है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जब पहले संशोधन को स्वीकार कर लिया है तो इसको स्वीकार करने में मैं समझता हूं कि कोई अनिच्छा नहीं होगी और मैं समझता हूं कि वे इसको स्वीकार कर लेंगे। तीसरा मेरा संशोधन यह है कि उप-खंड (२) की चौथी पंक्ति में शब्द 'सरकार' के स्थान पर शब्द 'परामर्शदाता बोर्ड' प्रतिस्थापित किया जाये। उप-खंड (२) में यह व्यवस्था है कि "लेखाओं का अंकेक्षण ऐसी रीति से होगा जो निर्धारित की जाय"। और इसमें है, "ऐसे व्यक्ति द्वारा जो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट है अथवा किसी फर्म द्वारा, जिसके भारत में प्रेक्टिस करने वाले समस्त भागीदार ऐसे चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हैं, या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जावें"। मैं ने ऐसी अपेक्षा की है कि "सरकार" के स्थान पर "परामर्शदाता बोर्ड" कर दिया जावे। माननीय उपाध्यक्ष, हिसाब रखने में, लेखा जोखा बनाने में किसी आदमी को, या तरीका बनाया जाय उसके अनुसार न रखवाने की मांग होगी। हम यह चाहेंगे कि हिसाब किताब रखने में, अंकेक्षण में बाधा उपस्थित न हो जाय या उस ट्रस्ट के लिये वह भार स्वरूप होकर काम करे। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से पाबन्दी लगाई है कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हो; या चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट होने के नाते समस्त भागीदारों के हिसाब किताब को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के नाम से कोई आदमी ऑडिट करा सकता है यह तो मन्जूर है, इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन यह अधिकार लेना कि "सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जावें" यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको परामर्शदाता बोर्ड कर दें और वह भी कोई ऐसी लिस्ट या क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब कर दें उसके आधार पर बोर्ड उचित समझे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे सरकार को कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैं यहां तक भी तैयार हूं कि सरकार को अधिकार दिया जा सकता है कि सरकार प्राधिकृत कर सकती है जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के तौर पर ऑडिट करते हैं। सलाहकार बोर्ड के नाते उनको भी एक भार सौंपना जरूरी है, उसको अधिकार होना चाहिये कि वह विशेष क्वालिफिकेशन्स के लोगों को, विशेष रूचि के लोगों को हिसाब का आडिट कराने का अधिकार दे। उसको अधिकार देने के बारे में इस प्रकार की यहां एक लाइन जोड दी जाय तो मैं समझता हूं कि उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर माननीय राजस्व मन्त्रीजी यह नहीं समझते हैं कि "सरकार" के स्थान पर "परामर्शदाता बोर्ड" को अधिकार दिया जाय तो मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

[श्री भैरूंसिंह]

मैंने इसीलिये तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं। एक को तो माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने स्वीकार कर लिया है, दूसरे को मन्जूर करने की स्थिति में वे हैं और तीसरे के लिए वे इन्कार नहीं करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—आपकी आज्ञा से मैं कोन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहता हूं। सब-क्लाज (१) में अमेन्डमेन्ट मूव कर दिया है। That is already before the House जब उसको कर दिया है तो एक कोन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है। १७(२) में जो क्लाज रखे गये हैं, "अथवा ऐसे हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास के मामले में, जिसकी कुल वार्षिक आमदनी एक हजार रुपये से अधिक नहीं है, सहायक आयुक्त द्वारा सामान्य या विशेष आज्ञा के जरिये अनुमोदित किसी व्यक्ति द्वारा," I think this may be ommitted.

हजार रुपये का सवाल नहीं है न मालूम कितने हजार पर एप्लाई होगा। हो सकता है, पहले पहल १० हजार पर या २० हजार पर या ५० हजार पर हो, इसलिये १००० रू० का प्रोविजन बेकार रहता है; इसको ओमिट कर दिया जाय।

मैं सबका जवाब भी दे दूं।

जो परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसके लिये बहुत अफसोस के साथ कहना पडता है कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिनको मन्जूर कर लें क्योंकि मैं समझता हूं इनकी आवश्यकता नहीं है।

दांतारामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किये हैं उनमें से १७ (१) में जो शब्द "दीपावली" बढ़ाना चाहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं इसलिये इसे मन्जूर कर लिया जाय।

श्री हिम्मतसिंह—'दीपावली' के बजाय 'कातीबदी अमावस्या' रख लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने "कातीबदी अमावस्या" का सुझाव दिया है, दूसरी तरफ से मिगसर या पोष का सुझाव आ जायगा।

श्री हिम्मतसिंह—"कातीबदी अमावस्या" ठीक रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—पहले आप आपस में राजीनामा कर लें।

श्री हिम्मतसिंह—मैंने तो एक सुझाव दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी जो फोर्मल सुझाव आया है उस पर विचार करना है। मुझे ऐतराज नहीं है अगर "दीपावली" के बजाय "कातीबदी अमावस्या" कर दिया जाय तो, लेकिन 'दीपावली' और 'कातीबदी अमावस्या' में क्या फर्क है?

दूसरा जो अमेन्डमेन्ट है दांतारामगढ के माननीय सदस्य का, मैं समझता हूं कि उसमें थोडी गलतफहमी रह गई है। गवर्नमेन्ट के पास चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की एप्रूव्ड लिस्ट होती है। गवर्नमेन्ट को

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जब किसी का ऑडिट करवाना होता है तो उनमें से किसी से करवाते हैं। इसमें कोई फेवर का सवाल नहीं है। That will be authorised audit. There is an approved list with the Government and chartered accountants actually audit the accounts. जो गवर्नमेन्ट अकाउन्ट ओडिट कराना चाहती है, इसलिये यह नहीं है कि एडवाइजरी ऑडिट द्वारा एप्रूव होना चाहिये। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स को एडवाइजरी बोर्ड में डालना, I think it is useless.

श्री चांदमल मेहता—१००० वाला संशोधन आपने माना है?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपका एक भी संशोधन नहीं माना है।

श्री चांदमल मेहता—किस रूप में मन्त्री जी ने अमेन्डमेन्ट रखा है?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने पढ़कर सुनाया था और उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से पेश किया था। दुबारा पढ़कर सुना देता हूं। खंड १७ (२) में से ये शब्द लोप किये जावें:—

"अथवा ऐसे हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास के मामले में, जिसकी कुल वार्षिक आमदनी एक हजार रूपये से अधिक नहीं है, सहायक आयुक्त द्वारा सामान्य या विशेष आज्ञा के जरिये अनुमोदित किसी व्यक्ति द्वारा,"

श्री चांदमल मेहता—ये वे ही शब्द हैं जिनको मैंने डिलीट करने के लिये कहा था, लेकिन मन्त्री जी इन्हें अपने प्रस्ताव के जरिये डिलीट करना चाहते हैं, इसलिये मुझे अपना संशोधन वापिस लेने में ऐतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें अपने संशोधन वापिस लेने दिये जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री भैरूं सिंह—मेरा एक संशोधन तो मंजूर हो गया और दो संशोधनों को वापिस लेने की अनुमति दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री भैरूंसिंह को अपने दो संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री भैरूं सिंह—मैं अपने संशोधन जो मंत्रीजी को मंजूर नहीं हैं, वापिस लेता हूं।

Page No 61

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड १७ पर श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १७ के उप-खंड (१) में जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १७, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खंड १७, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड १८

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १८ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खंड १८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड १९

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने संशोधन को मूव नहीं करना चाहता।

श्री भैरूंसिंह (१६)—उपाध्यक्ष महोदय, खंड १९ पर मेरे संशोधन इस प्रकार हैं :

१. उप-खंड (१) में द्वितीय पंक्ति में "एक हजार" के स्थान पर "बारह सौ" शब्द रखे जायं।

२. तृतीय पंक्ति में से शब्द "और ऐसे रूप में" तथा "किया जावे" लोप किये जायं।

३. इस उप-खंड के आगे निम्नलिखित प्रतिबंध लगाया जाय :

"किन्तु शर्त यह है कि प्रन्यासधारी को प्रन्यास के साम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार आय-व्ययक बनाकर प्रस्तुत करने का अधिकार होगा"

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं एक अर्ज कर दूं । मेरा ख्याल है सब-क्लॉज (१) को अमेन्ड करने के बाद आपका अमेन्डमेन्ट उपयुक्त नहीं होगा। लास्ट सब-सेक्शन में मैंने यह रखा है कि जैसी प्रोपर्टी होगी उसी के वेल्युएशन पर होगा। 'हजार रूपये वाली बात रखी थी उसको खंड १७ में ओमिट किया है और १९ में से भी ओमिट करना चाहता हूं। फिर वेल्युएशन की जरूरत नहीं है। हजार हजार का उल्लेख जहां है, मैं ही उसको ओमिट कराना चाहता हूं।

श्री भैरू सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह होगा कि आज एक्ट में व्यवस्था करते हैं तो उससे गवर्नमेंट को अधिकार नहीं होगा और यदि इसको फिर गवर्नमेन्ट के ऊपर छोड़ें तो गवर्नमेन्ट आगे चल कर नोटिफिकेशन निकालना चाहेगी तो यह उसके हाथ की बात हो जायगी। मैं चाहता हूं कि हजार रूपयों से नीचे वालों के लिये गवर्नमेन्ट को ही अधिकार नहीं देना चाहिये।

अभी राजस्व मंत्रीजी ने फरमाया कि वे स्वयं संशोधन पेश करना चाहते हैं। वे इसे अपना हथियार बनाकर बार बार सदन को बताते रहे हैं जिसके द्वारा सदन के सदस्यों को मुगालते में डालने की कोशिश की जा रही है। इसके द्वारा इस पर भी मुगालते में डालने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इसको समझाने की चेष्टा करता हूं कि इस हथियार का उपयोग सरकार कर सकती है। हजार से नीचे वालों पर यदि पाबन्दी नहीं लगाई गई तो हो सकता है कि कभी सहायक आयुक्त नोटिस निकाले और उसके अनुसार उनको भी हिसाब पेश करना पड़ेगा। मेरा संशोधन यह है कि हजार की मात्रा को बढ़ाकर बारह सौ कर दिया जाय। उसका मतलब यह होगा कि हिसाब ठीक रहेगा। १०० रू० माहवारी आमदनी वाले पर लागू होगा।

१२०० करने का मतलब यह होगा कि १०० रुपये माहवार के हिसाब से हिसाब ठीक बैठता है और १००० रुपया रखा जाता है तो माहवार के हिसाब से ठीक नहीं बैठता ....

श्री दामोदरलाल व्यास—आपका यह संशोधन मंजूर कर लेंगे।

श्री भैरू सिंह—१२०० की आमदनी का संशोधन, मैं समझता हूं, राजस्व मंत्रीजी स्वीकार करते हैं, इसलिये इसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं।

बाकी के जो दो अमेंडमेंट्स हैं उनको मैं इस वातावरण में प्रेस करना उपयुक्त नहीं समझता क्योंकि वे तो सबको अस्वीकार कर रहे हैं।

तो दो संशोधनों को तो मैं प्रेस नहीं करता और एक वे स्वीकार कर ही रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—१००० की बजाय १२०० का जो संशोधन है वह मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड १९ पर श्री भैरोंसिह ने भाग (१) प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

Page No 63

श्री भैरूंसिंह—मेरे बाकी के दो संशोधन मुझे वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष—क्या अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री भैरूंसिंह—मैं अपने संशोधन के बाकी के दो भाग वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १९, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड २०, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड २१, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २१ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २१ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड २२, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूंसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड २३, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरों सिंह।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, खण्ड २३ में मेरा संशोधन इस प्रकार है: दूसरे खण्ड में 'को' के आगे निम्नलिखित जोड दिया जावे :

'यदि यह मानने के उपयुक्त कारण हैं कि किसी प्रन्यास के प्रशासन में सारगर्भित दोष हैं तो उन कारणों के लेखबद्ध करने के उपरान्त उन्हें' इस खण्ड के मूल प्रतिबन्ध के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं, "और यदि ऊपर प्रदत्त शक्ति का किसी अधिकारी द्वारा ऐसा दुरुपयोग किया जा रहा था जिससे प्रन्यास के धार्मिक आधारों तथा प्रथाओं का दुर्लक्ष्य हुआ हो, तो प्रन्यासकारी को इस प्रकार दुरुपयोग करने वाले अधिकारी को उपयुक्त बल प्रयोग द्वारा प्रन्यास की सम्पत्ति में से हटाने की शक्ति प्राप्त होगी"

इस खण्ड में दूसरा निम्नलिखित प्रतिबन्ध और जोड़ दिया जावे : "यह भी शर्त है कि इस अधिकारी को किसी गुप्तदान के ब्यौरे, विवरण, लेखा या प्रतिवेदन मंगाने या निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में गुप्तदान से तात्पर्य है ऐसा दान जिसके प्रदाता ने अपने नाम या पहिचान को अज्ञात रखने की इच्छा प्रकट की हो।"

माननीय उपाध्यक्ष, जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है उसका आशय धर्म के मामलों में ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बिना परिश्रम के ही समझ सकता है। लेकिन कोई आदमी धर्म किस प्रकार का और धर्म में दान किस प्रकार का होता है इन बातों का ज्ञान नहीं रखता है और वह उस ज्ञान के अभाव में धर्म सम्बन्धी कानून बनाने में कोई राय देता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि धर्म के मामलों में यह एक अनुचित हस्तक्षेप होगा।

हमने सहायक आयुक्त और आयुक्त की क्या क्या शक्तियां होंगी, इसको निर्धारित किया है।

(क) में यह अधिकार दे रहे हैं कि हिन्दू प्रन्यासों की किसी सम्पत्ति में प्रवेश करने, निरीक्षण करने अथवा प्रवेश और निरीक्षण का सहायक आयुक्त और आयुक्त को अधिकार होगा।

[श्री भैरूसिंह]

इसके भाग (ख) द्वारा हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास के प्रन्यासधारियों की किसी भी कार्यवाही के किसी भी अंश को अथवा प्रन्यासधारियों के आधिपत्य या नियंत्रण में अवस्थित किसी भी पुस्तक या लेखे को मंगाने या उसका निरीक्षण करने की शक्ति सहायक आयुक्त और आयुक्त को देते हैं। इसके अलावा और भी अधिकार दे रहे हैं:

"प्रन्यासधारियों से या हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास से संबंधित किसी भी व्यक्ति से कोई भी ब्यौरे, विवरण, लेखा या प्रतिवेदन मंगाने की शक्ति प्राप्त होगी।"

लेकिन आगे इसमें एक बात दी है, एक प्रतिबन्ध लगाया है, जिसका सम्बन्ध (क) से है:

"किन्तु शर्त यह है कि सार्वजनीन प्रन्यास की किसी भी सम्पत्ति पर प्रवेश करते समय अधिकारी प्रन्यासधारियों को उपयुक्त सूचना देगा तथा प्रन्यास के धार्मिक आचारों तथा प्रन्यासों का उचित ध्यान रखेगा।"

हमारे धर्म में दान करने की कई प्रणालियां हैं। कई तो दान इसलिये करते हैं कि मेरा नाम हो, धार्मिक वर्ग में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, इस दृष्टि से कई लोग दान करते हैं।

कई व्यक्ति इस लिये दान करते हैं कि मेरे द्वारा किसी के मन पर गहरा आघात पहुंचा है तो प्रायश्चित के रूप में इतना धन देने से मेरे हाथ से जो पाप हुआ है उसका पूर्ण रूप से प्रायश्चित हो जायगा, इस दृष्टि से प्रायश्चित के रूप में दान करते हैं।

तीसरी स्थिति होती है धर्म की असली भावना से दान करते हैं, वे गुप्त दान भी कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र गुप्तदान को बहुत महत्व देता है, वेद शास्त्र भी गुप्त दान को बहुत महत्व देता है, नाम कमाने की दृष्टि से नहीं देते हैं, जो पापों का प्रायश्चित करने की दृष्टि से नहीं देते, सिर्फ धार्मिक सेवा की दृष्टि से देते हैं और यह चाहते हैं कि लोगों को उनके दान देने का पता न चले, किसी को उनके दान देने का ज्ञान न हो। तो उनके दान देने का लोगों को ज्ञान हो जाय तो उसकी धार्मिक भावना का, जिस भावना से प्रेरित हो कर दान दिया है, वह भावना समाप्त हो जाती है।

तो अब गुप्त दान के महत्व को समझना है। गुप्त दान की क्यों आवश्यकता है? लोग गुप्त दान देते हैं? और यह चाहते हैं कि उनके नाम का किसी को पता नहीं लगे। जब हम सहायक कमिश्नर को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के कागजात और बहियें आदि मंगाने का अधिकार देते हैं जिसमें किसी प्रकार का दान देने की किसी भी क्रिया का जिक्र हो, पेश करना होगा तो यह भी गुप्तदान की बात भी उसके शामिल आ जाती हैं। गुप्तदान देने वाला यह चाहता है कि उसके नाम का किसी को पता नहीं लगे कि किसने कितना दान दिया। मैं यह कहूंगा कि किसने कितना दान दिया, यह पता नहीं लग सकता। मगर यह पता होना चाहिये कि कितना दान दिया गया। मैं समझता हूं कि इसमें गुप्तदान को स्पष्ट कर दिया जावे। इसलिये इसका स्पष्टीकरण कर दिया जावे कि गुप्त दान कौन सा होगा। इससे तात्पर्य यह है कि अपना नाम जिस व्यक्ति ने गुप्त रखने की इच्छा प्रकट की हो उसका नाम नहीं आना चाहिये। वह दान तो देना चाहता है मगर साथ साथ यह भी चाहता है कि

[श्री भैरूंसिंह]

लोगों को इस पता नहीं लगे कि यह दान किसने दिया मगर जब आप सहायक कमिश्नर को अधिकार देते हैं, बहियें आदि देखने का तो जब वह हिसाब-किताब देखेगा तो उसका नाम भी मालूम हो जावेगा इसलिये में यह कहूंगा कि जिस प्रकार होना चाहिये कि यदि कमिश्नर या सहायक कमिश्नर इस बात को देखना चाहे कि कितना धन दान के रूप में प्राप्त हुआ है तो वह जानकारी प्राप्त कर सकता है और वह देख सकता है कि मैंने यह प्रतिबन्ध इसलिये रखा है कि जो लोग अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं उनके नाम को जानकारी पाने के लिये वह किसी प्रकार का आदेश न दे।

दूसरा मेरा माननीय उपाध्यक्ष जी, यह संशोधन है कि हमने निरीक्षण करने का अधिकार उनको दिया है। हमने उसमें तलाशी देने का अधिकार दिया है। मैं समझता हू कि यह धन का दुरुपयोग की बात बता कर किसी स्थान की भी तलाशी ले सकता है। और कोई प्रन्यासधारियों के आदेशानुसार काम नहीं करें तो सहायक कमिश्नर खुद या किसी दूसरे को अधिकार देता है कि वह मालको बरआमद करे और उसके लिये सारी चीजों की तलाशी ले सकता है लेकिन तलाशी लेने में यह खयाल रखना पडेगा कि प्रन्यासधारियों को पूरी सूचना दे। रात के वक्त में कोई तलाशी नहो ले और तलाशी लेने के लिये जो उपयुक्त व्यक्तियों के हाथ में यह कार्य दे, तलाशी लेते समय सारे आचार विचारों का ध्यान रखे। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक आचार विचारों के खिलाफ कोई कार्य करता है तो प्रन्यासधारी को अधिकार होगा कि वह उसको, चाहे वह कमिश्नर हो चाहे असिस्टेन्ट कमिश्नर हो उसको हटाने की कोशिश करेगा, उसके लिये चाहे उसको मार पिटाई भी करनी हो। मैं इसके सुबूत में आपको एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेन्ट पेश करूंगा जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि तलाशी का अधिकार दिया गया है वह इतना व्यापक है कि इसमें धार्मिक भावनाओं का खयाल रखा जावेगा ऐसी कोई बात नहीं हो कि वह बहुत बडा व्यक्ति है इसलिये चाहे जैसा कर सके। उसमें उल्लेख किया गया कि आज कल सारे गवर्नमेन्ट ऑफिसर वेस्टरनाइज्ड तरीके से अमल करते हैं। उनको मन्दिरों में घुसते समय जूते खोल कर और ऐसे कपडे खोल कर जाना चाहिये जिनके पहिने अन्दर जाने की मुमानियत हो। कोई भी अधिकारी इसके खिलाफ मंदिरों में घुस नहीं सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास:—आप उस जजमेन्ट को पढ रहे थे न?

श्री भैरूंसिंह—यह है "Judgement of the High Court of Judicature 13th December, 1951, in Shri Laxmindra Tirath.... (अश्रव्य) versus the Commissioner, Hindu Religious Trusts."

मैं इसको पढ कर बता देता हूं। इसमें यह लिखा है कि जूते पहन कर यदि कोई कमिश्नर या दूसरा अधिकारी जाता है तो उसको जूते लगा कर वापिस कर दे।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके पेज २१ पर थोड़ा सा उल्लेख है:—

श्री गोपीलाल यादव—क्या उल्लेख है, यह तो बतावें ?

श्री भैरूंसिंह—"Section 58 empowers the Devasthan Commissioner to frame schemes for temples, maths, etc. In the case of Maths sub-section (3)

[श्री भैरूंसिंह]

empowers the Devasthan Commissioner to depute an officer who shall of course be a person professing the Hindu religion but need not necessarily............ He is also authorized to determine what the properties of the Math are ?"

एक तो यह है और दूसरा, "All officers of Government have a right to enter the religious institutions and places of worship in the discharge of their duties and for that purpose any resistence in the exercise of their duties entails penal consequences."

श्री गोपीलाल यादव—'जूते पहनने' की बात कहिये।

श्री भैरूंसिंह—वह यह है माननीय उपाध्यक्ष," The only safe guard is that the person so entering must be a Hindu but it is very often ineffective and useless. For the purposes of this Act any resistence in the exercise entails penal consequences. It is a wellknown fact that there are Maths belonging to different sects viz. Vaishnava Maths, Siva Maths......and will not be permitted to enter the premisses or at any rate to enter the place of worship. The customs and usages in the Maths vary. There are certain Maths which are not allowed to be entered even by the ordinary worshipers. The Officer who even Hindu and may have any respect for it may not enter the premises in the western style with his shoes on."

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हाई कोर्ट का यह निर्णय है। आगे चल कर हाई कोर्ट ने इस बात की व्यवस्था की है, व्यवस्था तो हाई कोर्ट नहीं कर सकती लेकिन यह बात निश्चित की है कि किसी मन्दिर में जूते पहिन कर चाहे वह अधिकारी हिन्दू हो या मुसलमान हो या सिक्ख हो घुस नहीं सकता। जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने अपनी राय जाहिर की है उस प्रकार किसी भी अधिकारी को जूते पहन कर मन्दिर में घुसने नहीं दिया जावेगा। हिन्दुओं में कई प्रकार के मत होते हैं, चाहे वह जैन हो, चाहे सिक्ख हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो यदि ऐसे मन्दिर में जहां मूर्ति पूजा होती है वहां पर यदि किसी आर्यसमाजी अधिकारी को तलाशी के लिये अधिकार दिया जावेगा तो वह मूर्ति के प्रति अपना विरोध प्रकट करेगा और विरोधी कार्य करेगा और निश्चित रूप से ऐसा कार्य करेगा और ऐसी चीज अपनाएगा जिससे निश्चित रूप से मूर्ति पूजा में लोगों को अविश्वास पैदा करती हो। इसलिये कोई भी जूते पहिन कर जावे या बिना स्नान करके मन्दिर में घुसना चाहे या कोई ऐसी सामग्री लेकर जावे जिसको लेकर जाना मना हो तो वह नहीं ले जा सकता। तो ऐसी हालत में उसको ऐसा हुक्म होना चाहिये कि ऐसा कार्य करने और जूते पहिन कर घुसने वाले व्यक्ति को बल पूर्वक हटा दे। कई अधिकारी ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। अगर उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा और उसका कहना नहीं माना जावेगा तो वह यह कहेगा कि इस मन्दिर के पीछे सोने चांदी का जेवर है, कलश है, उसका हिसाब नहीं आया है इसलिये तलाशी ली जावेगी। इसलिये शराब पीकर जाने वाले को या जूते पहिन कर जाने वाले को रोकने का अधिकार होना चाहिये। इसलिये माननीय

[श्री भैरूंसिंह]

उपाध्यक्ष, यह आवश्यक है कि वह उनको रोकने के लिये उपयुक्त बल प्रयोग करे।

मैंने जो संशोधन दिया है उसमें केवल इतना दिया है कि अगर कोई आदमी जूते पहनकर मन्दिर में जाना चाहे तो मठाधीश या मन्दिर का पुजारी केवल इतना बल प्रयोग कर सकता है कि वह उसके जूते उतार दें मौजे उतार दे, अगर वह जूते नहीं उतारता है तो उसको मन्दिर में प्रवेश न होने दे। जो अधिकारी शराब पीकर मन्दिर में जाना चाहता है वह मन्दिर में घुस नहीं सके। इसके अलावा जहां मूर्ति विराजमान होती है उस जगह यदि कोई अधिकारी जाकर यह देखना चाहता है कि उनके कितने गहने हैं, तलाशी अगर लेना चाहता है तो उस अधिकारी को उस धर्म के अनुसार जिस धर्म के पूजा के स्थान पर जाना चाहते हैं उसके मुताबिक क्रिया करनी आवश्यक होगी, जिस प्रकार चन्दन लगाना, डाभके छींटे लगाना; इस प्रकार पवित्र होकर ही वह मूर्ति के स्थान पर जा सकता है। अगर कोई इन बातों का उल्लघन करता है तो वह एक प्रकार के किसी धर्म की आत्मा पर आघात पहुंचाता है। तो ऐसे अधिकारी जो इन बातों का पालन न करें वैसी हालत में सब लोगों को यह अधिकार होना चाहिये कि उसके कार्य में रुकावट उपस्थित करदे। किसी भी प्रकार से हो सके उसको धर्म के मामले में हस्तक्षेप न करने दे। यह मैं ने जो अपना संशोधन रखा है धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया है ताकि सहायक आयुक्त या आयुक्त कोई भी अधिकारी किसी की धार्मिक भावना पर आघात न पहुंचा सकें।

इसके अलावा एक संशोधन और है, उसके अलावा सब संशोधन पर मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं मैं राजस्व मन्त्री से आशा करता हूं कि वे निश्चित रूप से मेरे इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

(श्री दामोदर लाल व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री मानसिंह महार—आप जल्दी मत कीजिये, अभी मुझे भी बोलना है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज २३ में जो संशोधन दांतारामगढ़ से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने रखा है, तीन संशोधन रखे हैं वे बहुत सीधे सादे और इन्नोसेन्ट हैं। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के संशोधन रखने से हमको यह महसूस होता है कि हमको हमारी सरकार के इस रवैये का पता चलता है कि उसका धर्म में विश्वास कम है। उपाध्यक्ष जी मैंने, कल भी निवेदन किया था कि धार्मिक मामलों में ······

श्री उपाध्यक्ष—आम भाषण नहीं है, आप संशोधन पर ही बोलिये।

श्री महार—उपाध्यक्ष जी, मैं केवल पांच मिनिट में ही खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप केवल इस बात पर ही प्रकाश डालिये कि ये संशोधन क्यों आवश्यक हैं;

श्री महार—जो आज्ञा, उपाध्यक्ष महोदय, २३ में मेरे मित्र ने जो संशोधन रखे हैं वे तीन हैं, उनमें दो तो खास संशोधन हैं। एक तो यह है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी मन्दिर में प्रवेश करे तो उसके पहिले मठाधीश को इत्तला देनी चाहिये कि किस समय वह आयेगा इन्सपेक्शन करने। दूसरी मांग यह की गई है कि कुछ लोग शराब पीकर या जूते पहनकर या खुले सिर जो मन्दिर में अमूमन जाना चाहते हैं वे प्रवेश नहीं पा सके। उपाध्यक्ष जी, जो धर्म में आस्था रखते हैं उनको इस प्रकार के व्यवहार से एक प्रकार से ठेस सी लगती है, उन लोगों के लिये यह पाबन्दी होनी चाहिये; अगर कोई शराब पीकर या जूते पहने हुए मन्दिर में प्रवेश करना चाहे तो उसको घुसने नहीं दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह निश्चित धारणा है कि धर्म में जो आस्था रखने वाले हैं कोई भी आदमी इस प्रकार पसन्द नहीं करेगा कि उसके धर्म में किसी प्रकार ठेस पहुचे सके। मैं नहीं समझता माननीय मंत्री महोदय इस बात पर क्यों अडे हुए हैं कि इस प्रकार की बातें हो। यह बहुत आवश्यक है, अगर कोई अधिकारी गलत काम करता है तो मठाधीश को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उस अधिकारी को मन्दिर में प्रवेश न होने दे। इसी प्रकार की एक घटना अभी रामगंज बाजार में घटित हुई थी उपाध्यक्ष महोदय, एक अफसर ने पिस्तोल चला दी, वह वहां से हटा दिया गया था। इसके अलावा मैं एक खास मुद्दे की बात कहना चाहता हूं इसी अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में। इसके अन्दर गुप्तदान की बात रखी गई है उसके बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हू गुप्तदान कई प्रकार के होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक यह बात नहीं समझ सका हूं कि धर्म के काम में गुप्तदान किया जाता है उसको किस प्रकार से गुप्तदान माना जाय? गुप्तदान के बारे में मुझे यही निवेदन करना है कि अगर सरकार गुप्तदान को खुले आम लेना चाहती है तो फिर पब्लिक ट्रस्ट की जो परिभाषा है तो उसमें केवल सरकार को हिन्दू प्रन्यासों को नहीं बल्कि जितनी भी पोलिटिकल पर्टियां हैं उनको भी जोड देना चाहिये। मेरा यह निश्चित मत है, यह मानता हू कि धार्मिक स्थानों के लिये जो गुप्तदान किया जाता है वह भगवान लिये होता है, वह शुद्ध होता है वह केवल भगवान के लिये ही होता है। लेकिन आज के युग में कुछ पोलिटिकल पार्टीज में भी गुप्तदान किया जाता है इस तरह से गुप्तदान के रूप में पार्टियों को लाखों रुपया दिया जाता है जिसमें लाखों कमाने की नीयत होती है कि एक लाख यदि कोई गुप्त देता है तो उसको दो लाख का फायदा होने की नीयत होती है। हमारे राजस्थान में उपाध्यक्ष जी जल बोर्ड नाम की एक संस्था है जिस के बारे में समय समय जब टिका टिप्पणी हुई तो जल बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर टांटिया ने यह कहा था कि हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे उन्होंने १३ फरवरी १९५४ को कलकत्ता में हुई एक सभा में घोषणा की थी कि हम लोग रामेश्वर टांटिया मातादीन खेदान वगैर कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के बावजूद बारबार उनकी घोषणा के बावजूद सरकार को यह ज्ञात होना चाहिये कि रामेश्वर टांटिया ने दो लाख रुपये का गुप्तदान लेने की घोषणा की है कि उसमें शर्त यह रखी है कि अगर उन्हें सीकर की पार्लियामेन्टरी कोन्स्टीट्यूएन्सी के लिये कांग्रेस का टिकट मिल जाय। तो वे कांग्रेस को दो लाख रुपया देने के लिये तैयार हैं। यह मेरी निश्चित धारणा है उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ भी फरमायें, मेरा यह मानना है कि इस प्रकार के गुप्तदान पर अवश्य प्रति बन्ध होना चाहिये। मैं यह नहीं मानने वाला कि केवल गुप्तदान धार्मिक स्थानों के लिये ही होता है यदि धार्मिक स्थानों के लिये गुप्तदान होते हैं तो वे केवल भगवान के लिये करते हैं, उनको जबर्दस्ती

यह पूछा जाय और पोलिटिकल पार्टीज में जहां स्वार्थ के लिये गुप्तदान किया जाता है वहां किसी भी प्रकार रोक टोक नहीं। इस प्रकार जहां लाखों करोडों रुपयों का दुरुपयोग होता है उनके लिये तो कोई पाबन्दी नहीं। उपाध्यक्ष जो, मैं अस्वस्थ होते हुए भी केवल इस गुप्तदान पर बोलने के लिये उपस्थित हुआ था।

एक माननीय सदस्य--यह सबजेक्ट से बाहर जारहे हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय सदस्य क्या बोले, पता नहीं चला?

श्री माननीय सदस्य--सबजेक्ट से बाहर हैं।

श्री मानसिंह महार--मैं तो इसके अन्दर गुप्तदान की जो बात आयी है, इसी पर कह रहा हूं; उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं।

(विराम)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या गुप्तदान का हिस्सा मांगा गया था साहब?

श्री महादेवप्रसाद बंका--यह सफेद झूठ है।

श्री मानसिंह माहर--दस दस हजार रुपया मिलेगा उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये घबराते हैं पर घबराने की कोई बात नहीं है। यकीन रखें वे कि उन्हें मिल जावेगा, उनको घबराना नहीं चाहिये। हम उनके रुपयों को रोक थाम नहीं करते। मैं तो हिसाब का खुलासा चाहता हूं। बटवारा सब में बराबर हो जावे। किसी को कम-ज्यादा न जावे, यही मेरी धारणा थी। यह तो उनके पक्ष में जाती है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, दान के बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि जो दान है उसका धर्म में और खास कर जैन धर्म में बडी कीमत है। गुप्तदान के बाद नाम बता दिया जाता है तो उस दान का धार्मिक महत्व कम हो जाता है, बल्कि खतम हो जाता है। ऐसा लोग मानते हैं। तो इस गुप्तदान की भी सब जांच करने कराने की सारे हिसाब किताब को देखने की जो बात है वह उचित नहीं है अधार्मिक बात है और मुझे आशा है कि मन्त्रीजी इसे तो मान ही लेंगे। यह छोटी सी बात है। इसमें तो उनको कोई ऐतराज ही नहीं हो सकता है।

और दूसरी बात कि मन्दिरों में कैसे जाना चाहिये तो वे खुद भी कभी जाते हैं तो सिर पर कुछ पहन कर और जूते उतार कर जाते हैं, अभी वे इतने वेस्टर्नाइज्ड नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार की छोटी मोटी बात की ओर भी उनको ध्यान जरूर देना चाहिये। ये धार्मिक मामले, इनमें हमें किसी बात को प्रेस्टिज का सवाल नहीं बना लेना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि आज के युग में अगर कोई सरकारी अफसर गलती करता है तो उसको धक्के क्यों न दिये जायं? आज के युग में अगर कोई सरकारी अफसर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो उसे क्यों न रोका जाय? मैं तो मानकर चलता हूं कि अगर कोई ऐसा अफसर है जो मुसलमान है, या ईसाई है, या गैर धर्म का है और वह हिन्दू मन्दिरों में जांच

[श्री मानसिंह महार]

के लिये जावे और वहां धार्मिक परम्पराओं को आदर न दे तो जांच करने से वह भी रोका जा सकेगा। अफसर के जांच करने को आने से पहले सूचना दी जावेगी, इस पर वह मठाधीश या जो भी होगा सरकार को निवेदन भी कर सकता है कि हमारे यहां फलां अफसर को न भेजा जाकर हमारे धर्म के अनुयायी किसी अफसर को भेजा जावे और वह नहीं भेजा गया तो उसे मन्दिर में नहीं घुसने दिया जावेगा। यह वाजिब बात है। इसे माना जाना चाहिये। आप धार्मिक गुप्तदान का बात कही जाती है और उसके भी हिसाब किताब की जांच की बात करके उसे आउट करना चाहते हैं और इस तरह से गुप्तदान के महत्व को समाप्त करके हमारे धर्म पर कुठाराघात करने पर आज आमादा हैं। मैं कहता हूं कि आज आपके यहां राजनैतिक पार्टियों में जो गुप्तदान हो रहा है, जिस गुप्तदान को दान की नहीं, रिश्वत की संज्ञा दी जा सकती है उसको तो आउट करिये।

ये चन्द शब्द निवेदन करके और खास कर उन दो मित्रों ने घबडाकर जो सवाल पूछा उनसे निवेदन करूंगा कि उनको तो इसमें हिस्सा देने की बात है क्योंकि ये भी उसी कान्स्टीट्यूएन्सी से हैं वरना आज तो वह पैसा ऊपर ही चला जावेगा। इसलिये ये चन्द शब्द कह कर दांता रामगढ से आये माननीय सदस्य के संशोधन का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जगतसिंह झाला—दांता रामगढ ने जो क्लाज २३ में संशोधन पेश किया है उसके समर्थन में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह धारा ऐसी है कि जिसके जरिये से हिन्दू धर्म पर आक्षेप लगाया गया है। हमारा राज सेक्यूलर स्टेट कहलाता है, तो इसके ईसाई या मुसलमान नौकर भी अफसर हो सकते हैं और वे जब मन्दिरों में प्रवेश करेंगे, उस वक्त उनके खान पान में, पहराव में ठीक तरह से उचित ध्यान नहीं देंगे जैसे कि जूते पहनकर चले गये या शराब पीकर घुस गये या मांस खाकर चले आये तो यह हमारे धर्म में निश्चित रूप से एक हस्तक्षेप होगा, आक्षेपजन्य स्थिति बनेगी। तो ये शराब पीकर, मांस खाकर या पैन्ट पहनकर जाने वाले व्यक्ति भी इससे रोके जाने चाहियें नाथद्वारे। वगैरह मन्दिरों में यह परम्परा है कि धोती पहनकर ही दर्शन कर सकते हैं; तो ऐसी हालत में पैन्टवालों को भी रोका जाना चाहिये और जो धाराएं संशोधन में करने के लिये रक्खी हैं वे स्पष्ट हैं।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

वहां की परम्पराओं को न मानकर घुसने वालों को रोकने का अधिकार पुजारियों या ट्रस्टी को होना चाहिये।

इसके अलावा जो गुप्तदान के लिये माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसका भी मैं समर्थन करता हूं। हमारी धार्मिक भावनाओं में इस प्रकार के गुप्त दान का विशेष महत्व है। इसका ताल्लुक हमारी संस्कृति से है। आप हमारी इस संस्कृति को बिगाडने के लिये ही ये सारे काम कर रहे हैं, यह लगता है। आप ऐसा नहीं करिये आप इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करिये। गुप्तदान का नाम प्रकट होने पर उसके दान का पुण्य समाप्त हो जाता है और उसके उद्देश्य का ह्रास होता है जिसके लिये उसको प्रायश्चित करना होता है। हिन्दू धर्म ही ऐसा है। यह हमारी पुरानी संस्कृति है उसके ऊपर आप जो इस प्रकार से कुठाराघात करते हैं वह असहनीय है अशोभनीय है आपके लिये

[श्री जगतसिंह झाला]

और इसका डटकर मुकाबला किया जावेगा। केवल बहुमत के बल पर आप इन विचारधाराओं को बलात् बदल दें यह असम्भव है। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि आप इन संशोधनों को स्वीकार करलें और अपनी सेक्युलर नीति का, किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति का परिचय दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट रक्खे गये हैं उनमें से मैं किसी को भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। एक बात खास तौर से बार बार कही गई है कि हम वेस्टर्नाइज्ड हो गये हैं, सरकारी मुलाजिमान जूते पहिन कर, शराब पीकर चले जावेंगे, गोश्त खाने वाले चले जावेंगे और इसी तरह की बहुतसी बातें कही गई हैं और एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेन्ट भी पढ़कर सुनाया गया। मैं इन बातों को उतना ही उचित मानता हूं जितना वे मानते हैं। पर इसके लिये मैं निवेदन कर दूं कि इस संशोधन को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिये आलरेडी इसी कानून के इसी क्लॉज में प्रोवीजन किया हुआ है, मेरे माननीय सदस्यों ने उस पर गौर ही नहीं किया, ऐसा मालूम होता है। यह प्रोविजो साफ है मैं पढ़कर सुना दूं आपको :—

"किन्तु शर्त यह है कि सार्वजनीन प्रन्यास की किसी भी सम्पत्ति पर प्रवेश करते समय, प्रवेश करने वाला अधिकारी प्रन्यासधारियों को उपयुक्त सूचना देगा तथा प्रन्यास के धार्मिक आचारों तथा प्रथाओं का उचित ध्यान रक्खेगा।"

तो यह प्रोविजो साफ है। कहा गया कि उसे धक्का मार कर निकाल दिया जावेगा। यह तो आपका लीगल राइट है। अगर कोई कानून के खिलाफ कोई एन्ट्री करता है तो हरेक को लीगल राइट है उसको इजेक्ट करने के लिये फोर्स काम में ले सकता है फिर चाहे वह सरकारी मुलाजिम हो या कोई हो। और शायद मद्रास का हाई कोर्ट का रूलिंग जो पढ़ा वह भी इसी तरह का होगा। तो ऐसी स्थिति में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वह तो जा ही नहीं सकता।

Already there is a provision that he has to keep in view and observe all the religious sanctity of the place where he is entering and he has to enter in the way allowed by the law.

दूसरा अमेन्डमेन्ट आपका है गुप्तदान के ऊपर तो गुप्तदान किस तरह से लिया गया है और किस तरह से नहीं लिखा गया है इसका सवाल नहीं होता है। अकाउन्टेन्ट्स के इन्सपेक्शन का राइट उनको है, असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान और कमिश्नर देवस्थान को। उसके अन्दर गुप्त दान दर्ज करते हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि गुप्त दान के दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू बहुत ही खतरनाक हो सकता है जिसके अन्दर गड़बड़ की भी गुन्जाइश हो सकती है, लेकिन यह कहीं नहीं है कि गुप्त दान मत दो। गुप्त दान यदि कहीं दर्ज है तो होता रहे उसको कहीं पब्लिश करने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिये यह अमेंडमेंट रिडन्डेन्ट सा है। खास तौर से अर्ज करूं कि यह सेक्शन ऐसा है कि जिसका एडवाइजरी बोर्ड से संबंध है। असिस्टेन्ट कमिश्नर बगैर बोर्ड की राय के कोई एक्शन नहीं ले सकता है। असिस्टेन्ट कमिश्नर एडवाइजरी बोर्ड की राय से ही वह काम कर सकेगा। और जहां कि एडवाइजरी बोर्ड और असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान में कोई डिस्प्यूट है या उनकी राय में इत्तिफाक नहीं है तो उसको यह

[श्री दामोदरलाल व्यास]

राइट नहीं होगा कि वह अपनी सलाह किसी पर थोपे, but he has to refer the matter to the Central Advisory Board, and the opinion of the Central Advisory Board will be final. He shall have to carry out the orders of the Central Advisory Board. अब कोई सवाल नहीं रहता है असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान के इन्टर्फियरेन्स का। He will not come unless he is desired by the Advisory Board, and he will be accompanied by the members of the Board. The members will belong to the same religion or trust to which the temple or the trust belongs. इसमें दिक्कत पैदा नहीं होती है।

गुप्त दान के लिये जो कहते हैं तो जो गुप्त दान करता है, जो डोनर है, उसके अकाउन्ट्स चेक करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। This is only a power to inspect the accounts of the Trust and not of the donor. और गुप्त दान के डोनर के अन्दर इन्टरफियरेन्स या उसका नाम जानने की चेष्टा का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह एमेंडमेंट जिन्होंने पेश किया है वे इसको वापिस ले लें और यह समझ लें कि इस की कोई आवश्यकता नहीं है और जो प्रोवीजो लगाया हुआ है that is sufficient without the amendment.

यह कोमन राइट है कि कानून को खिलाफवर्जी में यदि कोई सरकारी अधिकारी एक्शन लेता है और इस तरह से मन्दिर में प्रवेश करता है कि जिस तरह से प्रवेश नहीं होना चाहिये उसको तो हरेक आदमी का अधिकार है कि उसको फोर्सिबली निकाल दे और जितना भी फोर्स आवश्यक हो उसको काम में ले। जिस फार्म में अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने रखा है उस में उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस खंड में मैंने जो अपने संशोधन प्रस्तुत किये थे उनका जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने उत्तर दिया है वह मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं है। इस खंड के भाग (ख) में इस बात का उल्लेख है कि–

"हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास के प्रन्यासधारियों की किसी भी कार्यवाही के किसी भी अंश को . . ." तो उस शब्द 'अंश' में यह भी बात हो सकती है कि जिस आदमी ने गुप्त दान दिया हो उसमें उस आदमी का नाम व पता लिखा हुआ हो और उस 'अंश' शब्द को इसी रूप में रखेंगे तो उसको अधिकार होगा कि वह इस प्रकार की सब कार्यवाही को देख ले। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष, आगे इस खंड के भाग (ग) में दिया है कि—

"प्रन्यासधारियों से या हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास से संबंधित किसी भी व्यक्ति से कोई भी ब्यौरे, विवरण, लेखा या प्रतिवेदन मंगाने की शक्ति प्राप्त होगी।" ऐसा कोई व्यक्ति यदि सबंधित हिसाब रखता है और उस हिसाब में गुप्त दान का उल्लेख है तो उसको भी मजबूर किया जा सकता है कि इस चीज के संबंध में जितनी भी इस प्रकार की जानकारी, ब्यौरे, लेखे, विवरण या प्रतिवेदन हों उनको प्रस्तुत करे। मैं यह नहीं चाहता कि कोई पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, हिसाब में गड़बड़ हो रही है और उसके कारण से रेकार्ड या रजिस्टर देखना चाहें तो रेकार्ड या रजिस्टर नहीं दिखाये जायं।

[श्री भैरूसिंह]

लेकिन गुप्त दान की जो प्रवृत्ति है उसमें यह भाव होता है कि हमारे नाम का पता नहीं लगे। नाम का पता नहीं लगने की यदि कोई कार्यवाही हो और यदि उस कार्यवाही को कानून में कानूनी रूप दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि कोई ज्यादती नहीं होगी। उसका नाम व पता दोनों नहीं मालूम होने चाहियें।

मेरे संशोधन से यदि कोई ऐसी विशेष अड़चन आती हो तो माननीय राजस्व मंत्रीजी स्वयं इन चीजों का कानून में समावेश कर दें कि जिसके द्वारा गुप्त दान करने वाले व्यक्ति का नाम किसी भी रूप में पूछने का अधिकार सहायक आयुक्त या आयुक्त को नहीं होगा।

दूसरा प्रश्न आता है, जो मेरे एक प्रतिबन्ध के द्वारा मांग की गई थी कि यदि कोई सहायक आयुक्त या आयुक्त तलाशी लेने की आवश्यकता समझे तो वह तलाशी ले। तो तलाशी लेने के संबंध में इन सारी बातों का खयाल रखना पड़ेगा। उसका उल्लेख इस प्रतिबन्ध में किया है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंदिरों का प्रश्न धर्म का प्रश्न है कि जिससे सारे आदमी परिचित हों ऐसी बात नहीं है। आज कई आई. ए. एस. और आर. ए. एस. ऑफिसर्स ऐसे हैं कि जो नहीं जानते हैं कि इस प्रान्त में क्या रीति है, इस प्रान्त के लोग किस प्रकार के हैं, उनके धर्म के आचार-विचार क्या हैं? वह आदमी किस बात को मानने वाला हो लेकिन इस बात का ज्ञान हरेक ऑफिसर्स को नहीं होता है। उन लोगों का इन्टेन्शन यद्यपि बोनाफाइड हो, मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं हो कि किसी मन्दिर की प्रतिष्ठा को कम करें, किसी भी प्रन्यास की प्रतिष्ठा को कम करें, लेकिन वे इसी बात को लेकर कि उनको अधिकार है मंदिर में वे प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं, और यदि इस काम को करने से कोई उन्हें रोकेगा तो पब्लिक सर्वेन्ट को कार्यवाही में दखल करने का जुर्म उस पर होगा और पेनल कोड के अनुसार उसको सजा मिलेगी, वह चेष्टा करेगा उस धर्म के आचार-विचार से जिनसे कि वह परिचित नहीं है और परिचित होने के अभाव में भी वह मंदिर में घुसने की चेष्टा करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो इस कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी, लेकिन सजा मिलने का प्रश्न तो उस समय आयेगा कि जिस समय वह व्यक्ति कोई जानबूझकर गलती करे.......

श्री दामोदरलाल व्यास—सजा मिलने का सवाल नहीं है, जब कि ट्रस्टीज को या उस मंदिर के आदमियों को उसको फोर्सिबली निकालने का अधिकार है तो कानून में उसके लिखने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरूसिंह—वह कहां है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोमन लॉ में।

श्री भैरू सिंह—उसमें यह दिया गया है कि प्रन्यासधारियों को उपयुक्त सूचना देगा तथा प्रन्यास के धार्मिक आचारों तथा प्रथाओं का उचित ध्यान रखेगा। "उचित ध्यान रखेगा" और 'उपयुक्त सूचना देगा', माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से ही सारी चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं। स्पष्ट नहीं होने से ही मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। उस फैसले में इस बात पर राय जाहिर

[श्री भैरूंसिंह]

को है कि कौन सी चीजें या कौन २ से आचार-विचार किस परिभाषा में वह पूरा करेगा। किस परिभाषा में वह उन चीजों को स्वीकार करेगा। यह चीजें खास तौर से कहना चाहिएं। उन्होंने इसलिये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि एक हिन्दू किसी भी आचार-विचार का हो सकता है। एक हिन्दू किसी धर्म को मानता है वह किसी दूसरे धर्म के मंदिर में घुसने की चेष्टा करेगा। अपने धर्म आचार विचार क्या हैं, यह वह जानता है लेकिन दूसरे प्रन्यास के संबंध में, दूसरे धर्म के संबंध में आचार-विचार का जानना मुश्किल होगा। मुझ से आज कोई कहे कि जैन मंदिर के संबंध में क्या क्या नियम हैं तो मैं निश्चत रूप से आज कह सकता हूं कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि जैन मंदिर में प्रवेश करते में किन किन बातों का खयाल रखना चाहिये। मैं यह बता सकता हूं कि जो वैष्णवों, सनातनियों के मंदिर हैं उनके आचार-विचार क्या हैं इसका मैं खयाल कर सकता हूं, लेकिन जैन मंदिर में जाते समय मुझे पूछना पडेगा और पूछने पर मैं ऐसा खयाल कर लूं कि मुझे अधिकार है मंदिर में घुसने का और मंदिर के घुसने में आचार-विचार का प्रश्न नहीं है क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मंदिर में घुसने के आचार विचार क्या हैं। उस समय रोकने का आदमियों को अधिकार होना चाहिये, और रोकने के उपरान्त भी कोई जबरदस्ती करे तो पांच आदमियों को लाकर किसी मंदिर में घुस गया तो उसी वक्त बल प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिये। यह धर्म का मामला है, सम्पत्ति का मामला नहीं है। यदि कोई धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है तो हमारी संस्कृति ने हमको अधिकार दिया है कि मनुष्य के प्राण चले जांय उसकी चिन्ता नहीं और प्राणों की भी कीमत देकर धर्म की रक्षा होती है तो उसको करने का हमको अधिकार है। तो मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सरकारी अधिकारी की इस कारण से पिटाई होती है तो उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उसको निकालते हैं और उसके निकालने में उसकी इन्सल्ट होती है तो उस इन्सल्ट की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह करना चाहिए कि राजस्थान सरकार का कोई अधिकारी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है तो कोई ऐसी बात नहीं करे। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मैंने जो प्रतिबन्ध दिया है उस प्रतिबन्ध से हमारे सरकारी अधिकारियों पर कोई जबरदस्त आघात होगा यह बात नहीं है। उसके करने से अधिकारी सतर्क होंगे। यदि कोई प्रन्यासधारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो दुरुपयोग करने वाले को हर समय सजा होती है। उसको भी सजा मिल जायगी। जहां कि पैनल कोड में डिफेन्स को अधिकार है उनका अतिक्रमण करता है तो पनिशमेन्ट मिलनी चाहिये (घंटी) इसी तरह प्रन्यासधारी भी अपने अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे तो उनको सजा मिलेगी।

मेरे संशोधनों के बारे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया इसलिए मैं चाहूंगा कि तलाशी लेने के लिए सहायक आयुक्त और आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करे कि जिन कारणों के कारण वह तलाशी लेना उचित समझे। उन सारे कारणों को लेखबद्ध करने के बाद यदि वह इस स्थिति में हो कि दोषपूर्ण स्थिति है और इस प्रश्न को उठाकर गडबड हो सकती है जिसके कारण तलाशी लेना आवश्यक है तो उन सारे कारणों को लेखबद्ध करने के बाद सूचना दे और फिर तलाशी ले। केवल इतना सा कह देना कि उपयुक्त सूचना देगा तथा प्रन्यास के धार्मिक आचार-विचार का खयाल रखेगा और फिर तलाशी कर लेगा, ठीक नहीं है। इस प्रकार के व्यापक पॉवर्स सहायक आयुक्त और आयुक्त को देना, माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं उचित नहीं है।

Page No 76

[श्री भैरूंसिंह]

और इस कारण से माननीय राजस्व-मन्त्री से विशेष तौर पर अपील करते हुए यदि वे मन्जूर नहीं करें तो सारे सदन से अपील करता हुआ, इस प्रकार का मेरा जो संशोधन है उसको स्वीकार कर ले, वे नहीं करते हैं तो सदन मेरे संशोधन को स्वीकार कराने में मेरे साथ अपना मत दे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ में जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लॉज २३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २४, श्री भैरोंसिंह

I think little purpose is served by referring these bills to the Select Committee and precuations should be taken that Bills should not be referred to a Select Committee. When most of the time is taken in the House it is useless to refer to a Select Committee.

श्री दामोदरलाल व्यास—The Hon'ble Member was himself a member of the Select Committee.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री भैरूंसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २४ को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लॉज २४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज २५,

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २५ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृति)

क्लॉज २५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २६, श्री भैरूंसिंह

श्री भैरूंसिंह (१६)--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २६ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"इस खंड के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय :--

"जहां कोई प्रन्यास, प्रन्यासधारी बोर्ड के प्रबन्ध में है और बोर्ड में कोई रिक्त होती है, वहां बोर्ड के शेष सदस्य प्रन्यास विलेख की धाराओं का ध्यान रखते हुए उस रिक्ति को ६ मास के अन्दर भरने का प्रबन्ध करेंगे और इसकी सूचना सहायक आयुक्त को देंगे अन्यथा सहायक आयुक्त इस रिक्ति को भरने के लिये न्यायालय से आवश्यक निर्देश दिलाने हेतु आवेदन-पत्र दे सकेगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २६ में यह व्यवस्था है कि यदि कोई हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास को प्रन्यासधारी बोर्ड में किसी ट्रस्टी का स्थान रिक्त हो तो उस स्थान को भरने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की जावेगी ? जिस प्रकार की व्यवस्था इस क्लॉज में है उस व्यवस्था के अनुसार उसके उप-खण्ड (१) में जैसा उल्लेख किया गया है "कार्यवाहक प्रन्यासधारी, बोर्ड में कोई रिक्ति होने पर, तुरन्त उस रिक्ति के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त को सूचित करेगा तथा उसे वह कितने समय में और किस रीति का प्रस्ताव करता है इसके सम्बन्ध में भी सूचित करेगा।" मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं है वह रिक्त स्थान को भरे और उसकी सूचना दे। लेकिन उसके आगे उप-खण्ड (२) (३) हैं, उसमें यह है कि "ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, सहायक आयुक्त, यदि वह आवश्यक समझे ऐसी रिक्ति के भरने के सम्बन्ध में, कार्यवाहक प्रन्यासधारी को, कोई निदेश, जो पंजिका में निर्दिष्ट उत्तराधिकार की रीति या किसी विलेख के असंगत न हो, जारी कर सकता है और कार्यवाहक प्रन्यासधारी ऐसे किसी भी निदेश का पालन करेगा।" इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के हाथ में ट्रस्ट है, जो ट्रस्टोज बने हुए हैं उनमें से यदि कोई स्थान रिक्त हो तो उसकी पूर्ति करने का अधिकार उप-खण्ड १ के द्वारा उनको दिया गया है। उप-खण्ड (१) के द्वारा उन पर पाबन्दी डाली गई है ज्योंही वह स्थान रिक्त होगा उसकी सूचना तुरन्त सहायक आयुक्त को दी जायगी और उस स्थान की किस प्रकार से पूर्ति की जावेगी। लेकिन आगे चल कर इस पर पाबन्दी डाल दी है वह इस रूप में है कि "आयुक्त यदि वह आवश्यक समझे ऐसी रिक्ति के भरने के सम्बन्ध में कार्यवाहक प्रन्यासधारी को, कोई निदेश, जो पंजिका में निर्दिष्ट उत्तराधिकार की रीति या किसी विलेख के असंगत

[श्री भैरूंसिंह]

न हो जारी कर सकता है। " इससे ऐसी सूरत में सहायक आयुक्त को अधिकार होगा कि अपनी ओर से मर्जी आये वैसा निदेश दे और उन प्रन्यासधारीयों को लाजमी होगा कि वे उस का पालन करें। इसका मतलब तो यही हुआ कि एक हाथ से जो अधिकार दिया वही अधिकार दूसरे मजबूत हाथ से छीन लिया। हमारी मंशा इस कान को बनाने की कि प्रन्यासों के धन को दुर्गति से बचाया जाय। कोई अव्यवस्था है तो उसको दूर किया जाय, लेकिन उन प्रन्यासों के डे टु डे एडमिनिस्ट्रेशन में और कौन करेगा, उसके पर्सनल कौन कौन होंगे उनमें हस्तक्षेप करना और जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, पर्सन्स में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते यह बात मिथ्या साबित होगी। हमने छोटी छोटी बातों में भी हस्तक्षेप की नीति बना ली है। जिन व्यक्तियों को विश्वासनीय समझ कर धन दिया जाता है, जिन व्यक्तियों को विश्वासनीय समझ कर दान देते हैं, उन दान देने वाले व्यक्तियों को तो अधिकार नहीं होगा कि वे अपनी ओर से अगर किसी ट्रस्टी की जगह रिक्त हुई है तो उसकी पूर्ति कर सकें, इस प्रतिबन्ध से वह नहीं कर सकेगा और सहायक आयुक्त मर्जी चाहेगा उसको नियुक्त कर देगा। जैसे मैं ने ७ हजार रुपये दान में दिये, उस दान देने से एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्टीज के बोर्ड में से बोर्ड स्थान रिक्त होगया तो ट्रस्टी के नाते में अधिकार रखता हूं कि मैं इस बात की सूचना दूं कि किस प्रकार से पूर्ति करूंगा। लेकिन मान लीजिये कि सहायक आयुक्त किसी व्यक्ति को पसन्द नहीं करता है और जिस व्यक्ति को मैं पसन्द करता हूं तो वैसी सूरत में सहायक आयुक्त को यह अधिकार होगा और उस अधिकार के कारण वह निदेश दे सकता है कि इसकी पूर्ति इस तरह से की जावेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने दान किया उसको कोई अधिकार नहीं है कि उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये अपनी पसन्द का ट्रस्टी मुकर्रर करा सके। जिसने दान दिया है उसको अधिकार नहीं है और तीसरे ही आदमी को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह चाहे उसको मुकर्रर कर सके।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह कहां से लाये कि अपनी तरफ से किसी को मुकर्रर कर देगा, चाहे इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रस्ट हो।

श्री अध्यक्ष—यह है (३) में।

श्री दामोदरलाल व्यास—It is quite clear, Sir. On receipt of such information the Assistant Commissioner may, if he considers it necessary, issue any directions to the working trustee regarding the filling of such vacancies not inconsistent with any instrument...........

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में पढ़िये।

श्री दामोदरलाल व्यास—and the working trustee shall comply with any such direction. It is only an apprehension that Assistant Commissioner will appoint his man.

श्री अध्यक्ष—टाइम नहीं है। पहले में तो टाइम की बात है "तुरन्त उस रिक्ति के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त को सूचित करेगा" कब भरेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Time specified by the notice.

इतने दिनों में कर दे। If he does not do then......

श्री अध्यक्ष--The apprehension is that it is forced.

श्री दामोदरलाल व्यास--इसमें स्पष्ट है "The Assistant Commissioner may, if he considers it necessary, issue any directions to the working trustee regarding the filling of such vacancy not inconsistent with any instrument or the mode of succession.........."

श्री भैरू सिंह (१९)--माननीय अध्यक्ष, स्पष्ट है कि यदि इन्स्ट्रमेन्ट में कोई स्थान रिक्त है किसी तरह से तो उसको भरा जाय। दान करने वाले को इसका अधिकार रहता है। लेकिन अगर सहायक आयुक्त यह चाहे कि दान देने वाला व्यक्ति, जिसके पैसे का कि ट्रस्ट बना हुआ है, वह जिस व्यक्ति को उस स्थान को पूर्ति के लिए उस ट्रस्ट में लेना चाहाता है लेकिन सहायक आयुक्त है कि जो दान देने वाला व्यक्ति जिस आदमी को चाहता है वह उस रिक्त स्थान की पूर्ति न करे तो वैसी सूरत में वह साहयक आयुक्त जिसको भी चाहेगा उस रिक्त स्थान पर नियुक्त करेगा। यही एप्रीहेन्सन है अध्यक्ष महोदय। इसका नतीजा यह होगा आगे चल कर उस ट्रस्ट पर सरकार का अधिकार हो जावेगा और सरकार नहीं चाहेगी कि उस ट्रस्ट में दान देने वाले व्यक्ति का कोई विश्वासी आदमी आये। आपने बताया कि उस विलेख में उल्लेख हुआ है और विपरित आदेश नहीं देगा। उस विलेख में इसका उल्लेख नहीं है। यदि ट्रस्ट बनाने वाला व्यक्ति यह चाहे कि वह जिसको ट्रस्टी मुकर्रर करे लेकिन सहायक आयुक्त चाहेगा तो वह ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल साफ है और इसी एप्रोहेन्सन से मैंने यह रखा है।

श्री अध्यक्ष--It is clear। और भी है। पेश करेंगे ?

श्री भैरू सिंह--मेरा जो संशोधन है वह दूसरी प्रकार का है। ये जो उप-खंड १.२.३ हैं उनमें जो दिक्कते हैं वे मैंने रखी हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए ही मैंने संशोधन रखा है; वह स्पष्ट है।

इस संशोधन के द्वारा यह होगा कि जहां कहीं प्रन्यास में बोर्ड का प्रबन्ध है और बोर्ड में कोई स्थान खाली होता है तो शेष सदस्य प्रन्यास के विधेयक की धाराओं का खयाल रखते हुए उस रिक्ति को ६ महीनों में भरने का प्रबन्ध करेंगे और यदि इस अवधि में नहीं भरते हैं तो सहायक आयुक्त इस रिक्ति को भरने के लिये कोर्ट से निर्देश प्राप्त करेंगे कि रिक्ति की पूर्ति कैसे कीजाय। अध्यक्ष महोदय, कानून में यह व्यवस्था है कि यदि आवेदन शेष हो जाय और सहायक आयुक्त यह समझे कि वह ऑर्डर नहीं दे सकता है तो कोर्ट से निर्देश लेने के उन ट्रस्टीज को आदेश देगा। तो यदि उक्त प्रन्यास के बोर्ड में कोई स्थान रिक्त होता है और उस की पूर्ति बाकी के सदस्य नहीं कर सकते तो हम यह करदें कि स्थान रिक्त हुआ है तो कोर्ट से आदेश प्राप्त किया जाय। मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके द्वारा आगे का उप-खण्ड विलोपित करने के बाद यह एक अच्छी परम्परा अपनाना होगा।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरे ३ अमेन्डमेन्ट्स हैं। पहला है उप-खण्ड (१) की पंक्ति तीन में 'तुरन्त' शब्द के स्थान पर निम्न शब्द निविष्ट किये जावें "रिक्त होने की तारीख से १५ दिन के अन्दर।"

इसमें यह व्यवस्था है कि हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास में कोई स्थान रिक्त है तो कार्यवाहक प्रन्यासधारी को इसकी सूचना तुरन्त देनी चाहिये सहायक आयुक्त को। मेरा संशोधन है कि स्थान रिक्त होने के १५ दिन के अन्दर अन्दर सूचना देदी जाय। तुरन्त सूचना देने का मतलब यह होगा कि इधर मृत्यु हो और उधर सूचना भेजदी जाय। यह संभव नहीं हो सकता। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मृत व्यक्ति उस स्थान का रहनेवाला भी नहीं हो। और ऐसा भी मौका हो सकता है कि वह व्यक्ति उस स्थान का रहने वाला तो हो लेकिन कहीं बाहर गया हुआ हो और वहां उसकी मृत्यु हो गई हो ऐसी स्थिति में तुरन्त सूचना नहीं दे पाते। तो जहां पेनल्टी का प्रश्न है, यदि इसकी अवहेलना करे तो १०० रु० तक जुर्माना हो जाता है। इसलिये तुरन्त सूचना देने के बजाय अवधि निश्चित करनी चाहिये। इसलिये मैं ने १५ दिन की अवधि निश्चित की है। यह मेरा साधारण सा अमेन्डमेन्ट है।

मेरा दूसरा संशोधन है कि इस उप-खण्ड की पंक्ति चार में, "वह" शब्द के बाद के इस उप-खंड के कुल शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द प्रतिस्थापित किये जावें:—

"निर्धारित समय के अन्दर पंजिका में निर्दिष्ट उत्तराधिकार को रीति से भरेगा और उसकी सूचना सहायक आयुक्त को देगा।"

इस धारा में जहां इस बात का तरीका है कि स्थान रिक्त होने पर किस तरह से भरेगा वहां इसमें आजादी नहीं है। उसमें यह रखा है कि सूचना देगा और प्रस्तावित प्रोग्राम क्या है उसकी भी सूचना देगा। मैंने अपने संशोधन में यह व्यवस्था की है कि १५ दिन के अन्दर मृत्यु की सूचना दे और निर्धारित समय के अन्दर, पंजिका में जो तरीका दर्ज है उसके माफिक रिक्ति को भरदे और उसकी सूचना भी सहायक आयुक्त को देदे ताकि इसमें किसी का दखल न हो, क्योंकि रीति पंजिका में दर्ज है।

श्री अध्यक्ष—पंजिका से क्या अभिप्राय है?

श्री चांदमल मेहता—क्लॉजेज ४ और ५ में इस बात की व्यवस्था की है कि इन इन बातों की जानकारी करायेगा और उत्तराधिकारी की पद्धति भी दी हुई है। पंजिका में जो बात दर्ज होगी उसके माफिक कार्यवाही करके अपने अधिकार के माफिक चुनाव कर दे और सूचना देदे और मृत्यु की भी सूचना देदे।

मेरा तीसरा संशोधन उप-खण्ड (२) को विलोपित करने का है।

इसके माफिक यह अधिकार दिया है कि चुनाव के बारे में टाइम फिक्स करे। मैंने अपने संशोधन से व्यवस्था की है कि अपनी ओर से प्रन्यासधारी चुनाव करके भेज दे ताकि उसमें सहायक आयक्त की दखल न हो। इसलिये इस उप-धारा को विलोपित करने का संशोधन मैंने रखा है।

[श्री चांदमल मेहता]

मेरा चौथा संशोधन इस प्रकार है "उप-खण्ड (३) में प्रथम चार पंक्तियों के शब्द "यदि .... भर सकता है" के स्थान पर निम्न शब्द प्रतिस्थापित किये जावें :—

"उप-खंड (१) में उल्लेखित अवधि के अन्दर रिक्ति के न भरे जाने पर यदि सहायक आयुक्त आवश्यक समझे तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस प्रन्यास में हित रखता हो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये लिखित आज्ञा के जरिये नियुक्त कर सकता है।"

मौजूदा व्यवस्था यह है कि सहायक आयुक्त किसी व्यक्ति को मुकर्रर कर सकता है। आगे चल कर मन्त्रीजी का संशोधन आरहा है कि जैनियों के लिये अलग अलग बोर्ड बनें और हिन्दुओं के लिये अलग बोर्ड बने। इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था चाही गई है कि वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो उस प्रन्यास में हित रखता है। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो हो सकता है कि सहायक आयुक्त जैनों के प्रन्यास में किसी वैष्णव को नियुक्त करदे और वैष्णवों के प्रन्यास में किसी जैनी को नियुक्त करदे। यदि प्रन्यासधारी बोर्ड के रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी ओर से नहीं करते हैं तो असिस्टेन्ट कमिश्नर को यह अधिकार है कि उस प्रन्यास में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्ति उस स्थान पर करदे। उस प्रन्यास में हित रखने वाले के अतिरिक्त जिसको चाहे उसको नहीं रख सके। इसलिये यह साधारण सा संशोधन है। असिस्टेन्ट कमिश्नर का हस्तक्षेप न हो इसलिये रखा है। मैं समझता हूं यह साधारण सा संशोधन है और मन्त्रीजी को इसे मानना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इस पर सोचना हो तो इसको भी डेफर करदें ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे अपने संशोधन की लेंग्वेज बनानी है इसलिये इसको ५ मिनिट बाद लेलेंगे। लेकिन जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें मन्जूर नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष—उनका आप जवाब दे दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट पेश किये गये हैं उनमें से पहला अमेन्डमेन्ट दांता रामगढ के सदस्य का है वह जैसा है कि जिस तरह का अमेन्डमेन्ट है उस तरह से उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मैं मानता हूं कि किसी ट्रस्टी का स्थान रिक्त हो उस रिक्त स्थान को भरने के लिये देवस्थान कमिशनर या असिस्टेन्ट कमिश्नर को यह पॉवर नहीं होना चाहिये कि वे ट्रस्टीज मुकर्रर करने में दखल करे। I quite agree. यह बात मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन यह है कि ट्रस्ट के इन्स्ट्रूमेन्ट ऑफ इन्सट्रेक्शन्स में ऐसा डाइरेक्शन हो सकता है कि आयन्दा रिक्त स्थान होने पर किस तरह से ट्रस्टी बनाया जायगा, and there will so many other directions in that. ये बातें यदि रूल्स में हैं कि कैसे पूर्ति होगी तो उनका पालन होना जरूरी है। इसमें असिस्टेन्ट कमिश्नर की दखल हो ऐसा मैं नहीं मानता। एक बात यह हो सकती है कि ट्रस्टीज किसी को मकर्रर हो न करे, they may not fill it. According to the instruments of trust or directions laid therein................

(अश्रव्य)

Then the Assistant Commissioner should have the right to appoint trustees in accordance with the Instruments of Trust or law of succession of that trust.

श्री अध्यक्ष—रेज्युडरी (resudiary) क्लॉजेज नहीं रखी हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I would not amend it like this. अब रहा सवाल इस बात का जैसा कि दांता रामगढ से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर अदालत में जावे और डिक्लेअर कर देवे। यह उन्होंने उल्टी बात कह दी है। यह नहीं कहा कि असिस्टेन्ट कमिश्नर जो डिसीजन लेता है उसके खिलाफ कोई व्यक्ति अदालत में जा सकता है। इसमें प्रोवाइड किया गया है कि any body interested in that has got a right to go to a court and get it declared ultra vires from the court. वह प्रोविजन इसमें ऑलरेडी है। इस तरह का प्रोविजन जैसा अर्ज किया अमेन्डमेन्ट ड्राफ्ट करके पेश करता हूं। लेकिन जहां तक appointment of a successor of a trustee is concerned, I agree, Sir.

श्री अध्यक्ष—एक डिलीट की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—That is all right. Time limit may be given. Reasonable time may be given.

श्री अध्यक्ष—Yes. अच्छा दूसरा चांदमलजी का ?

श्री चांदमल मेहता—बिलकुल वही है साहब जो मैंने रखा है, मंत्री महोदय ने इस फार्म में ले लिया है।

श्री अध्यक्ष—The spirit in which the Revenue Minister........

श्री दामोदरलाल व्यास—I have only said, we......

श्री चांदमल मेहता—जिस रूप में मंत्री महोदय ला रहे हैं उससे मेरी बात कवर हो जाती है। धर्म में इन्ट्रेस्ट रखता है उसी को, "उसी एसिस्टेन्ट कमिश्नर" रखा जावे।

श्री अध्यक्ष—The man to be appointed must not have adverse interest to the trust.

श्री दामोदरलाल व्यास—While discussing this Bill we were expected to go to the general law of trust also. A trustee who is interested adversely cannot be appointed to that. There is no question of making any insertion in that Act. He cannot be appointed.

श्री चांदमल मेहता—यही मेरा मतलब है।

श्री दामोदरलाल व्यास—It is already there in the Trust Act.

श्री चांदमल मेहता—इसमें इसकी जरूरत है, दूसरे बोम्बे वगैरह में बने हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था दी है कि उस धर्म में इन्ट्रेस्ट हो उन्हीं को रखा जावे। इन्ट्रेस्ट की उसमें डेफिनेशन दी इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष:—भैरूंसिंह जी कुछ कहेंगे आप ?

श्री भैरूंसिंह—अभी तो वे ड्राफ्ट पेश करेंगे तब मालूम होगा कि वे क्या रखते हैं, तभी मैं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—It is Recasting of the whole clause. तो डेफर करते हैं इस क्लॉज को?

(स्वीकृति के पश्चात्)

Clause 26 is deferred.

(विराम)

क्लॉज़ २७, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—क्लॉजेज २७, २८, और २९।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २७, २८, और २९ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २७, २८, और २९ विधेयक के अंग बनें।

(विराम)

क्लॉज़ ३०, श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह (१९)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ३० में मेरा संशोधन है कि इस खण्ड की तीसरी पंक्ति में "सेवक होंगे" शब्दों के आगे के शब्द विलोपित किये जायं।

अध्यक्ष महोदय, आयुक्त, सहायक आयुक्त और अन्य अधिकारी सरकारी सेवक होंगे इस बात की व्यवस्था इस खण्ड में की गई है, पर इसमें आगे यह भी जोड दिया है कि "और अपना वेतन और भत्ते राज्य को संचित निधि से प्राप्त करेंगे। ऐसे अधिकारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा निश्चित की जावें।"

मैं इसका खयाल करता हूं कि सरकारी सर्विस में होंगे तो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले जितने रूल्स हैं वे अपने आप उन पर भी लागू होंगे, इसलिये इस कानून में इन शब्दों को रखना अनावश्यक है। जो रूल्स बाकी के सामान्यत: राज्य के कर्मचारियों पर लागू होते हैं वे ही इन पर भी लागू होंगे। इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन बिलकुल वाजिब है इन शब्दों के हटाने से भी वही मतलब निकलता है जो इन शब्दों के रखने से निकलता है तो ऐसे शब्दों को इस कानून में रखने की क्या आवश्यकता है जो सुपरफलुअस हैं ?

श्री अध्यक्ष—I fail to understand, what is the intention?

Page No 84

श्री भैरू सिंह—तीसरी लाइन में है "सरकारी सेवक होंगे" इसके आगे रखा है कि, "अपना वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से प्राप्त करेंगे। ऐसे अधिकारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा निश्चित की जायें" यह सब अनावश्यक है। अपने आप ही वे रूल्स इन पर भी लागू होंगे जो दूसरे राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

श्री अध्यक्ष—"पब्लिक सर्वेंट" का ट्रान्स्लेशन "सरकारी सेवक" हो गया है, just the reverse.

श्री भैरू सिंह—यह सब आवश्यक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—रखने में एतराज क्या है ?

श्री भैरू सिंह—जो अनावश्यक है उसको रखने से क्या मतलब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—But there is no harm in keeping it.

श्री अध्यक्ष—यह रिडन्डेन्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी तो कहा जाता है कि यह रिडन्डेन्ट है पर पहले at some stage यह आरोप लगाया गया था और यह एतराज उठाया गया था कि इन ट्रस्ट्स की संपत्ति में से जो फन्ड्स होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फन्ड्स हैं उनमें से इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिये सब कर्मचारियों को तनख्वाह दी जायगी। Therefore it was definitely laid down that they will be paid out of the Consolidated Fund of the State. This is the purpose of this.

श्री अध्यक्ष—Are they not Government servants ?

श्री भैरू सिंह—सरकारी सेवक होंगे तो उन पर भी आप ही वे रूल्स अपने आप लागू हो जायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें हर्ज क्या है ? That goes without saying that they will be Government servants and they will be paid out of the Consolidated Fund. But I just wanted that there should be no misunderstanding. It may not be said that, उन लोगों की तनख्वाह भी कोई मन्दिरों के ट्रस्ट से मिल जायगी। I wanted to put it definitely that they will be Government servants and paid out of the Consolidated Fund and that their terms of service will be according to the rules prescribed.

श्री अध्यक्ष—यह रहे तो क्या आपत्ति है ?

श्री भैरू सिंह—कोई आपत्ति तो नहीं, पर बेकार है।

श्री अध्यक्ष—बहुत सी बातें बेकार भी चलती हैं। क्या इसको प्रेस करेंगे ?

श्री भैरू सिंह—नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३० विधेयक का अंग बना ।

श्री दामोदरलाल व्यास--May I move any amendment to clause 26 ?

अभी जो क्लॉज २६ छोडा गया है उसमें अमेन्डमेन्ट तैयार है । उपखंड (१) में "तुरन्त" के स्थान पर....................

श्री अध्यक्ष--यह उनको (श्री भैरूंसिंह जी को) दे दें ताकि मीन वाइल स्टडी कर लें ।

श्री दामोदरलाल व्यास--दोनों का समावेश कर दिया गया है ।

"उपखण्ड (१) में "तुरन्त' के स्थान पर "२० दिन के अन्दर' प्रतिस्थापित किया जावे" । यह रखा है तथा sub clause (2) may be deleted."

श्री अध्यक्ष--भाषा कैसी होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास--"तुरन्त" को ओमिट कर दिया जायगा और उसके स्थान पर "२० दिन के अन्दर" यह रख दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--वह फिट इन नहीं होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास--"तुरन्त" हट जायगा और उसके स्थान पर "२० दिन के अन्दर सहायक आयुक्त को सूचित करेगा"................within 20 days;

श्री चांदमल मेहता--मैंने लेंग्वेज ठीक ठीक दी है, उसको स्वीकार करने में मंत्री महोदय को क्या एतराज है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--आपके एतराज से यह नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--उनके एतराज से हो रहा है, इसको स्वीकार कर लिया जाय तो क्या हर्ज है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--हर्ज कोई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--अच्छा, यह तो पहले में हुआ ।

श्री दामोदरलाल व्यास--दूसरा है...the second may be deleted.

उप-खंड (३) में शब्द 'अथवा सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश का पालन करने में' का लोप किया जावे ।

(यह खण्ड स्थगित किया गया)

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह, ३० ए.

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है : 'उप खंड (१) इस उप-खंड में राज्य सरकार राजस्थान राज-पत्र में विज्ञप्ति द्वारा' शब्दों के स्थान पर 'इस अधिनियम की धारा ३० बी के अन्तर्गत गठित परामर्शदाता बोर्ड' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह चाहूंगा कि इस संबंध में मेरे तीनों संशोधन एक साथ मूव करने की आज्ञा दी जावे, क्योंकि एक दूसरे से उनका काफी संबंध है।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री भैरूंसिंह—खंड ३० सी, "इस खंड के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जावे :

'(१) परामर्शदाता बोर्ड तथा प्रत्येक स्थानीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की संख्या ११ से १५ होगी।

(२) परामर्शदाता बोर्ड को मनोनीत करते समय राज्य सरकार निम्न श्रेणियों के समुचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखेगी :

(क) वैदिक, जैन, सिक्ख आदि हिन्दुओं के विभिन्न मतों के विधि विधान, परम्पराओं एवं मर्यादाओं का विशेष ज्ञान रखनेवाले विशेषज्ञ।

(ख) प्रशासन, वित्त तथा वित्रि व्यवस्था के विशेषज्ञ।

(ग) प्रन्यासधारी।

किन्तु शर्त यह है कि बोर्ड में उपरोक्त तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक के कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक छः प्रतिनिधि रहेंगे।

(३) परामर्शदाता बोर्ड के सदस्य उपरोक्त उप-धारा (२) की (क) श्रेणी के मनोनीत प्रतिनिधियों में से अपना अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(४) परामर्शदाता बोर्ड के सदस्य अपनी कार्य प्रणाली के नियम स्वयं निर्धारित करेंगे।

(५) परामर्शदाता बोर्ड का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा।

(६) स्थानीय परामर्शदात्री समितियों के गठन, अध्यक्ष के निर्वाचन, कार्य प्रणाली एवं कार्यकाल संबंधी नियम परामर्शदाता बोर्ड के गठन, अध्यक्ष के निर्वाचन, कार्य प्रणाली एवं कार्यकाल संबंधी उपरोक्त नियमों के अनुरूप ही होंगे।'

इस खंड के आगे एक निम्न लिखित नया खंड और जोड़ा जाय :

"३० डी : परामर्शदाता बोर्ड अथवा स्थानीय परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनने अथवा बने रहने के लिये अयोग्यताएं निम्न व्यक्ति परामर्शदाता बोर्ड अथवा स्थानीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य बनने अथवा बने रहने के आयोग्य माने जायेंगे :

(१) गैर हिन्दू,

[श्री भैरूंसिंह]

(२) पागल,

(३) अविमुक्त दिवालिया,

(४) किसी नैतिक अपराध के लिये दंडित व्यक्ति,

(५) ऐसे व्यक्ति को कभी किसी परामर्शदाता बोर्ड या स्थानीय परामर्शदात्री समिति की सदस्यता अथवा किसी प्रन्यास के प्रन्यासधारी पद से घोर असावधानी, विश्वासघात, दुरुपयोग या दुराचार, का दोषी होने के कारण हटाया गया हो।"

माननीय अध्यक्ष, धारा ३०, ए, बी और सी इन तीनों का संबंध परामर्शदाता बोर्ड या समिति के गठन और उसके कार्य से है और उसका किस प्रकार से चुनाव होगा और कौन कौन आदमी किस प्रकार के लिये जावेंगे, उसमें कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार के सदस्य होंगे और उनके क्वालिफिकेशन किस प्रकार की होगी, किन किन सदस्यों को डिसएबल माना जावेगा और इस बोर्ड में नहीं लिया जावेगा इस बारे में कोई भी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—रूल मेकिंग पॉवर्स में रखे हैं।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं यह चाहता हूं कि ये बातें सारी को सारी एक्ट में साफ दर्ज कर दी जावें और क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन साफ साफ यहीं पर रख दी जावे तो अच्छा है ? इसके अलावा कितने दिनों के लिये यह बोर्ड कायम रहेगा और उसके लिये सदस्य निर्धारित होंगे ? मेरे संशोधन के अनुसार यह बोर्ड के सदस्य तीन वर्ष तक रहने चाहिये ; इसके बाद यदि आप उनको फिर नामजद करना चाहें तो नामजद करने का अधिकार है, लेकिन यदि आपने उनको हमेशा के लिये नामजद कर दिये और किसी प्रकार की विशेष दिक्कत आ जावे तो आप उनको हटा नहीं सकते। इसलिये अनिश्चित काल के लिये उनको रखना उचित नहीं होगा और इससे बडा भारी नुकसान होगा। इसलिये मैंने यह तीन वर्ष की अवधि रखी है। इसके अलावा कोई मेम्बर गैर हिन्दू नहीं होना चाहिये या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिये जो शराब पीता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिये कि जिसके दुर्व्यवहार के कारण या किसी शराबखोरी के कारण उसको अविश्वास का प्रस्ताव लाकर हटाना पडे। यदि इस प्रकार के व्यक्ति को ले लिया गया तो धन का दुरुपयोग होगा।

हम चाहते हैं कि इस प्रकार का बोर्ड बने जो असिस्टेन्ट कमिश्नर और कमिश्नर को उचित रूप से सलाह देता रहे कि धन का सदुपयोग किस तरह हो। अगर परामर्शदात्री बोर्ड में अच्छे आदमी नहीं आये तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन यह है कि बोर्ड में ऐसे व्यक्ति लिये जावें जो धर्म में विशेषज्ञ हों और ऐसे व्यक्ति नहीं लिये जावें जिनको धर्म का ज्ञान नहीं हो। क्योंकि अगर बोर्ड के सदस्यों को धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो बोर्ड अडचन होगी, यदि किसी सदस्य को विशेष धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी इसलिये यदि जैन धर्म के बारे में ऐसे व्यक्तियों को रखा जावे जो जैन धर्म में जानकारी रखते हों तो उचित होगा और उसी प्रकार दूसरे धर्म में जानकारी रखने वाले भी होंगे .....

श्री अध्यक्ष—श्री दामोदरलाल व्यास से आपको इनका एमेन्डमेंट ३० (बी) ध्यान में है।

Page No 88

श्री भैरूंसिंह—वह तो उल्टा ज्यादा कम्पलीकेशन पैदा करने वाला है। यदि जैन धर्म में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों के लिये अलग अलग बोर्ड बनाये जावें तो आप अलग अलग बोर्ड बना सकते हैं। लेकिन हिन्दू धर्म जिसको वैदिक धर्म मान कर चलते हैं तो उनके लिये मैं यह कहूंगा कि उसमें बहुत से मत मतान्तर हैं, शैव, वैष्णव आदि। अगर इन सब सिद्धान्तों के जानने वालों की अलग अलग कमेटी होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं मगर जब एक ही बोर्ड होता है तो हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिये इसलिये यह अधिकार दिया जावे कि विशेषज्ञों से राय ली जावे और सब मतों पर राय देने वाले सदस्यों को बोर्ड में रखा जावे। इसके अलावा जिस धर्म में राय देनी हो तो उसी धर्म के विशेषज्ञ को अधिकार होना चाहिये कि वह अपनी राय दे और बाकी के लोगों को उस मामले में किसी प्रकार की राय देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि इस प्रकार का लॉ ही खत्म हो जाना चाहिये मगर सरकार नहीं चाहती कि इस प्रकार का लॉ खत्म हो। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो बोर्ड बने और उसमें सलाहकार लिये जावें वे धर्म के विशेषज्ञ हों और उन को उसी धर्म में राय देने का अधिकार हो जिसके लिये वे विशेषज्ञ हैं। मगर जिस प्रकार जैन धर्म में श्वेताम्बर और दिगम्बर हैं उनको लेकर अलग अलग समिति मुकर्रर की जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाकी के हिन्दू धर्म में सिक्ख आदि आवेंगे उनके लिये यदि बोर्ड एक ही बने तो उसमें एक एक धर्म का एक एक विशेषज्ञ हो,और उसको अपने धर्म के मामलों में सलाह देने का अधिकार होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैंने उनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का प्रस्ताव भी पेश किया है और यह बताया है कि किस प्रकार के लोगों को अपनी राय देने का अधिकार नहीं होगा, इसके लिये जो मेरा संशोधन है मैं समझता हूं कि स्वीकार कर लिया जावेगा।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३० ए. और ३० बी. में मेरे संशोधन इस प्रकार से हैं, पढ़कर बताता हूं;

"३० ए. उप-खंड (१) पंक्ति ३ में शब्द 'के लिये' के आगे निम्न शब्द निविष्ट किये जावें :

"उस प्रन्यासधारी और प्रन्यास में हित रखने वाले व्यक्तियों की समिति से उसी प्रन्यास के धर्म के व्यक्तियों की,"

"खंड बी : "इस खंड की पंक्ति २ के आरम्भ में शब्द 'द्वारा' के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायं :

'प्रन्यासधारी व्यक्तियों और भिन्न भिन्न धर्म और सम्प्रदाय के उन प्रन्यासों में हित रखनेवाले व्यक्तियों के परामर्श से।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ओरीजिनल विधेयक है, उसमें परामर्श-दात्री समिति और परामर्शदाता बोर्ड का प्रावधान है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं यह जो प्रन्यास होंगे या जो भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के प्रन्यास होंगे और उन सम्प्रदाय की मर्यादाओं के लिये और उन सम्प्रदाय के रीति रिवाजों के जानकार व्यक्तियों को, विशिष्ट व्यक्तियों को उन समितियों में और बोर्ड में शरीक होना आवश्यक है। क्योंकि हिन्दू धर्म में जैसे जैन बौद्ध और हिन्दू लिखा गया है मगर ये सब तो हिन्दू धर्म

[रावत श्री शम्भुसिंह]

में आ जाते हैं, हिन्दुओं से जैन बौद्ध और सिक्ख, सनातनी, आर्य समाजी आदि सब का समावेश हो जाता है, तो भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के प्रन्यासों के वास्ते आवश्यक है कि उन सम्प्रदायों के नियमों के अनुसार सरकार को परामर्श ओर सम्मति मिलती रहे, इस वास्ते मैंने यह अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। सरकार अगर बगैर सोचे विचारे ऐसी समिति या बोर्ड का गठन कर देती है जिसमें उस सम्प्रदाय के नियमों के जानकार, उस सम्प्रदाय की मर्यादाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे तो वे क्या परामर्श दे सकेंगे। मान लीजिये सिक्खों का प्रन्यास है उस सार्वजनिक प्रन्यास को परामर्श देने के लिये कुछ व्यक्तियों को परामर्शदात्री समिति में रखा गया है उन सदस्यों में कोई भी सिक्ख सम्प्रदाय के नियमों के ज्ञाता नहीं हैं तो वैसी हालत में सिक्खों के सार्वजनिक प्रन्यास के लिये वे क्या परामर्श दे सकेंगे? इस वास्ते यह आवश्यक है कि हर प्रन्यास में हर प्रन्यासधारी व्यक्तियों ओर उस प्रन्यास के हित को ध्यान में रखने वाले व्यक्तियों ओर जिस धर्म का वह प्रन्यास हो उस धर्म के जानकार व्यक्तियों को उस समिति में रखना चाहिये, उन्हीं को मिलाकर स्थानीय परामर्श दात्री समिति बनायी जावे ओर परामर्शदाता बोर्ड बनाया जावे। अब सवाल यह रहा भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के प्रन्यासों के वास्ते किस प्रकार से व्यक्ति लिये जायेंगे, इस वास्ते मेरा यह निवेदन है कि जहां मान लीजिये किसी सनातन धर्म से संबंधित प्रन्यास के लिये परामर्श चाहने की आवश्यकता हो तो उस समय यह होना चाहिये कि उस बोर्ड में सनातन धर्म के जानकार जो व्यक्ति हों उन्हीं से परामर्श लिया जायगा। जहां आर्य समाज के प्रन्यासों से संबंधित परामर्श लेने की आवश्यकता हो वहां आर्य समाज के जानकार जो व्यक्ति बोर्ड में हैं उन्हीं का परामर्श लिया जाय।

इस के अलावा माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी ने अपनी ओर से जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने जैनों के वास्ते श्वेताम्बर और दिगम्बर जैनों के वास्ते अलग अलग परामर्शदाता बोर्ड बनाने का सुझाव रखा है। जब हम श्वेताम्बर और दिगम्बर जैनों के वास्ते अलग अलग परामर्शदाता बोर्ड बनाने का अधिकार देते हैं तो हमें यह हिन्दुओं में भी जहां सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध और सिक्ख होंगे उनके लिये भी अलग अलग बोर्ड बनाने का सुझाव होना चाहिये, इसलिये माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह एक संकीर्ण सा लगता है। इस तरह से हिन्दुओं का अलग अलग वर्गीकरण करना उचित नहीं है। इस वास्ते यह आवश्यक और जरूरी है कि जब कि बोर्ड और समिति में भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के और धर्म के व्यक्ति होंगे और उन्हीं से उनके सम्प्रदायों के बारे में परामर्श लिया जा सकेगा, तो ऐसे अलग अलग बोर्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं इस तरह से हिन्दुओं में भेद करना उचित नहीं। हिन्दू अपने आप में एक हिन्दू राष्ट्र है वहां तो इस प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये, यह जरूरी है कि बोर्ड में भिन्न भिन्न सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व हो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि यह ओरीजनल विधेयक है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं जिसे देखने से प्रतीत होता है जिसे चाहें विधर्मी व्यक्तियों को शरीक कर सकते हैं दूसरे ना जानकार लोगों को भी शरीक कर सकते हैं..

श्री अध्यक्ष—विधर्मी नहीं स्वधर्मी ही लिये जा सकते हैं।

रावत श्री शम्भुसिंह—यह नहीं विधर्मी भी लिये जा सकते हैं। यदि यह धारा मूल रूप में स्वीकार हो जाती है तो नोन-हिन्दूज भी लिये जा सकते हैं इसमें कोई अड़चन नहीं है कि नोन-हिन्दूज

[रावत श्री शम्भुसिंह]

नहीं लिये जा सकते हों। इसलिये जब कि यह हिन्दुओं के लिये है तो इस में नोन-हिन्दूज के लिये कोई स्थान नहीं। मगर हिन्दुओं में जो भिन्न भिन्न सम्प्रदाय हैं उनकी मर्यादाओं के जानकार व्यक्ति और उस धर्म के व्यक्ति उसमें आने चाहियें और जिन प्रन्यासों और धर्म के संबंध में परामर्श लेने की आवश्यकता हो तो उन्हीं से उन्हीं सम्प्रदायों से संबन्धित व्यक्तियों से परामर्श लिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं मैंने यह संशोधन कुछ दिनों पहले ही पेश कर दिया था शायद माननीय मंत्रीजी ने भी इस बात को महसूस किया होगा लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपना अमेन्डमेन्ट रखा वह अमेन्डमेन्ट हिन्दुओं में भेदभाव पैदा करने वाला अमेन्डमेन्ट है। हिन्दू जाति संगठित जाति है उसमें भेदभाव किया जाना हिन्दू जाति के लिये अहितकर होगा। हां सम्प्रदाय जरूर भिन्न भिन्न हैं अतः भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के व्यक्ति शरीक किये जा सकते हैं भिन्न भिन्न प्रन्यासधारी व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिये इस प्रकार निष्पक्ष समिति और बोर्ड का आयोजन होना चाहिये और उन्हीं से सरकार को परामर्श लेना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—पहले माननीय मंत्रीजी का अमेन्डमेंट मूव हो जाय तो फिर बाद में बोलने की सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष—आपके पास पहुंच तो गया, मान लीजिये मूव कर दिया गया।

राज श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का अमेन्डमेंट मूव हो गया है ऐसा मान कर मैं बोल रहा हूं। जो अमेन्डमेंट माननीय मंत्रीजी ने दिया है वह बहुत डिसक्रीमीनेटरी है। अलग अलग संस्थाओं और धर्म के लिये अलग अलग बोडीज का बनाना बिल्कुल इस की भावना के खिलाफ होगा। इसको तो मंजूर ही नहीं किया जाना चाहिये। जो सुझाव भैरोंसिंह जी ने दिया है उसको कोऑप्ट कर लिया जाय। जिस धर्म के बारे में सम्मति लेना आवश्यक हो उस धर्म के लिये सम्मति लेने के लिये जो विशेष व्यक्ति उस धर्म का एक्सपर्ट हो उन्हीं को सम्मिलित किया जाना ज्यादा बेहतर होगा और जो संशोधन राजस्व मंत्री ने दिया है वह एडोप्ट करने लायक नहीं है।

इसके अलावा धारा ३० के वाद-विवाद में मंत्री महोदय ने यह फरमाया था कि आगे के पैराग्राफ को साफ कर देने के लिये इसको रक्खा है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से धारा को साफ करने के लिये अगर कोई अमेन्डमेन्ट पहली धारा में ही मूव हो जाता तो ज्यादा बहतर होता। इसलिये मैं यह समझता हूं कि भैरोंसिहजी का जो अमेन्डमेंट है उसे स्वीकार किया जावे और मिनिस्टर साहब का अमेन्डमेंट स्वीकार न किया जावे।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं यह मान कर कि माननीय मंत्री महोदय का अमेन्डमेंट मूव हो गया है उनको इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही दूसरे जिन अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया है उनके विरोध का भी विरोध करना चाहता हूं।

कुछ सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि जैनों का श्वेताम्बर दिगम्बर बोर्ड नहीं बनाया जाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने प्रारम्भ में भी यह निवेदन किया था कि जैन धर्म और दूसरे धर्मों में एक मोटा भेद है। जहां एक तरफ एक धर्म में भोग और श्रृंगार की

[श्री चांदमल मेहता]

महत्व दिया गया है, जहां दूसरी ओर त्याग और तपस्या को महत्व दिया गया है। इस दृष्टि से अलग अलग बोर्ड बनाये जाना उपयुक्त है। फिर राजस्थान में ही नहीं, दूसरे प्रान्तों में भी इसी तरह से अलग अलग बने हैं। बिहार में भी इसी तरह से अलग अलग बने हैं।

इससे हिन्दुओं के किसी सम्प्रदाय विशेष के बारे में कोई असर नहीं पड़ता, इसलिये अगर जैनियों के अलग अलग दो बोर्ड बनते हैं तो उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां माननीय मंत्री महोदय ने अलग अलग बोर्ड बनाने की व्यवस्था की है वहां उनके गठन के बारे में थोड़ी उदारता से काम लेते तो अच्छी बात थी।

ये बोर्ड जो बनाये जा रहे हैं वे नामजद बनाये जा रहे हैं पर बिहार में इलेक्टेड हैं। बिहार में जो प्रणाली अपनाई गई है वह यह है कि १।३ उससे सम्बन्धित जो संस्थाएं हैं उनके चुने हुए आदमी आते हैं और १।३ ऐसे जो कि उन प्रन्यासों के जो ट्रस्टी हैं वे चुनकर भेजते हैं और कुछ आदमी नामजद किये जाते हैं।

इस हमारे कानून में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि वे इस तरह का आश्वासन देंगे कि रिव्यू में ऐसा प्रोवीजन रख सकेंगे जो ऐसा होगा जिसमें संबंधित संस्थाओं और ट्रस्टियों के नुमाइन्दे आ सकें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को एक बार और धन्यवाद देते हुए यह मानकर कि आपने संशोधन मूव कर दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मानसिंह महार—यह तो बहुत सुलझा हुआ मामला है।

इस क्लॉज के अन्दर जिस प्रकार का अमेन्डमेंट माननीय मंत्रीजी ने मूव किया है उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, हमें कोई एतराज नहीं है।

पर बात तो यह है जो (ग) में लिखा है:

"सर्व अन्य हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास।"

तो इसमें बहुत ही एतराज की बात हो जाती है कि सरकार ने जब अलग अलग लोगों के लिये अलग अलग बोर्ड बनाने की बात मंजूर कर ली है तो उस स्थिति में बौद्धों में और सिक्खों के लिये भी अलग प्रन्यास बनाने आवश्यक हो जाते हैं।

इसके अलावा हिन्दुओं में भी सनातन धर्मावलम्बियों और आर्यसमाजियों के अलग अलग बोर्ड बनाये जाने चाहियें। वरना उनके अन्दर रोज कन्फिलक्ट होगा। क्योंकि दोनों की मान्यताओं में मौलिक अन्तर है, एक मूर्ति पूजा नहीं मानते और दूसरे मानते हैं।

मुझे तो खुशी है कि मंत्री महोदय ने इस सिद्धान्त को माना और फिर इस सिद्धान्त को तो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उसी दिन मान लिया था जिस रोज कि मुसलमान और ईसाइयों को इस कानून की

[श्री मानसिंह महार]

परिधि से बाहर निकाल दिया था पर अब जैनियों के अलग अलग बनाकर उन्होंने इसकी और भी अधिक पुष्टि कर दी है। ऐसी स्थिति में सिक्खों को और बौद्धों को और सनातनियों धर्मावलम्बियों को और आर्यसमाजियों को भी इस परिधि में लेकर उनके लिये भी अलग अलग बोर्ड बनाना बहुत अच्छा होगा।

हिन्दुओं में भी आर्यसमाजियों और सनातन धर्मियों में अलग अलग बोर्ड नहीं होने से कन्फ्लिक्ट होंगे, झगड़े होंगे और धार्मिक मामलों में इस तरह से अच्छा काम नहीं होगा। हम यह कहते हैं कि जो काम हो अच्छे ढंग से हो, अच्छे तरीके से हो, सबको संतोष मिले और इसलिये इन सबके भी अलग अलग बोर्ड बना दिये जावें तो अच्छा होगा।

जिद्द जब तक बनी रहती है तब तक मानने योग्य बात भी नहीं मानी जाया करती है पर अब एक बार जिद्द को छोड़ कर किसी सिद्धान्त को मान लिया जाता है तो फिर किसी तबके के लिये अलग बोर्ड बनाया जावे और किसी तबके के लिये नहीं रक्खा जावे यह अन्याय है और अगर इस तरह की बात आप नहीं मानते हैं तो यह एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी कानून होगा। स्पष्ट शब्दों में मैं तो यही समझता हूं कि किसी खास तबके की ओर से दबाव आने से उसकी बात तो मान ली जाय और दूसरों की नहीं मानें यह उपयुक्त नहीं है, यह परम्पराओं की दृष्टि से भी अच्छी बात नहीं है।

यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है अध्यक्ष महोदय, और अगर आप फरमावेंगे तो मैं इसे अमेन्डमेंट के फार्म में लिखकर भी कल प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—वैसे ही मंजूर कर लेंगे।

श्री मानसिंह महार—बिना अमेन्डमेंट के ही, बोलेंगे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—जैसा अमेन्डमेन्ट है वैसा ही मन्जूर करेंगे, वर्ना तो वोटिंग में रखना पड़ेगा।

श्री जगतसिंह झाला—जो परामर्शदाता समिति और बोर्ड के गठन के बारे में संशोधन रक्खा गया है उसके समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एक ही धर्म मानकर सब अलग अलग सम्प्रदाय के लोगों को एक ही समिति में गठित किया गया है यह अच्छा है। पर एक नया संशोधन जो अभी माननीय राजस्व मंत्री महोदय की तरफ से पेश हुआ है उससे तीन अलग अलग बोर्ड बनाये जाने को हैं। मैं इस का विरोधी नहीं हूं। विरोध तो परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य की तरह से हमें भी एक बात से है और वह है नामजद की बात से। इसका विरोध हम करते हैं। इसमें होगा क्या कि नामजद होने से राजनीति घुसेगी और सरकार अपनी मर्जी माफिक आदमियों को इन बोर्डों में रखकर अपना मनचाहा काम करावेगी।

इस में भी चुनाव होना चाहिए। मैं समझता था कि जब आपने जैनों का अलग रखा है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। उनकी उपासना की अलग पद्धति है तो उसके मुताबिक वह अलग हो, लेकिन उसके साथ में ही बौद्धों और सिक्खों का भी अलग होना

[श्री जगतसिंह झाला]

चाहिए । जब आपने हिन्दू धर्म को व्याख्या करते हुए हिन्दू शब्द की व्याख्या में बौद्धो, जैनो और सिक्खों को अलग रूप दिया है तो निःसंदेह ऐसा ही मकसद आपका उनमें पहले था कि अलग अलग बोर्ड होने चाहिए। सिक्खों के हमारे यहां गुरुद्वारे बहुत हो गये हैं जो कि अलग नहीं होंगे तो उनकी हिन्दुओं से इस बात की लड़ाई होगी कि उनके हितों की कुछ रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि जब अलग अलग रखे जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जब कानून में रखा है तो जो खास हैं उनके लिए अलग फिसाद या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और सनातनियों के साथ में आर्य समाजियों को रखे हैं तो अच्छा नहीं होगा। वे मूर्ति के खंडन में विश्वास करते हैं। एक ओर वे मूर्ति पूजा को मानते हैं, और वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, तो दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को उनके साथ में रखेंगे तो विरोध ज्यादा बढ़ेगा। तो मेरे निवेदन करने का मतलब यह है एक बोर्ड होता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं मानता हूं कि अलग अलग बोर्ड मुकर्रर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर अलग अलग विचारवालों के अलग अलग बोर्ड हों तो वे नामजद व्यक्तियों के बोर्ड नहीं हों। वे चुने हुए व्यक्तियो के बोर्ड होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष—श्री दुर्लभसिंह जी बोलेंगे।

श्री दुर्लभसिंह—(सिर हिलाकार) नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा यह प्रस्ताव है कि इन क्लॉजेज को डेफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—३० ए, बी और सी।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां। बहस तो इन पर हो चुकी है। मुझे जवाब देना है जो मैं बाद में दे दूंगा। That will be taken later. We may take clause 6 which is ready.

श्री अध्यक्ष—वैसे तो क्लॉज १५ भी लेना है। पहले इसको कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—Clause 15 is only for voting.

श्री अध्यक्ष—पहले इस क्रम से फिनिश कर लीजिये फिर डेफर्ड क्लॉजेज एक साथ ले लेंगे।

Yo3 ३१, श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि इस खण्ड को लोप किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस खंड में हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास की निधि को स्थापना के बारे में व्यवस्था की गई है। इसकी परिभाषा में ४, ५ बातों का उल्लेख है और उस उल्लेख में एक में तो इस अधिनियम

[श्री भैरूंसिंह]

के अन्तर्गत लगाये जाने वाले जितने भी शुल्क होंगे उनका जिक्र है। दूसरे में किसी निजी व्यक्ति से निधि के लिये प्राप्त रकम का उल्लेख है। तीसरे में सरकार या किसी स्थानीय सत्ता द्वारा निधि को एलॉटेड कोई भी रकम, और चौथे में यह है कि कोई भी अन्य ऐसी रकम जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा या उनके अन्तर्गत निधि में जमा किये जाने का निर्देश किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस खंड ३१ का सेन्स खंड ३४ से भी है, जिसमें लिखा है कि इस निधि का उपयोग किस प्रकार से होगा।

"(१) हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास प्रशासन निधि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन तथा सरकार की सामान्यता विशेष आज्ञाओं के अधीन, हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों के नियमन के कारण होने वाले व्ययों के भुगतान करने में तथा सामान्यतः इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के के लिये उपयोग में लाई जायगी।"

आगे और लिखा हुआ है :

"(२) सार्वजनीन प्रन्यास प्रशासन निधि में जमा किये जाने वाले रुपयों का समारक्षण और विनियोजन और उनमें से वितरण और भुगतान निर्धारित रीति से नियमित होगा तथा किया जायगा।"

लेकिन निधि के उपयोग के बारे में ३४ के अलावा ३५ में कुछ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

"......इसको कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्तों तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों और सेवकों के वेतन, निवृत्ति वेतन, अवकाश तथा अन्य भत्तों के कारण, उनके ऐसे अनुपाती अंश को अलग करते हुए जिसे सरकार, इस अधिनियम से असंबद्ध प्रकार्यों पर होने वाला प्रमाणित करे, तथा इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा किये गये अन्य व्ययों के कारण, निश्चित करे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अधीन जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की परिभाषा की है उस पर परिभाषा में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इनको जितनी भी तनख्वाह दी जायगी वह सरकार की संघनित निधि में से दी जायगी। उसके बाद में इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि इनकी पेन्शन या एलाउन्सेज या इनको तनख्वाहें ये सारी की सारी यह जो कोष बनेगा हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास कोष, उस कोष से दी जावे।

अब यह प्रश्न आता है कि यदि यह शुल्क वगैरह हैं वह कहां जमा किये जायं यदि और कोई धन आता है तो वह धन कहां जमा किया जाय? जहां तक शुल्क का प्रश्न आता है यदि शुल्क के संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था करें तो इस प्रकार से आने वाला शुल्क सरकारी कोष में जमा हो जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा। जितने भी सर्वेन्ट्स रखने वाले हैं उनकी तनख्वाह गवर्नमेन्ट के कन्सोलिडेटेड फन्ड में से देंगे। तो कन्सोलिडेटेड फन्ड में यदि इस प्रकार की रकम जमा होती है तो कोई ज्यादती नहीं है। लेकिन यह जो क्लॉज ३१ रखा है उसकी मन्शा स्पष्ट थी कि १२½ पर्सेन्ट जो क्लॉज ३२ के अनुसार वसूल करने वाले हैं वह १२½ परसेन्ट जो वसूल होगा और उसके साथ और भी धन एकत्रित होगा उस सारे के सारे धन से यह कोष बनेगा। उसी कोष में से सहायक आयुक्त

[श्री भैरूंसिंह]
या आयुक्त और उसके अधीनस्थ अधिकारियों को एक अंश में हम तनख्वाह देंगे। लेकिन मूल रूप में १२½ पर्सेन्ट को जो व्यवस्था करने वाली धारा थी वह जब कि सिलेक्ट कमेटी ने हटा दी और हटाई हुई समझ कर आगे चलें तो बाद में कोई ऐसी निधि नहीं रहती है कि जिसके लिये उस कोष को बनाने को आवश्यकता हो। केवल शुल्क रहता है, या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा निधि के लिये प्राप्त कोई भी रकम जो है वह सरकारी रकम के रूप में ली जा सकती है, सरकारी कोष के रूप में ली जा सकती और सरकारी तौर पर लेते हैं तो वह कन्सोलिडेटेड फन्ड में जमा होगी चाहे उस ट्रस्ट के नाम पर हो या चाहे किसी के नाम पर हो। लेकिन अलग से कोष बनाने की आवश्यकता नहीं। सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा निधि को एलॉटेड कोई भी रकम में से उसी कोष के नाम पर कोई धन देता है तो कन्सोलिडेटेड फन्ड में जमा हो सकती है।

इस सारे कोष को बनाये रखने का मतलब यह होगा कि सरकार किसी भी समय कह सकती है कि इस कोष में आमदनी का सोर्स नहीं है इसलिये यह भी व्यवस्था कर सकती है कि १२½ पर्सेन्ट जिसको आज अनुचित समझकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आगे चल कर वे उसको उचित समझें और लोग जिस समय असावधान रहें उस समय यदि १२½ पर्सेन्ट का प्रोवीजन आने वाला हो यानी उस समय एक एमेन्डमेन्ट लाकर सरकार स्वीकार कर ले। मैं समझता हूं कि हमारे राजस्व मंत्री जी बहुत होशियार हैं कि जिस कोष के लिये उन्होंने अहसान किया है कि इस प्रकार से १२½ पर्सेन्ट को नहीं रखें को मेम्बर्स की बात को स्वीकार किया है उस साढ़े बारह पर्सेन्ट को एक दो वर्षों में यह कह कर कि उक्त कोष से कानून में यह मन्शा मिलती है कि बाद में १२½ पर्सेन्ट को योजना बना कर उसको हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास प्रशासन निधि में जमा करने के लिये, वसूल करने के लिये किसी ऐसी बात को मन्जूर कर लें और १२ पर्सेन्ट को स्वीकार कर लें तो यह बात उनके ऊपर लागू नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब कि कोष में कोई आमदनी का सोर्स नहीं है तो, कोष किस बात का बनेगा ? पांच रुपये के हिसाब से जो शुल्क के पैसे इकट्ठे होंगे वे तो कन्सोलिडेटेड फन्ड में जमा हो सकते हैं; इसलिये अलग से कोष बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब कि १२½ पर्सेन्ट नहीं ले रहे हैं और केवल रजिस्ट्रेशन की ही फीस लेंगे तो इससे मामूली सी जो रेवेन्यू होगी तो उस मामूली सी रेवेन्यू के लिये कोष बनेगा, तो उस कोष के नियम बनेंगे, उसका कोषाध्यक्ष होगा। उसको इतने स्टेटमेन्ट रखने पड़ेंगे, और जो निधि वहां जमा होगी उसके लिये कई प्रकार के स्टेटमेन्ट देने होंगे। इसके बाद भी अगर असावधानी रही तो गबन जैसी बात भी हो जायगी। इसलिये उस जरा सी निधि के लिये कोष की आवश्यकता नहीं है। सारे मुलाजमान की तनख्वाह कन्सोलिडेटेड फन्ड से देने वाले हैं। इसलिये यह क्लॉज बिल्कुल ही गैर आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कोष की व्यवस्था करने वाली जो धारा है उसको लोप कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसको स्वीकार करता हूं कि क्लॉजेज ३१, ३४ और ३५ को ओमिट कर दिया जाय; क्लॉजेज ३२ और ३३ पहले ही ओमिट कर दिये गये हैं समिति द्वारा इस प्रकार से ....

श्री भैंरू सिंह—कौन सा ?

श्री अध्यक्ष—Seventh.

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं नहीं चाहता कि गलतफहमी पैदा करने का मौका माननीय सदस्य को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ३१, ३४ व ३५ को विलोपित किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ३१, ३४ व ३५ विलोपित किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अध्याय ७ विलोपित समझा जाय ?

(स्वीकृत)

अध्याय ७ विलोपित समझा जाय।

(विराम)

क्लॉजेज ३६, ३७, ३८।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ३६, ३७, ३८ स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ३६,३७,३८ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज ३९, श्री भैंरूसिंह।

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय,............

श्री दामोदरलाल व्यास—पेश कर रहे हैं।

श्री भैंरू सिंह—अगर मंजूर कर लें तो कोई आपत्ति नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास—सुन तो लूं।

श्री अध्यक्ष—रिपोर्ट करने का है।

श्री भैरूंसिंह--रिपोर्ट ही नहीं है माननीय अध्यक्ष । इस रिपोर्ट के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है ।

इसमें यह है कि "जहां किसी भी मामले में सहायक आयुक्त को इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच करनी है तो वह स्वयं जांच कर सकता है या मामलों को अनुसंधान और प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के लिये किसी भी राजस्व अधिकारी को, जो सहायक कलेक्टर से नीचे के पद का न हो अथवा ऐसे अन्य अधिकारी को जो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विज्ञापित किया जावे, प्रेषित कर सकता है ।"

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जांच करने के लिये हमने असिस्टेन्ट कमिश्नर को अधिकार दिया है और असिस्टेन्ट कमिश्नर किस प्रकार का होगा इस बारे में भी सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है । असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान के मामलों में प्रन्यासधारियों के मामलों से सम्बन्धित होगा और उन प्रन्यासों की जांच करने के सम्बन्ध में उसको आज्ञा होगी इस प्रकार का आश्वासन भी राजस्व मंत्रीजी की ओर से मिला है । लेकिन इस धारा के अन्तर्गत उन अधिकारियों पर कोई पाबन्दी नहीं है हो सकती है जो उस धर्म के अनुसार चलने वाले न हों, उनके रीति रिवाजों से भिन्न हो और वे उन प्रन्यासों की जांच के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं । देवस्थान का अधिकारी वह होना चाहिये कि जो उस प्रन्यास के मामले में जांच कर सके और इसका उस विभाग को ही अधिकार होना चाहिये । लेकिन रेवेन्यू विभाग के अधिकारी को अधिकार देना, जो उस प्रथा से, उस प्रन्यास के रीति रिवाज से सम्बन्धित नहीं है, उन प्रन्यासों के मामलों में और उन प्रन्यासों के धार्मिक मामलों में एक एक प्रकार से हस्तक्षेप करना है । यदि यह कहा जाय कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है और रेवेन्यू अधिकारी भी ऐसे ही नियुक्ति किये जावेंगे जो धार्मिक मामलों में और प्रन्यासों की प्रथाओं से सम्बन्धित होंगे तो माना जा सकता है, लेकिन सरकार ने यह भी रखा है रेवेन्यू अधिकारी असिस्टेन्ट कमिश्नर के केडर से नीचे का नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--यह है ।

श्री भैरूंसिंह--दोनों ही चीजें हैं । इसलिये मैंने निवेदन किया है कि इस क्लॉज को हटा दिया जाय । सहायक आयुक्त ही इस बात के लिये काफी है, वह जांच कर सकता है । अगर फिर भी सरकार दूसरे अधिकारी को अधिकार देना चाहती है, रेवेन्यू अधिकारी को अधिकार देना चाहती है उस अधिकारी पर वे पाबन्दी लागू होनी चाहिये जो पाबदियां किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिये लागू हैं । लेकिन इस धारा से तो राजस्व विभाग के कर्मचारी पर वे पाबन्दियां लागू होंगी नहीं, इसलिये इस क्लॉज ३९ को लोपित कर देना चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास--माननीय अध्यक्ष, मैं यह समझ नहीं पाया कि यह क्यों इन्टेशन पैदा हो गया है कि रेवेन्यू अधिकारी हस्तक्षेप करेगा ? हम असिस्टेन्ट कमिश्नर को तो अधिकार देना चाहते हैं लेकिन रेवेन्यू अधिकारी को इसके लिये पॉवर्स नहीं देना चाहते है जब कि वह भी सी केडर का होगा । वह भी आर. ए. एस. ऑफिसर है, उससे नीचे के अधिकारी को तो हम पॉवर्स नहीं दे रहे हैं । वह अधिकारी भी उसी स्टेटस का होगा । चपरासी को तो नहीं बनाने वाले हैं। इसलिये यह भावना नहीं होनी चाहिये कि गलत आदमी मुकर्रर कर दिया जावेगा । जो आदमी मुकर्रर होगा उस हम पर भी वे ही पाबन्दियां होंगी ।

Page No 98

श्री अध्यक्ष–Every detail cannot be laid down in the Bills.

श्री दामोदरलाल व्यास—It is impossible, Sir.

उसमें यह डिटेल्स रखी जाय कि वह आदमी फलां शक्ल का होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस किस्म का होगा यह उचित नहीं है। So it is not possible for me to accept it, sir.

श्री अध्यक्ष—प्रेस करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष–क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपना संशोधन वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरूंसिंह—मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ३९ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ३९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४०, श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४० में मेरा संशोधन है कि "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "एक सौ" शब्द निर्दिष्ट किया जावे। उप-खंड (२) में शब्द "एक सौ" के स्थान पर शब्द "पचास" निर्दिष्ट किया जावें।

अध्यक्ष मोहदय, क्लॉज ४० में पेनल्टी की व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति धारा ४,९, १२,१४, अथवा १६ के प्रावधानों को उल्लंघन करेगा, ऐसे अर्थ दंड जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, से दंडित किया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्लॉज ४ में पंजीयन की व्यवस्था की गई है, क्लॉज ९ में आय व्यय के बारे में व्यवस्था है, क्लॉज १२ में बजट के प्रोविजन की व्यवस्था है, क्लॉज १४ में विनियोजना और १६ में अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें बद्यान्ति की कोई बात नहीं है, संख्या हजम करने वाली बात है। किसी कारण से समय पर बजट प्रस्तुत न करके, पंजिका में जो विवरण है उसको प्रस्तुत न कर सकें, स्टेटमेन्ट समय पर प्रस्तुत न कर सकें तो ऐसी सूरत में उसको सजा रु० ५००

[श्री भैरूंसिंह]

जुर्माने की दी जावेगी। जहां सजा देने का प्रश्न है मूलतः इस एक्ट की यह धारणा नहीं है कि प्रन्यास-धारियों को दंडित किया जाय। मूल रूप में वे है उसी रूप में चलें। अगर एक कमी है और उसके लिए प्रन्यासधारियों का दंड देने की व्यवस्था करते हैं इस प्रकार से, तो वह दंड की रकम अपनी जेब से नहीं देगा। अगर प्रन्यास का काम करना है, प्रन्यासधारी बने रहना है तो वह दंड देगा तो उसी प्रन्यास की संपत्ति में से ही देगा और अगर वह उसमें से नहीं देगा तो एक दफा जेब से देगा और साथ ही साथ त्यागपत्र भी प्रस्तुत कर देगा, त्यागपत्र देने की सूरत में सरकार कह सकती है कि स्थान की पूर्ति कानून के अनुसार हो जावेगी, इस पूर्ति से प्रन्यास की भावना पूरी हो जावेगी यह मान कर नहीं चला जा सकता। किसी व्यक्ति की ओर से अगर अनजाने में, रूल्स की अनभिज्ञता से गलती हो जाय तो उसके लिए दंड की रु० ५०० तक की व्यवस्था करना अनुचित है। इससे उस प्रन्यास पर अनुचित बोझा होगा और प्रन्यासधारी को मजबूर करेगा कि प्रन्यास की व्यवस्था को छोड़ कर अलग हो जाय। जो व्यक्ति किसी प्रन्यासधारी पर विश्वास करके, ट्रस्ट का निर्माण करता है। जब उस व्यक्ति का उस ट्रस्ट में विश्वसनीय आदमी ही रहेगा इसलिए नहीं रहेगा कि समय समय पर जो हिसाब विवरण, स्टेटमेन्ट पेश होता है उनमें देरी हो सकती है। उस पर जुर्माना पांच सौ रुपये तक का किया जाय तो निश्चित रूप से यह कहां जा सकता है कि उसकी रुचि कम हो जावेगी। और कम रुचि होने के कारण वह इस प्रन्यास का जो ओब्जेक्ट है उसको पूरा करने में सार्थक नहीं होता; इसलिये ५०० रुपये के स्थान पर १०० रुपये किये जावें। और आगे यह है कि "ऐसे प्रावधान का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन के लिये इस अधिनियम द्वारा कोई विशिष्ट शास्ति प्रावहित नहीं की है उसको ५० रु० तक दंडित किया जायगा।"

अध्यक्ष महोदय, इस काम में छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो भूल से हो सकती हैं, वे बातें किसी सहायक आयुक्त के पास जावें तो वह १०० रुपये तक का जुर्माना कर सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि काम को रेगुलेट करने के लिये पनिशमेंट की व्यवस्था है। लेकिन पनिशमेंट ऐसा हो कि भूल पर आघात न हो। चरित्र के दोष के कारण कोई प्रन्यासधारी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिये खाली नोमिनल जुर्माना होना चाहिये जिसके कारण भविष्य में गलती न करे तो अच्छा होगा, बनिस्पत इसके कि आर्थिक दंड दें जिसके कारण कोई आयन्दा गलती न करेगा। हमें इस भावना का निर्माण करना है कि कोई गलती नहीं करे लेकिन वह आर्थिक दंड से नहीं बल्कि नैतिक दंड से होना चाहिये। इस बात के लिये हमें केवल नोमिनल दंड की व्यवस्था करनी चाहिये, यह नहीं कि १०० रुपये या ५०० रुपये की व्यवस्था की जाय। मैंने इस भावना से यह संशोधन पेश किया है। मैं समझता हूं, इसको राजस्व मंत्रीजी स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—१००० रुपये के बजाय ५०० रुपये कर दिये, फिर २५० रुपये कर दिये और फिर १०० रुपये कर दिये, अब कराना क्या चाहते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—५०० रुपये से घटा कर १०० रुपये कर दिये, अब उसके स्थान पर ५० रुपये कराना चाहते हैं। यह बात नहीं है कि किसी पर मेग्जीमम जुर्माना ही किया जायगा to the extent of Rs. 500. That is the maximum.

श्री अध्यक्ष—ये रिस्क लेना नहीं चाहते ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह कानून की बात है इसलिये अर्ज करना चाहता हूं । असल में यदि यह मंशा है कि यहां जो लॉ बने वह effective बने और effective बन कर एप्लाई हो और उसका कंप्लाइन्स करना चाहिये तो मैं इस चीज को मंजूर करने को तैयार नहीं हूं । ५०० रुपये का जुर्माना ज्यादा नहीं है । यह ट्रस्ट के फंड में से नहीं देना होगा It is their own default. They must suffer themselves. ट्रस्टी को अपने पास से देना होगा । अपनी गलती से यदि कोई सजा पाता है तो समझ में नहीं आता कि उससे क्यों हमदर्दी रखी जाय और यह कहा जाय कि सजा कम रखो । यदि कोई लापरवाही से रूल्स का पालन नहीं करे तो उसको सजा क्यों नहीं दीजाय ? अदालत ने ५० रुपये जुर्माने के कर दिये तो they should not care and worry about it. मैंने १००० रुपये के बदले ५०० रुपये कर दिये । उसमें अब कमी की गुन्जायश नहीं है । जैसा क्लॉज है वैसा ही रहना चाहिये । ऐसी बात नहीं है कि एक्सेसिव जुर्माना हो । वे खुद यदि गलती करते हैं क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स के बावजूद तो उनको जुर्माना देना चाहिये । जुर्माना करने या सजा देने से पहले उनको नोटिस दिया जायगा, टाइम दिया जायगा उसके बावजूद भी यदि वे गलती करें तो I think they should not be exempted from punishment. They should be punished.

श्री अध्यक्ष—This will be in the interest of the Trust rather than against it.

श्री भैरूंसिंह—ट्रस्ट के इन्ट्रेस्ट में कोई बात नहीं रहेगी । वह आदमी ट्रस्ट छोड़कर चला जायगा, यदि ट्रस्ट के कोष से जमा कराना हो तब तो वह बना रहेगा लेकिन यदि जेब से जमा कराये तो अपनी जेब से वालेन्टरियली कोई जमा करा देगा, ऐसी कार्यवाही न तो कहीं देखने में आई है और न कहीं होगी । ऐसा करने से तो ट्रस्ट में कोई काम नहीं करेगा । ट्रस्ट्स में काम करने वाले जितने व्यक्ति हैं वे सब अवैतनिक हैं, सोशियल सर्विस करते हैं । उन पर यदि आर्थिक दंड होता है तो वे काम नहीं करेंगे । आप यह व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं कि प्रन्यास के फंड में से दें, इसलिये यह केवल ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जो नैतिकता की दृष्टि से हो । यदि यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से की गई तो कोई प्रन्यासधारी कभी वालेन्टरियली सर्विस नहीं करेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मैं व्यवस्था कर रहा हूं उसको सदन स्वीकार करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ४० में जो संशोधन श्री भैरूंसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४० स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज ४० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४१ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४१ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४३

श्री भैरूं सिंह (१६)—मेरा एक मामूली सा संशोधन है। इस अधिनियम के प्रावधान के लिये सरकार नियम बना सकती है। मैंने संशोधन रखा है कि "सरकार" और "नियम" शब्दों के बीच में "परामर्शदाता बोर्ड की सलाह से" ये शब्द निविष्ट किये जावें। इसके बारे में मैं विशेष नहीं कहना चाहता। जब धार्मिक बोर्ड बना रहे हैं तो उनकी स्वीकृति से नियम बनावें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—अपने यहां सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन का provision नहीं है। In other Assemblies the bye laws come before the House.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि रूल्स बनाते समय एडवाइजरी बोर्ड्स हैं उनकी सम्मति ली जाय। मैं अर्ज करता हूं कि जितने भी रूल्स बनेंगे वे सारी दुनिया की सम्मति से बनाये जायेंगे। उनका प्रायर पब्लिकेशन होगा। They will be published in the gazette, objections will be invited and then only they will be finalised. In that case the members of the Advisory Committee shall have the right to advise and raise objections against it.

श्री अध्यक्ष—यह रिन्डडेन्ट सा रह जाता है।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापिस लिया गया)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४३ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज ४४

[श्री अध्यक्ष]

मुक्ति । एबसेन्ट हैं । (हंसी)

(Laughter)

श्री भैरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुक्ति से कौन एबसेन्ट हैं ?

क्लॉज ४४ इस प्रकार है :—

"(१) इस अधिनियम में निहित कोई भी बात, राज्य सरकार ने नियन्त्रण के अन्तर्गत काम करने वाले किसी भी अभिकरण (एजेन्सी) या किसी स्थानीय सत्र द्वारा प्रकाशित हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास पर लागू नहीं होगी ।

(२) सरकार, किसी भी हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास को या हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों के वर्गों को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रावधानों से, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो सरकार लगाना उचित समझे, विज्ञप्ति निकाल कर, उक्त विज्ञप्ति में मुक्ति के कारण बतलाते हुए मुक्त कर सकती है ।"

मेरा संशोधन है कि इस क्लॉज को लोप किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय इस बिल के सिद्धान्त पर विचार हो रहा था उस समय देवस्थान विभाग के सारे कारनामें सदन के सामने रखे गये थे । देवस्थान विभाग आज जिस अवस्था से गुजर रहा है वह कोई संतोषजनक हो, ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—But that department is already under the criticism of this House.

श्री भैरूं सिंह—मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि इस डिपार्टमेंट को इस एक्ट से मुक्त नहीं कराया जाय बल्कि प्रन्यासों को डिपार्टमेंट से मुक्त कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष—That is already under the control of the House that is run by the Government.

श्री भैरूं सिंह—ऐसे सारे मन्दिर हैं उनके लिये गवर्नमेंट ट्रस्टी मुकर्रर करे और वे मंदिर ट्रस्टीज अधिकार में आवें ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यदि माननीय सदस्य कोई अमेन्डमेंट रखें तो मुझे ऐतराज नहीं होगा । जितने मंदिर हैं उनका ट्रस्ट करें तो मुझे एतराज नहीं होगा ।

श्री भैरूं सिंह—जो गवर्नमेंट के अंडर में हैं उनका ट्रस्ट कायम किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—There is not much force in what the member says.

श्री भैरूं सिंह—इसके उप खंड (२) में यह बात है कि सरकार कानून बनाने के बाद सरकार को अधिकार होगा कि सरकार किसी भी सार्वजनीन प्रन्यास को, कारण बताती हुई, मुक्त कर सकती है । मैं समझता हूं कुछ न कुछ बातें बतानी चाहियें जिनके कारण सरकार अधिनियम के प्रावधानों से किसी को मुक्त कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष—All the actions of the Government are subject to the control of this House.

श्री भैरूंसिंह—नहीं साहब, ये जो बातें हैं छोटे छोटे प्रावधानों पर लागू नहीं होंगी। हमने कानून बनाया और आगे चल कर सरकार को अधिकार दे दें कि वह उनको रद्द कर दे तो इसका मतलब यह हुआ कि सारा कानून ही बनाना बेकार रहा। उसकी बजाय एक क्लॉज ही पास कर दें कि सरकार जो उचित समझे उस तरह के नियम बना सकती है।

श्री अध्यक्ष—But then this House can question an act of the Government.

श्री भैरूंसिंह--मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि फिर इस कानून को बनाने की आवश्यकता ही नहीं सिर्फ एक क्लॉज ही बना दें। अब तक कानून बनाया कि किस तरह हिसाब रखे जायंगे, प्रन्यासधारी किस तरह पन्जीयन के लिये क्या क्या डिटेल्स देंगे आदि आदि; इसकी बजाय एक क्लॉज ही बना देते कि सरकार को अधिकार होगा कि किसी वर्ग के ट्रस्ट को कारण बता कर मुक्त कर सकती है। यह सरकार के हाथ में बहुत बडा अधिकार देते हैं। इससे सरकार अपने कुछ मित्रों को प्रोटेक्शन देने के लिये, मित्रों का समर्थन प्राप्त करने के लिये और अगर कोई ३,००,००० रुपया किसी काम में जमा करा दे तो उन सब को सरकार मुक्त कर सकती है। कोई दुरुपयोग में इस डिस्क्रिशन को न अपनायें, इसलिये यह संशोधन रखा है कि इसका विलोप कर दिया जाय।

सरकार यदि मुक्त करना चाहती है तो हमें बता दे कि इन इन कारणों से एक्ट के प्रावधानों से इस प्रकार के प्रन्यासों को मुक्त रखा जायगा ताकि हमें भी मालूम हो कि मुक्त होने को ये ये स्थितियां हैं, ये ये मौके हैं। इस बारे में हमें अंधेरे में रखना उचित नहीं।

दूसरी ओर क्लॉज (१) में संशोधन ला रहे हैं तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था रखें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--माननीय अध्यक्ष, इसमें दो provisions हैं। माननीय सदस्य को एतराज इसमें यह है कि जो देवस्थान विभाग द्वारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं उनको तो वे मानते हैं कि विलोपित कर दिया जाय। इसके लिये मैंने उनसे कहा था कि वे कोई अमेन्टमेंट लायें, पर वे लाये नहीं।

एग्जेम्पशन के लिये उनको सबसे बडा ऐतराज है। पर इसमें साफ लिखा है: "specifying the reasons for such exemption". तो आर्बिट्रेरी पॉवर्स नहीं हैं कि चाहे उनको छोड दिया। We shall have to assign reason for exempting a particular type of trust.

मेरे खयाल से यह जरूर रहना चाहिये। बहुत से ट्रस्ट ऐसे हैं, जो वल मेनेज्ड हैं, जिनके ट्रस्टीज वेलनोन और रेस्पेक्टेड हैं उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं। If they are well managed, Government does not want to interfere in those religious trusts. We shall interfere with these trusts only in order to enable them to carry on the management properly. Therefore there must be some clause in this Bill for exempting those trusts which are well-managed and run by respectable persons. That is all.

श्री अध्यक्ष—प्रेस करते हैं क्या ?

श्री भैरूंसिंह—हां साहब ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ४४ में श्री भैरूंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४४ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४४ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ४५, श्री भैरूंसिंहजी ।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन यह है कि पहली पंक्ति में शब्द 'विलेख के पूर्व राजकीय' शब्द निविष्ट किये जायं ।

क्लॉज ४५ इस प्रकार है :

"अधिनियम का अभिभावी होना : किसी भी एक्ट, नियम या विलेख में किसी भी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम उन समस्त मामलों के सम्बन्ध में अभिभावी होगा जिनके लिये उसम प्रावधान कर दिया गया है ।"

माननीय अध्यक्ष, यहां विधेयक दो प्रकार के हैं, एक राजकीय विधेयक और ट्रस्ट जिसने निर्माण किया है उसका विधेयक । इसमें शायद उन बातों का जिक्र होना चाहिये जो राजकीय विधेयक में हैं; वे न होकर ट्रस्ट सम्बन्धी विधेयक हैं उनकी बातों को मंजूर करने की बातें करते आये हैं। उनके विधेयक में किसी बात के उठने पर कोई सहायक आयुक्त उसकी मंशा के विपरीत आज्ञा देगा, यह तरीका लागू हो सकता है, इसलिये 'राजकीय' शब्द जोड दिया जाय । इससे स्थिति साफ हो जायगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास—बिल में सारे इन्स्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रस्ट्स को प्रायोरिटी दी है that instrument will prevail, इसलिये इसमें इसकी जरूरत नहीं है । ट्रस्ट में किस तरह trustee's appointed with trusts priority. जरूरत नहीं है । यहां तो यह है कि कोई बात ऐसी होगी "instrument contained in the trust deed"—that clause is quite clear. "Notwithstanding anything contained in any Act or instrument. .this Act shall prevail in respect of all matters in respect of which provision has been made."

तो जिसमें जिन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रस्ट के मेन पर्पज की या प्रोपर्टी का सवाल है, उसकी खिलाफवर्जी हो वहां दूसरे मामलों में "the Act must prevail."

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह चीज स्पष्ट नहीं हो रही है। हमने जो व्यवस्था की है विधेयक को उपरोक्त बातें जो हैं, विधेयक में रखी गई हैं उन बातों की रक्षा की जायगी। इसकी भावना है, उद्देश्य है, किस प्रकार काम करेंगे, इसका उल्लेख है तो सारी बातों की रक्षा करते हुए इस एक्ट के क्लॉज़ेज लागू होंगे। मैं बताऊं माननीय राजस्व मंत्रीजी को कि अंकेक्षण करने के बारे में व्यवस्था की है, लेखा जोखा तैयार करने के इस विधेयक में तरीके निर्देशित किये गये हैं उन्हीं तरीकों के अनुसार होगा, विपरीत नहीं होगा। दूसरा तरीका यह रखते हैं कि किसी भी एक्ट, नियम या विलेख में किसी भी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम उन समस्त मामलों के सम्बन्ध में अभिभावी होगा, जिनके लिये उसमें प्रावधान कर दिया गया है। तो इसमें राजकी विलेख करना चाहिये।

इसलिये मैं अन्त में फिर राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक्ट की सारी मंशा के खिलाफ यह क्लॉज है। 'राजकीय' शब्द लगाने से वह मंशा पूरी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—क्या अब वोट पर रखें ?

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४५ में जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

Clause 46. We can take the amendment of the Revenue Minister as moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ में जो संशोधन श्री दामोदरलालजी व्यास ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४६ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

[श्री अध्यक्ष]

Amended clause 15. Clause 15A.

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, ये जो controversial क्लॉजेज हैं उनके लिये हमें थोड़ा मौका दिया जावे जिससे कि हम आपस में सदन के बाहर मिलकर इन पर विचार कर सकें।

श्री दामोदरलाल व्यास—Clause 26 is not at all controversial.

श्री अध्यक्ष—क्लॉज ३० (ए), (बी) और (सी). If the deferred clauses are ready..

श्री दामोदरलाल व्यास—So far as clause 15 is concerned it is only meant for voting. We have finished it. So far as clause 30 is concerned, it may be deferred.

श्री अध्यक्ष—डेफर्ड क्लॉजेज के लिये अगर आप तैयार हों तो अभी ले लें।

श्री दामोदरलाल व्यास—Clause 30 may be deferred 26 may be deferred. डेफर रख दिया जाए।

श्री भैरूं सिंह—१५ ए और ३० ए, बी, सी को कल ले लिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरा कहना है २६ के लिये।

श्री भैरूं सिंह—वह भी कल आ जावेगा। छोटी सी बात तो है हो।

श्री अध्यक्ष—वेकेन्सी के बारे में तो है ही।

अब दूसरा बिजनेस लेते हैं।

राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १६५६
(विचारार्थ)

एक माननीय सदस्य—कल पर रखा जावे।

श्री हिम्मतसिंह—पुलिस के फुटबाल के मेच भी देखने हैं।

श्री अध्यक्ष—We should behave like legislators.

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, हम यह समझते थे कि यही आज बिल खत्म होगा इसलिये दूसरा बिजनेस कल ले लिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री एच. के. व्यास (श्री एच. के. व्यास के खड़े न होने पर)

Not ready ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—He is not anxious.

श्री अध्यक्ष—But the House is very anxious to hear you.

श्री एच० के० व्यास--इसी अन्दाज से था कि दूसरा बिजनेस कल लिया जावेगा, मगर चूंकि अब आज्ञा हो गई है इसलिये निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री एच० के० व्यास--माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किये जाने का है। इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजे जाने के मुख्य कारण जो हैं वे इस प्रकार हैं . . . . .

श्री अध्यक्ष—The member seems to be caught by zero hours. His motion is for reference to Select Committee.

श्री एच० के० व्यास—इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना मान लिया जावे।

(विराम)

१५ मिनट तो बोलूंगा ही।

श्री अध्यक्ष—ज्यादा लम्बा बोलेंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा।

श्री एच० के० व्यास—माननीय राजस्व मंत्री समय देख रहे हैं।

. . . . . .

श्री भैरूंसिंह—माननीय मंत्री जा रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—Why do you worry about the Minister? I am here, so many of us.

श्री एच०के० व्यास—मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए क्योंकि इस के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के अन्तर्गत ऐसी बातें हैं कि जिनका बहुत गंभीर प्रभाव इस बिल के क्लॉजेज पर पड़ने लायक है। इसमें यह लिखा है कि राजस्थान एक्साइज एक्ट, १९५० की धारा १७ की उप-धारा (२), में एक कोई मामला हाई कोर्ट में गया और वह केस था, "राव मनोहरसिंह वगैरह बनाम राजस्थान राज्य A.I.R. 1954 Rajasthan 85." और हाई कोर्ट यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को बगैर कोई कारण के या बगैर कोई जस्टीफिकेशन के बगैर, यदि इस प्रकार के एक्ट के प्रोविजन से मुक्त कर देती है तो वह अन्यायपूर्ण चीज होती है और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की घोषणा को दुरुस्त न माना, इतना ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट के जजमेंट की मुख्य मंशा जो है वह इस प्रकार से उद्देश्यों तथा कारणों में उल्लिखित की गई है:-- "Therefore it is void because it places unregulated and unbridled power in

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

the hands of the Government to exempt. . without any rhyme or reason any person as contra-distinguished from any other person from the operation of the Act." तो जो राजस्थान एक्साइज एक्ट, १९५० के अंतर्गत आम अधिकार राज्य सरकार को दिया गया था उन आम अधिकारों को राजस्थान हाई कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे आर्बिट्रेटरी उपयोग हैं वे कोई कानून के हैं। उसको न्याय की दृष्टि से उचित नहीं समझते। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार क्या करना चाह रही है वह यह है कि वह उन्हीं अधिकारों को वापिस लेना चाहती है और केवल भाषा में परिवर्तन करके हाई कोर्ट के निर्णय से बचने को कोशिश सरकार कर रही है और मेरा जो कहना है अध्यक्ष महोदय, और मेरी जो निजी राय है कि खुद सरकार के स्टेटमेंट एण्ड ओब्जेक्टस जिस पर नीचे अमृतलाल यादव, मंत्री आबकारी व कर विभाग के दस्तखत हैं, उन्होंने खुद ने यह लिखा है: "The provision declared by the High Court be void is now proposed to be altered so as to take away from it all semblances of arbitrary, unbridled and unregulated character." तो खुद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो धारा हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार कर दो है, उसको एवज में एक दूसरी धारा प्रस्तुत को जा रही है, लेकिन दूसरी धारा का रूप क्या है वह इस प्रकार है कि उसमें "arbitarary, unbridled and unregulated" को देखना है। इनसे वह मुक्त कर दी जावे और वास्तविक स्थिति भी यही है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अधिकर सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं वे इस रूप के हैं:

"exempt any person or class of persons or any excisable article from all or any of the provisions of this Act or of the rules made thereunder either throughout Rajasthan or in any specified part thereof or for any specified period of occasion." ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के समूह को, किसी विशेष वस्तु के लिये, विशेष अवधि के लिये, कोई विशेष मौके के लिये........

श्री मानसिंह महार—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घण्टी के पश्चात् पुन:)

श्री हरिकृष्ण व्यास-(जारी रखते हुए) किसी विशेष मौके के लिये, शादी-विवाह का मौका हो, किसी की मिन्नतें मानने का मौका हो तो ऐसी हालत में एग्जेम्पशन ग्रान्ट कर सकते हैं। इसी बिल के पेज दो पर श्री अमृतलाल जी यादव ने स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्टस में जो रीजन प्रस्तुत किया है उसमें लिखा गया है: "The intention of the Government is not to exercise the power of exemption in an arbitrary manner but to use to mostly in respect of Rulers of the Covenanting States, defence personnel and institutions. In the absence. ."

अब जहां तक इन्स्टीट्यूशन का सवाल है अगर इन्स्टीट्यूशन के लिये इस अधिकार का उपयोग करने को सरकार को अधिकार होता तो जिस रूप में यह क्लॉज आज प्रस्तुत किया गया है उस रूप में प्रस्तुत कभी नहीं किया जाता, उसमें साफ लिख दिया होता "in place of any Person or class of persons" साफ दर्ज हो जाता इन्स्टीट्यूशन्स। इसके अन्तर्गत आप जिस प्रकार को

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

संस्थाओं को एक्जेम्प्शन देना चाहते हैं वह बात पूरी मुकम्मिल रूप से इसमें आ जाती। सरकार का इरादा इससे कुछ और आगे जाने का है जैसा कि इसमें उल्लेख है। रूलर्स ऑफ दी कोवेनेन्टिंग स्टेट्स उनको तो रियायत देना है यह भी एक बड़ी खामी है। जब भारत में नया विधान लागू हुआ और जब समाजवाद, अर्थ व्यवस्था के निर्माण का प्रस्ताव भारत की लोक सभा में पास करके इस बात का उल्लेख किया है कि यह हमारा ध्येय है। वैसी स्थिति में एक सामान्य कानून, जिस कानून को लागू करने का जिम्मा राज्य के पूरे हिस्से से है, तो वह हर एक के ऊपर बराबर रूप से लागू होना चाहिये। इस सामान्य कानून को लागू करने की निस्बत यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि इस कानून से जो पुराने भूतपूर्व रियासतों के राजा थे उनको हम वंचित करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि राव मनोहर सिंह बेदला इस श्रेणी में नहीं आते, जिसको एग्जेम्प्शन दिया गया था, जिनकी वजह से सारा का सारा केस हाईकोर्ट तक गया। वैसी सूरत में उसूलन यह किया जाय या नहीं, कोई कानून, पूर्णतः किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को रियायत देने का अधिकार दिया जाय या नहीं, यह सोचने का प्रश्न है। एक तो यह उसूलन गलत दृष्टिकोण है, जो इस बिल में अपनाया गया है। राजाओं को इस कानून से छूट दी जाय, रियायत दी जाय और सरकार द्वारा दी जाय। इस प्रकार का गलत काम सरकार किसी दवाव में आकर न करे, गलत तरीका अपना न ले इसी वजह से कानून में संशोधन की आवश्यकता है। जैसा कि इस बिल के उद्देश्यों में दर्ज है हम इसे केवल कुछ वस्तुओं के सिलसिले में, विशेष संस्थाओं के सिलसिले में उपयोग में लाना चाहते हैं। ऐसी संस्थायें कौनसी होंगी, उसका रूप भी साफ हो जाना चाहिये। क्या वे एज्युकेशनल संस्थायें होंगी या और अन्य कोई संस्थायें ? क्योंकि संस्था एक बहुत वाइड टर्म है। मान लीजिये किसी ने एक कम्पनी बनायी और वह रजिस्टर करा ली व्यापार के लिये तो वह भी एक संस्था होगी। कोऑपरेटिव बेसिस पर व्यापार के लिये अगर कोई समिति बना ली तो वह भी एक संस्था हो गई तो क्या इस का मतलब यह है कि इस प्रकार की संस्थायें भी एग्जेम्पटेड रहेंगी। यह भी उद्देश्य में दर्ज होना चाहिये, तभी जो कानून की पूरी की पूरी मन्शा है तभी पूरी तरह से लागू की जा सकती है। यह सब चीजें इस में नहीं हैं, इस बिल का उद्देश्य जो सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है वह उद्देश्य एतराज के काबिल है। उद्देश्य है वैसी स्थिति में इसमें संशोधन होकर ठीक रूप में सदन के सामने प्रस्तुत हो सके, इस पर विचार हो सके इसलिये यह आवश्यक है कि इसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ताकि वह सभी पहलू पर विचार कर सके, नहीं तो इस बिल में जो क्लॉज प्रस्तुत किया गया है उसमें जो अनुचित अधिकार सरकार को दिये जा रहे हैं उसी प्रकार के अधिकार रहेंगे। तो यह एक प्रकार से हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको रद्द कराने का निर्णय विधान सभा द्वारा किया जा रहा है और जिस रूप में पहले क्लॉज था, जिस पर हाई कोर्ट ने एतराज कर लिया उसी को पेन्ट करके, रंग देकर फिर विधान सभा द्वारा पास कराया जा रहा है....

श्री दामोदरलाल व्यास—हाई कोर्ट की आज्ञा का तो पालन किया जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दिखावे के रूप में किया जा रहा है, वस्तुतः हाईकोर्ट की आज्ञा का उलंघन किया जा रहा है। जब यह एतराज किया "Any reason of exemption" करने का अधिकार लेते हैं तो वस्तुतः जो हाई कोर्ट की मन्शा थी कि यह ऐसा कार्य है जिसके जरिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]
किसी को एग्जेम्प्शन देने का जस्टिफिकेशन दिया जाय। जो क्लॉज इसमें रखा है वह भी इस रूप में रखा है कि "any person or class of persons" आप इसको अगर गौर फरमायें, रीजनेबल ग्राउण्ड और शब्द जोड़ दिये गये हैं ओरीजनल टेक्स्ट के बीच में......

श्री अध्यक्ष—आपका सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव है, उसी पर कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी में यह क्यों भेजा जावे, सिलेक्ट कमेटी बनाई जानी क्यों आवश्यक है, इसलिये उल्लेख तो करना जरूरी हो जाता है। इसमें क्लॉज एक ही है, उसके एक दो शब्दों का भी उल्लेख कर दूं....

श्री अध्यक्ष—आप सारे क्लॉज को पढ़ दें तो भी कोई हर्ज नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं केवल इस क्लॉज के कुछ शब्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके सब क्लॉज (२) नीति और सब क्लॉज (३) में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है उसका उल्लेख करूंगा। अभी तो मैं केवल सरकार का जो घोषित इरादा है उनके बीच प्रस्तुत क्लॉज का सामन्जस्य नहीं, अन्तर्विरोध है, उसी की ओर संकेत कर रहा हूं। जहां तक हाई कोर्ट के निर्णय का प्रश्न है इसमें हाई कोर्ट के निर्णय को मानने का सवाल नहीं, बल्कि ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि हाई कोर्ट के निर्णय से निकला जा सके। श्री अमृतलाल यादव खुद फरमाते हैं कि "उसमें से स्वेच्छाचारिता अनियंत्रितता व अनियमितता के समस्त आभास दूर किये जा सकें"। स्वेच्छाचारिता को दूर नहीं किया जा रहा है, अनियमितता को दूर नहीं किया जा रहा है लेकिन जो इसके आभास हैं दिखावे के रूप में हैं उनको दूर किया जा रहा है। एक कारण यह भी है सिलेक्ट कमेटी में भेजने का।

इसके सिवाय मैं यह भी अर्ज करदूं कि इस क्लॉज में पांच, सात, दस शब्दों में परिवर्तन किया जा कर इस क्लॉज में महत्वपूर्ण परिवर्तन बन सकता है। मनोहरसिंह रावजी बेदला के मुकदमे में जिस प्रकार की स्थिति रही वैसी स्थिति ही और वैसी स्थिति फिर आ सकती है मौजूदा क्लॉज के अन्तर्गत····

श्री अध्यक्ष—आप उन व्यक्तियों का नाम न लें जो सदन के फ्लोर पर न हों।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह उल्लेख है "Since the Rajasthan Excise Act has been declared by the Rajasthan High Court in Rao Manohar Singh and others versus the State of Rajasthan to be discriminatory:"

मैं तो जिनको एग्जेम्पशन दिया गया, उसी का उल्लेख कर रहा हूं। अब नाम नहीं लूंगा, रूलर्स का उल्लेख समझ लिया जाय। सरकार की नीति इसमें यह है कि वह कुछ लोगों को इसके द्वारा एग्जेम्प्शन दे सके। तो यह ऐसे सवाल हैं जिन पर बहस होकर ठीक किया जा सकता है और वह सिलेक्ट कमेटी में ही हो सकता है। जो सीमित अधिकार सरकार खुद लेना चाहती है उन अधिकारों के उपयोग के लिये कौनसी भाषा मौजू पड़ेगी। यह भी निर्णय करने के लिये सिलेक्ट कमेटी में इस बिल का जाना आवश्यक है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और सब क्लॉज (३) जो प्रस्तावित किया गया है उसके द्वारा तो सरकार ने खुद ने इस सिद्धान्त को आधा आधा स्वीकार कर लिया है।

इसमें इस बात का उल्लेख है कि यदि ऐसा कोई नोटिफिकेशन शाया होगा तो वह सरकार के द्वारा हाउस के सामने रक्खा जावेगा और यदि उसमें प्रस्ताव आवे तो उसके जरिये उसमें संशोधन हो सकता है अथवा उसको रद्द भी किया जा सकता है। तो खुद प्रस्ताव करने वाले जो महोदय हैं उनको इस बात का खयाल हो कि ऐसी स्थिति भी पैदा की जा सकती है कि जो नोटिफिकेशन सरकार निकाले उसको हाउस कल रद्द कर दे। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की स्थिति पैदा होने की नौबत भी आए। मैं नहीं चाहता कि पहले तो आरबिट्रेरी रूप में नोटिफिकेशन निकाले और इसके बाद में रद्द करने की स्थिति आए। बल्कि बहतर यह होगा कि जो अधिकार दिये जावें व खुद इतने सीमित हों कि उसके अन्दर ही नोटिफिकेशन निकाल सकें। बहुत ही बड़े चढ़े अधिकार देकर....

श्री भैरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष—I will allow him to conclude.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपकी आज्ञा हो तो कल कन्टीन्यू कर लूं। इस सिलसिले में कल और कुछ मैटीरियल ला सकूंगा। आज तो अन्दाज ही नहीं था कि यह आ जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—कल के लिये बहुत काम है।

श्री अध्यक्ष—Tomorrow will be last day of the House.

श्री भैरूं सिंह—वह सब कल कर लेंगे साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास—इस रफ्तार से कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय, आज यह समाप्त कर दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—आप इसको कन्क्लूड कर लें। I want as much work to be transacted to day as possible.

इसलिये कल काफी समय मिलेगा और कम समय में काम चल जावेगा। हम चाहते हैं कि कल समाप्त कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं तो अर्ज कर रहा था। 15 minutes are sufficient and if the Hon'ble Member.......

श्री भैरूं सिंह—कल खत्म हो जावेगा साहब तब तो।

श्री अध्यक्ष—No, no. There will be other ceremonial speeches tomorrow. We are departing tomorrow, so far as this House is concerned.

श्री भैरूं सिंह—आज अगर अभी खत्म होता है तो कल अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष—I want him to take more time today.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह खलास हो जावेगा, अध्यक्ष महोदय। वैसे तो नगरमण्डल का विधेयक है उसमें ही कल का समय खत्म हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष—Then I can extend the House to the night of the 31st to 12 O'clock. आप बोलिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं अर्ज कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि वास्तव में यदि ऐसी स्थिति कल पैदा हो तो वह शोभा को बात नहीं होगी, सदन के लिये भी और सरकार के लिये भी कि ऐसी स्थिति पैदा होकर उसे आखिर रद्द किया जावे। इससे बहतर तो यह होता कि जैसा मैंने अर्ज किया यदि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और वहां से यह मन्जूर होकर आए तो इसमें ऐसी भाषा भी तैयार की जा सकती है और इसके अन्दर ऐसे शब्द भी जोडे जा सकते हैं जो कोई संस्था या संस्थाओं के लिये या कई अच्छे कार्यों के लिये भी सरकार, अगर एग्जम्पशन देना चाहे तो इसमें भी उसके लिये कोई बाधक स्थिति पैदा न हो और साथ हो साथ रोक भी लगाई जा सकती है। यह काम आम तौर पर सदन में चर्चा के जरिये होना कठिन है बल्कि सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद अलग अलग रायों को भी देखा जा सकता है, अलग अलग राज्यों में यह कानून किस तरह का है और उनमें किस तरह को भाषा का प्रयोग किया गया है और वहां एग्जम्पशन देने के बारे में क्या प्रणाली लागू की जाती है, तो इन सारी बातों पर विचार हो सकेगा। प्रस्तावक महोदय ने भी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है क्योंकि मेरा खयाल है उनसे भी पूरी तरह से इसका अध्ययन नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों में जल्दबाजी न करके हमें चाहिये कि इस पर शान्ति से विचार करने के लिये इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दें। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फिर कुछ क्लॉजेज पर सदन में विचार कर लें तो अच्छा होगा।

फिर ऐसी कोई एमर्जेन्स भी नहीं है और ऐसी कोई इसके बिना स्थिति बिगड भी नहीं रही है ऐसा भी नहीं है कि यदि इस बिल को पास न किया तो बहुत बडा काम रुक जावेगा या बहुत बडा किसी का नुकसान हो जावेगा। यह तो रियायत देने की बात है और अगर रियायत देने की बात है तो इसके बारे में यदि कुछ समय और भी दस पन्द्रह दिन का लग जावे तो इतने दिन हाई कोर्ट में मामला अटका रहा है वैसे महीने भर और सही। कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई डेडलोक नहीं होगा। अगर डेडलोक होता हो तो जल्दी में कानून पास करना विचारणीय हो सकता है। पर जब कठिनाई नहीं हो रही है और यदि इसे वहां रिड्राफ्ट कर लें तो सरकार को अधिकार भी मिलेंगे और इसका दुरुपयोग करने की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। तो ज्यादा फायदा सिलेक्ट कमेटी में जाने से हो सकता है और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा। और माननीय मंत्रीजी, जिन्होंने प्रस्ताव रक्खा है वे तो यहां ह नहीं पर उनकी ओर से जो प्रस्ताव यहां जिन्होंने रक्खा है वे भी इस पर पूर्ण विचार करके इसे स्वीकार करेंगे और वे यदि यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं हैं तो कल प्रस्तावक मंत्री महोदय के आने के बाद निर्णय हो सकता है। तो इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव सदन के विचार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के लिये और मंत्री महोदय की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव के समर्थन में और भी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे और उससे प्रभावित होकर माननीय मंत्री महोदय भी तैयार हो जायेंगे इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये। इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष—बहुत संक्षेप में बोलते हैं आप।

श्री भैरूं सिंह—समय तो हो गया है अध्यक्ष महोदय, आज बहुत काम किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने आज्ञा तो मेरे निस्बत ही दी थी। अब तो कल के लिये स्थगित ही कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री भैरूं सिंह—इसके लिये मैं भी काफी मसाला लेकर आया हूं कि यह कानून क्यों बनाने की आवश्यकता पडी है, पर आज अब अधिक बोलने की स्थिति में नहीं हूं। इसके पीछे बहुत जबर्दस्त काण्ड है। मैं तो कुछ फोटो वोटो भी लाया हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या लाये हैं ?

श्री भैंरूसिंह—फैसले भी लाया हूं, जो गलत ऑर्डर्स हुए हैं वे भी लाया हूं। इसलिये कल बोलने का मौका दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरा खयाल है we can sit for some time. ताकि कल सदन स्थगित किया जा सके।

श्री भैरूं सिंह—यह कल स्थगित हो जाय यह कोई जरूरी नहीं है। यदि आप इसके लिये तैयार नहीं हैं तो यह कोई चीज नहीं कि हमें कल ही खत्म करना है। और बार बार अगर आप यही कहते हैं तो हम भी देखते हैं कि कल आप किस तरह से खत्म करते हैं। या तो बिजनैस ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर आगे चलना ही पड़ेगा। कल खत्म करने के लिये आज आप हमें ज्यादा बैठने को मजबूर करना चाहते हैं। आप हम से उम्मीद रखते हैं कि हम आपको सहयोग दें और आप हमसे सहयोग करने को तैयार नहीं, तो हम भी देखते हैं। सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता है। हम तो आपसे चाहेंगे कि आप अपनी अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष—और कोई बोलना चाहेंगे क्या ?

श्री भैरूं सिंह—यह तो चोरी के मामले हैं, बहुत बोलने वाले होंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं अपना प्रस्ताव तो प्रस्तुत कर दूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—आपका प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ समझ लिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो प्रस्ताव मेरी ओर से प्रस्तुत हुआ समझा जावे।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ तो अन्याय होगा, वैसे अगर मुझे बोलने के लिये इस समय बाध्य किया गया तो।

श्री अध्यक्ष—All members are bored and they want to hear the Hon'ble Member's speech just to refresh themselves.

श्री मानसिंह महार—मेरे साथ तो अन्याय होगा। मैं सही अर्ज कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय; मुझे इस वक्त बुखार भी है लो ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, बुखार की शिकायत भी है। इस वास्ते कल ही रक्खें तो बड़ा अच्छा हो, अध्यक्ष महोदय। वैसे फिर आप फरमावेंगे तो बोलूंगा सही। पर सही अर्ज कर रहा हूं अभी बहुत बीमार सा हूं। पूरी तरह से कह नहीं सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—कल पर रक्खें फिर ? We might meet in the evening and also in the morning?

श्री वेदपाल त्यागी—११ बजे ही ठीक है। नहीं तो बाद में फिर आना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—Tomorrow if we sit, we will not rise until we finish the business.

श्री भैरूंसिंह—ऐसा कहीं लिखा है कि कल का कल ही खत्म हो ही जावेगा।

श्री अध्यक्ष—Then with this understanding that we will transact the business placed on the agenda for today, tomorrow and then we will adjourn.

Tomorrow we will meet from 11. We will sit till all the business is transacted; tomorrow at 11.00 A.M. so we adjourn.

(पांच बजकर दस मिनिट पर सदन की कार्यवाही अगले दिन, दिनांक २६ अक्तूबर, १९५६, दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२५ अक्टूबर, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७१ उत्तर देखिये)

Year	Capital investment	Remarks.
(b) 1951-52	Rs. 3,34,077/-	
1953-54	Rs. 4,70,000/-	
1954-55		15 Compressors were received during this year but necessary truck & other articles were not received, the purchases were made through D.G. S.&.D & the debit for the item has not been intimated yet to the department.

(c) The number of wells worked under the scheme is as follows:—

Year	No. of wells
1951-52	55 wells
1952-53	110 wells
1953-54	175 wells
1954-55	880 wells
1955-56	779 wells
1956-57	400 wells

(d) Now a Board has been constructed by the Govt. in the name of Rajasthan Under Ground Water Board to conduct the work of Blasting & Boring and an Executive Engineer is kept for this work with the necessary staff etc. under the Board.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम सहकारी समिति
१	२
१.	खोरा बीसल रेगर सहकारी समिति लि०
२.	रेल्वे एम्प्लॉईज कोओपरेटिव सोसाइटी लि०
३.	नोहाटा सहकारी बचत व साख समिति
४.	खोरा बीसल रेगर सहकारी समिति लि०
५.	इटका बहुधंधी सहकारी समिति
६.	सामोद रेगर सहकारी समिति लि०
७.	बेनाड़ सहकारी ग्राम बैंक लि०
८.	चन्दोरा बहुधंधी सहकारी समिति
९.	ब्रोहमबाज बहुधंधी सहकारी समिति
१०.	मोरान्दी बहुधंधी सहकारी समिति
११.	शिक्षा विभाग कर्मचारी सहकारी समिति लि०
१२.	बेदा ग्राम सहकारी ग्राम बैंक लि०
१३.	बसवा चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०
१४.	सामोद बहुधंधी सहकारी समिति
१५.	राज कर्मचारी सहकारी समिति लि०, बस्सी
१६.	बांसखो ग्रामीण बहुधंधी सहकारी समिति लि०
१७.	देव गांव ग्रामीण बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०
१८.	शामराई ग्रामीण बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०
१९.	कानोता बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०
२०.	बस्सी चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०
२१.	सांगानेर बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०
२२.	शिक्षा विभाग कर्मचारी सहकारी समिति लि०
२३.	बस्सी दूध उत्पादक सहकारी समिति लि०
२४.	बस्सी सेण्ट्रल कोओपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लि०
२५.	खेड़ी दूध उत्पादक सहकारी समिति लि०
२६.	बानापुरा बहुधंधी सहकारी समिति
२७.	अनतपुरा बहुधंधी सहकारी समिति
२८.	चान्दजी वाली ढ़ानी सहकारी ग्राम बैंक लि०
२९.	जादमोकी ढ़ानी बहुधंधी सहकारी समिति

Page No 117

१	२
३०.	भोजलावाला सहकारी ग्राम बैंक लि०
३१.	नेशनल हैण्डी क्राफ्ट कोओपरेटिव सोसाइटी लि०
३२.	खावदा नया मोजो बहुधंधी सहकारी समिति
३३.	गीजगढ़ बहुधंधी सहकारी समिति
३४.	गढ़ बहुधंधी सहकारी समिति
३५.	खीरोता खुर्द बहुधंधी सहकारी समिति
३६.	जहोर बहुधंधी सहकारी समिति
३७.	राजपुरा पाटालवास बहुधंधी सहकारी समिति
३८.	हिंगोनिया बहुधंधी सहकारी समिति
३९.	लालसोट चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०
४०.	सामोद बहुधंधी सहकारी समिति
४१.	जैसाबोरा की नागल बहुधंधी सहकारी समिति
४२.	बावर्दा बलाई उत्पादक सहकारी समिति लि०
४३.	अनतपुरा बहुधंधी सहकारी समिति
४४.	गोविन्दगढ़ बहुधंधी सहकारी समिति
४५.	मालिकपुर बहुधंधी सहकारी समिति
४६.	बस्सी ग्रामीण बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०
४७.	चाकसू सहकारी ग्राम बैंक लि०
४८.	ताकेन्दा टेनर्स सहकारी समिति लि०
४९.	रोजदा ग्राम बहुधंधी सहकारी समिति
५०.	कुण्डाल बहुधंधी सहकारी समिति
५१.	कुण्डालया बहुधंधी सहकारी समिति
५२.	नाहवा बहुधंधी सहकारी समिति
५३.	लालपुरा बहुधंधी सहकारी समिति
५४.	गोनेर कोली सहकारी समिति लि०
५५.	गोनेर रेगर उत्पादक सहकारी समिति
५६.	कल्याणपुरा बहुधंधी सहकारी समिति
५७.	रानोली बहुधंधी सहकारी समिति
५८.	सुराजपुरा बहुधंधी सहकारी समिति
५९.	काण्डोली बहुधंधी सहकारी समिति
६०.	छीमानपुरा सहकारी ग्राम बैंक लि०
६१.	बागरोन का बास बहुधंधी सहकारी समिति लि०
६२.	होली दरवाजा बहुधंधी सहकारी समिति लि०
६३.	खोरा बीसल रेगर सहकारी समिति लि०

परिशिष्ट

समितियों के नाम जिनके कि एम. सी. एल. के कागजात कुछ आक्षेपों के साथ वापिस कर दिये गये क्योंकि वह कागजात नियमानुसार नहीं आये थे:—

(जिला जयपुर)

क्रम संख्या	समिति का नाम
१.	कोऑपरेटिव डिपार्टमेण्ट एम्पलाइज कोओपरेटिव क्रेडिट एण्ड थ्रिफ्ट सोसायटी लि०
२.	गठवाड़ी बहुधंधी सहकारी समिति
३.	मनोहरपुरा सहकारी बचत वा साख समिति
४.	हिंगोनिया चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर देखिये)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Dated Jaipur, August....*1953.

*No. F.*1(16)*For*/52.—The following rules for auction of forest produce and forest coupes are published for general information:—

1. Auction of lease of forests and forest produce whether belonging to Government or under Government management shall be held by public auction.

2. Public notice of such auction shall be given atleast 15 days before the date of the auction.

3. Each Conservator of Forests shall maintain a list of approved contractors of forest and forest produce.

4. Every bonafide businessman shall be at liberty to apply to the Conservator of Forests for the entry of his name in the list of approved contractors. The conservator of Forests, shall after such enquiry as he may deem fit regarding the financial reliability and antecedents of the applicant, order entry of his name in the list of approved contractors if he sees no reason to the contrary.

5. Any person dissatisfied with the orders of the Conservator of Forests in this respect may appeal to the Chief Conservator of Forests within one month of the receipt of such orders. Orders of the Chief Conservator of Forests on the appeal shall be final.

6. The Chief Conservator of Forests may order the name of any contractor to be removed from the list of approved contractors if such person is found guilty of misconduct or of having broken any of the conditions of contract or misbehaved in any way.

7. Notice of the date of public auction shall be published in one or more of the following ways:—

(*a*) In the Rajasthan Gazette;

(*b*) In any approved Local daily or weekly papers of the headquarters of the division within which forest coupes to be auctioned are situated;

(*c*) By service of notice on all contractors whose names are entered in the list of approved contractors maintained by the Conservator of Forests of the Circle.

8. Where the amount of bid is beyond the powers conferred on the Chief Conservator of Forests, the highest bid received at the auction shall be recommended to Government for sanction.

9. Government may accept the bid so recommended or order a fresh auction of the lease if such a course appears desirable in the interest of Governmental revenue from the forest, or to ensure fairness of proceedings.

By Order of
His Highness the Rajpramukh,
Sd. SHYAM LAL,
Secretary to Government.

List of Contractors

Name of Contractor.	*Name of Contract*	*Basis of contract.*
Udaipur Forest Division.—	1955-56.	
Katha contractors—		
1. Shri Kamruddin s/o Akbar Ali Bohra of Udaipur.	Kirat ka Ghata in Jhadol Range.	Highest bidder in general auctions.
2. Shri Gulam Ali Abbasali Bohra of Udaipur.	Bori Mata No. 1 in Parshad Range.	-do-
3. Shri Jiwan Ali Bohra of Udaipur.	Kodiyat in Udaipur Range.	The contract was auctioned in 1953-54 for 24000/-. But as the contractor could not work in that year he was allowed to work the contract in 1955-56 on payment of 30000/- under G.O.No. 16393/F. 19(99) Agr. 55, dated 13-10-55.
	1956-57	
1. M/S A. Fazal Hussain & Co., Represented by Shri Akbar Ali.	Kevda-Kalighati, Udaipur Range.	Highest bidder in general auctions.
2. Shri Kamruddin S/o Akbar Ali Udaipur.	Samoli, in kotra Range.	-do-
3. -do-	Tiloi, part I in Kotra Range	-do-
4. Shri Gulam Ali S/o Abdul Hussain of Udaipur.	Sai Block in Parshad Range	-do-

Gum Contrctors. 1	1955-56 2	
1. Shri Ismail Saddiq of Nana.	Juda, Kotra Range.	Highest bidder in general auctions.
2. -do-	Madri, Kotra Range.	-do-

1	2	
3. Shri Kishenlal Chittora	Phalasia, Jhadol Range.	Highest bidder in general auctions.
4. -do-	Gorana, Jhadol Range.	-do-
5. -do-	Ogna, Jhadol Range.	-do-
6. Shri Khan Mohammad Bohra.	Malpur, Jhadol Range.	-do-
7. Shri Nathulal S/o Ram Lal.	Koliari, Jhadol Range.	-do-
8. Shri Nomanali Kamruddin	Jhadol, Jhadol Range.	-do-
9. Shri Mohanlal S/o Ratan Lal.	Nainbara, Kherwra Range	-do-
10. -do-	Sarwan ,, ,,	-do-
11. -do-	Thana, Kherwara Range	-do-
12. Shri Bhanwarlal S/o Sayablal.	Rikhabdeo, Kherwara Range	-do-
13. Shri Bhanwarlal Sayablal	Chhani, Kherwara Range	-do-
14. Shri Kishenlal Chittora	Chharera, Kherwara Range	-do-
15. -do-	Pahada, ,, ,,	-do-
16. -do-	Madri, ,, ,,	-do-
17. Shri Roshanlal Chittora	Patia, ,, ,,	-do-
18. Shri Poonam Chand Chitrai.	Jawas, ,, ,,	-do-
19. Shri Sundarlal S/o Udailal	Salumbal Salumber ,,	-do-
20. Shri Matan Lal S/o Dhanraj.	Sigarwada, Parshad, ,,	-do-
21. Shri Rajmal S/o Nathulal	Barapal, ,, ,,	-do-
22. Shri Pannalal S/o Hiralal	Mahuwada, ,, ,,	-do-
23. -do-	Chavand ,, ,,	-do-
24. Shri Ganeshlal S/o Hiralal	Thana ,, ,,	-do-
25. Shri Kisenlal S/o Zwlam Chand.	Parshad, ,, ,,	-do-
26. Shri Chunnilal S/o Hira-Lal.	Koon, Kurawad Range.	-do-

Page No 123

	1	2			
27.	Shri Amba Lal S/o Chhogalal.	Kurawad koda,	,,	,,	Highest bidder
28	-do-	Jhamarkotda	,,	,,	-do-
29.	Shri Fatehlal S/o Akshay Chand.	Bambora,	,,	,,	-do-
30.	Shri Ganeshlal S/o Hira lal	Jagar,	,,	,,	-do-
31.	Shri Kishenlal S/o Zalam Chand	Bhindar,	,,	,,	-do-
32.	Shri Gulab Chand S/o Punam Chand	Delwara Gogunda Range			-do-
33.	Shri Bhurilal S/o Choga Lal	Gogunda,	,,	,,	-do-
34.	Shri Ambalal S/o Choga Lal	Udainiwas, Udaipur Range			-do-
35.	Shri Bhurilal S/o Badri Chand	Dodawali	,,	,,	-do-
36.	-do-	Kodiyat & badi		,,	-do-
37.	-do-	Maholi,	,,	,,	-do-
38.	-do-	Eklingji	,,	,,	-do-
39.	-do-	Jaisamand-palodra,	,,		-do-
40.	Shri Ismail S/o Qurban Hussain	Kundal	,,	,,	-do-
41.	Shri Rajmal S/o Nathu Lal	Kaya-ki-sala	,,	,,	-do-
42.	Shri Panna lal S/o Hira Lal	Lakhawali-Dhikli-Bambori			-do-
43.	Shri Ambalal Bhanawat	Kevda Miles 8 to 24	,,		-do-
44.	Shri Zorawarmal S/o Bhurilal	Jhilwara, Bhanpura Range			-do-
45.	Shri Ahmed S/o Saddiq	Padrada	,,	,,	-do-
46.	-do-	Roopnagar	,,	,,	-do-
47.	-do-	Samal	,,	,,	-do-
48.	-do-	Bhanpura Khalsa		,,	-do-

	1	2	
		1956-57	
1.	Shri Kishenlal S/o Zalam Chand	Kodiyat-badi-nai, Udaipur	Highest bidder.
2.	-do-	Dodawali, Udaipur Range	-do-
3.	Shri Rajmal S/o Nathu Lal	Gordhan Vilas, ,,	-do-
4.	Shri Ambalal S/o Choga Lal	Udainiwas ,, ,,	-do-
5.	Shri Ismail Saddiq	Roopnagar, Bhanpura Range	-do-
6.	-do-	Samal ,, ,,	-do-
7.	-do-	Jeelwada ,, ,,	-do-
8.	-do-	Kelwara ,, ,,	-do-
9.	-do-	Pasrada ,, ,,	-do-
10.	-do-	Mahdr Kotra Range	-do-
11.	-do-	Panarwa ,, ,,	-do-
12.	Shri Ram Narain Nathu Lal	Juda ,, ,,	-do-
13.	Shri Bhurilal S/o Vardi Chand	Jawas Kherwara Range	-do-
14.	-do-	Sarwan ,, ,,	-do-
15.	-do-	Pahada ,, ,,	-do-
16.	-do-	Nainbara ,, ,,	-do-
17.	Shri Kishenlal S/o Zalam Chand	Patia ,, ,,	-do-
18.	Shri Motilal S/o Bhag Chand	Madri ,, ,,	-do-
19.	Shri Shankarlal S/o Khemraj	Rilhabdeo ,, ,,	-do-
20.	Shri Gulam Abbas	Chhani ,, ,,	-do-
21.	Shri Hiralal	Salumbar Salumbar Range	-do-
22.	Shri Ambalal Bhanawat	Kevda Mile 8-20 Udaipur Range	-do-
23.	Shri Kastur Chand	Delwara Gogunda Range	-do-
24.	Shri Sukhlal	Gogunda ,, ,,	-do-

1	2	
25. Shri Ismail Saddi	Bhanpura-Sayra-Tarpal, Bhanpura	Highest bidder
26. Shri Champa Lal	Kurawad Kurawad Range	-do-
27. Shri Devilal	Bambora ,, ,,	-do-
28. Shri Ganeshlal	Bhindar, Kurawad Range	-do-
29. Shri Mohan Lal	Chita Kun ,, ,,	-do-
30. Shri Bhurilal	Parshad, Parshad Range	-do-
31. -do-	Thana ,, ,,	-do-
32. -do-	Barapal ,, ,,	-do-
33. Shri Lakshmi Lal	Chavand, ,, ,,	-do-
34. Shri Ganeshlal	Digri-Swria, etc. ,,	-do-
35. Shri Bhuri Lal	Sari Pipli Chanawda ,,	-do-
36. Shri Qurban Hussain	Jhadol ,, ,,	-do-
37. Shri Kanhaiyalal	Ogna ,, ,,	-do-
38. Shri Sohan Lal	Koliyari ,, ,,	-do-
39. Shri Bhuri Lal	Malpur ,, ,,	-do-
40. -do-	Gorana ,, ,,	-do-
41. -do-	Phalasia ,, ,,	-do-

Chittorgarh Forest Division.—

Katha contractors. 1955-56.—

1. Shri Abdul Sattar of Bhensrodgarh.	Singoli Coupe.	Highest bidder in general auctions.
2. Shri Akbarali Bohra of Udaipur	Manadeo Satpura.	-do-
3. Shri Kamruddin Bohra, of Udaipur.	Panchaguda, Anoppura, Mindki-ki Paj.	-do- -do-
4. Shri Khuman Singh of Salumber through Shri Ganeshdas Laxmidas	Kolgarh, Sanirgarh, Sabalgarh.	-do-
5. Shri Abdul Hussain Bohra of Kota.	Adarsalla, Soneka-Taka & Hikaran.	-do-
6. Shri Gulam Ali Bohra of Udaipur.	Nangalia.	-do-

	1	2	
7.	Shri Kasturi Lal Kundan Lal of Delhi.	Nimbi-Javda and Dhagad Ma	Highest bidder
8.	Shri Ambalal Mahajan of Udaipur.	Charni Beda.	-do-

Katha contractors of 1956-57.—

1.	Shri Imdad Hussain Bohra	Bassi Block	-do-
2.	Shri Kundanlal Nihal Chand Khatri.	Charda Niladeh.	-do-
3.	Shri Abdul Hussain Bohra	Tikhi Mahodi Mahadeo & Kekdia.	-do-
4.	Shri Ganeshdas Laxmidas Proprietor Rawar Khuman Singh of Salumber.	Dotra Barkhera and Jaora. Rawakhera.	-do-
5.	Shri Abdul Sattar of Bhensrodgarh.	Nimbdi-Javda.	-do-
6.	Shri Kasturilal Kundanlal of Delhi.	Dhagad Mahu	-do-
7.	Shri Saifuddin Bohra.	Lamba Sagda	-do-
8.	Shri Akbar Ali Bohra.	Bhervi	-do-
9.	Shri Kamruddin Bohra	Bijaipur Kusria	-do-
10.	Shri Kishenlal Chittora	Karmalia and Nalva	-do-

Gum Contractors—

1955-56.

1.	Shri Abde Ali Bohra of Kanera.	Bijaipur Range.	-do-
2.	Shri Mahadeo Mahajan of Chhoti Sadri.	Kannauj, Sand Kherabal, Bhosrod and Lasadia.	-do-
3.	Shri Hiralal Narsinghpura of Salumber.	Bari Sadri Dhariawad Ranges.	-do-
4.	Shri Kishenlal Chittora of Udaipur.	Chhoti Sadri Range.	-do-
5.	Shri Pannalal Kantilal of Udaipur.	Kanod	-do-

1	2	
6. Shri Bhurilal Mahajan Bansi of Udaipur.		Highest bidder
7. Shri Sujanmal Nagauri of Begun Singoli.		-do-
8. Shri Gendmal Mahajan of Kuakhera. Chhotisadri.		-do-
	1956-57	
1. Shri Sohanlal Mundra	Basi-Palkakhera-Gosunda.	-do-
2. Shri Ghisalal Porwal	Bijaipur.	-do-
3. Shri Ratan Lal Mahajan	Mandalgarh Khalsa	-do-
4. Shri Gendmal Mahajan	Mandalgarh Jagirs, Chhoti-sadri Barsoli.	-do-
5. Shri Santosh Singh Sikh	Nimbahera and Bhadwsar Ranges.	-do-
6. Shri Prabhulal Mahajan	Bijolia	-do-
7. Shri Mohanlal Mahajan	Kanod and Lasadia Pahada Kalibhit.	-do-
8. Shri Kesrimal Mahajan.	Begun Range.	-do-
9. Shri Jhamak Lal Mahajan	Dhariawad	-do-
10. Shri Mohd. Mustaq	Bansi Jagir.	-do-

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ८६ देखिये)

LIST OF DAMAGED TANKS DURING, 1956.

FIRST PLAN WORKS.

1.	Nindar	..	S. Madhopur		4.97	lacs.	3000
2.	Surwal	..	„	17-7-56	6.6	„	15000
3.	Mamchari	..	„	13-8-56	2.8	„	10000
4.	Kalisil	..	„	13-8-56	16.0	„	4000
5.	Nag Talai	..	„	13-8-56	1.6	„	6000
6.	Gudha	..	Bundi	9-7-56	42.0	„	100000
7.	Arwar ..	..	Bhilwara	9-7-56	34.8	„	20000
8.	Rahuwas		Jaipur	11-8-56	3.3	„	30000
9.	Khanwa	..	Bharat ur	12-8-56	4.0	„	2000
10.	Bidoli	..	Tonk	28-7-56	1.7	„	3000
11.	Sukhpura	..	„	27-7-55	0.27	„	400

MINOR IRRIGATION WORKS.

1.	Rampura	..	Alwar	12-7-56	2.8	lacs.	26000
2.	Bhimlat	..	Bundi	14-7-56	3.6	„	40000
3.	Chandapura	..	S. Madhopur	29-7-56	0.04	„	10000
4.	Ronsi	..	„	12-8-56	0.26	„	6000
5.	Moti Sagar	..	„	13-8-56			3000
6.	Gahlow	..	Bharatpur	12-8-56	0.52	„	3000
7.	Kurka	..	„	12-8-56	0.19	„	2000
8.	Kadera	..	Jaipur	14-8-56	0.11	„	500
9.	Kadela	..	Jhalawar	9-7-56	0.13	„	500

OLD TANKS.

1.	Budhi Sagar	Kota	2-8-56	0.50	lacs.	2500
2.	Ghor Pachar	Bundi	1-8-56	0.32	„	3000
3.	Toxi ..	S. Madhopur	13-8-56	0.51	„	4000
4.	Nazam Wala	„	13-8-56	0.05	„	2000
5.	Madhosingh-pura.	Jaipur	15-8-56	0.42	„	3000
6.	Amarpura ..	„	15-8 56	0.05	„	..
7.	Gokalpura	„	25-8-56	2.00	„	..
8.	Rawatwala	„	27-7-56	0.34	„	4000
9.	Kiratpura ..	„	27-7-56	0.16	„	500
10.	Saija Sagar	„		0.25	„	500

11.	Lalpur ..	Bharatpur	10-8-56	0.06	Lacs	3000
12.	Chandlai ..	Tonk	14-8-56	2.60	,,	2500
13.	Parana ..	,,	24-7-56	0.60	,,	11000
14.	Bhojra ..	,,	24-7-56	0.10	,,	4000
15.	Jhonpur ..	,,	24-7-56	0.19	,,	500
16.	Lohara ..	,,	16-7-56	0.38	,,	500
17.	Sankhu ..	,,	16-7-56	0.30	,,	800
18.	Arnia Mal ..	,,	13-8-56	0.70	,,	3000
19.	Lamba ..	,,	24-7-56	0.19	,,	500
20.	Kuhara ..	,,	24-7-56	0.20	,,	400
21.	Partappura	,,	24-7-56	0.15	,,	400
22.	Lambia ..	,,	6-8-56	0.31	,,	500
23.	Islampura ..	,,	8-7-56	0.52	,,	700
24.	Mahram Sagar	,,		0.30	,,	2500
25.	Dabra ..	S. Madhopur	14-8-56	0.02	,,	200

N.B.—No loss of life or immovable or movable property has been caused due to the above damages. Some agricultural land was cut off due to the breaches, but extent of this damage is not large.

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या १२ का उत्तर देखिये)

Annexure.

RULES FOR POLICE WELFARE AND CANTEEN FUND.

Object—

Following will be the objects of the Fund :—

(*a*) to meet the expenditure in connection with the welfare of the Police personnel and their families such as educating the illiterate policemen and their children.

(*b*) Provinding medical relief, subsidiary diet to indoor patients in Police Hospitals, maternity welfare of the families of the Police personnel not normally admissible under the Government Rules.

(*c*) Starting Cottage Industries and Canteens, and

(*d*) Sports and other recreation for the force and their children.

(1) These rules will be called the 'Rajasthan Police Welfare and Canteen Fund Rules.'

(2) All the Police Districts and other Units will be competent to start this fund.

(3) These rules will come into force with effect from the date they are sanctioned by the Government.

(4) The Fund will be raised by voluntary subscriptions, Canteen profits, donations, staging shows and performances, issue of appeals or any other similar method.

(5) All the funds of like nature already existing in the District shall be amalgamated with this fund.

(6) The fund will be administered by a Committee consisting of the following members :—

1.	Superintendent of Police ..	Chairman—Ex-Officio.
2.	Dy. S.P. Headquarters .. Assistant Commandants.	Vice-Chairman-Ex-Officio.
3.	Reserve Inspector Lines ..	Member.
4.	One S.I. out of those sanctioned at Headquarters ..	Member.

5. One Head Constable from Lines .. Member.

6. One Constable from Lines .. Member.

7. Head Clerk of Office } Non- .. Secretary -Ex-Officio.
8. Accountant of Office } Member .. Treasurer-Ex-Officio.

(7) All the members mentioned at serial number 4, 5 and 6 above will be elected by the personnel of the ranks at District Headquarters at a general meeting held between 1-1- and 15.1. Any vacancy arising out of transfer or resignation or death or retirement will be filled by nomination by Superintendent of Police till the next general meeting.

(8) In the absence of the Chairman, the Vice-Chairman will preside over the meeting, and 2 members in addition to the Chairman or Vice-Chairman will form the quorum.

(9) The decisions will be taken by the majority of votes. The Chairman will not cast his vote except in cases of ties.

(10) A book of minutes for recording the proceedings of the Committee will be maintained by the Secretary. The minutes will be written at the time of the meeting and signed by the all members present at the meeting.

(11) (*a*) The Committee will be competent to sanction a non-recurring expenditure upto Rs. 100/- in any one case. Proposals for expenditure exceeding this limit but not exceeding Rs. 500/- will be submitted to the D.I.G. concerned for his approval along with a copy of the resolution passed by the Committee. Proposals involving an expenditure exceeding Rs. 500/- will be submitted to the Inspector General of Police through the Dy. Inspector General of Police.

(*b*) As regards recurring expenditure, the Committee will be competent to sanction expenditure upto Rs. 10/- in any one case and Dy. Inspector General of Police upto Rs. 50/- P.M.

The payment will strictly be for any of the objects mentioned under the head objects.

(12) The Chairman or in his absence the Vice-Chairman will be competent to incur a non-recurring expenditure upto Rs. 50/- in any one case at a time without previous approval of the Committee in case of an emergency. Such an expenditure will, however, be put up in the next meeting of the Committee for their approval.

(13) The Case Book, receipt book, and other necessary record required to maintain the accounts will be kept by the treasurer; transanctions being recorded in the books as and when they take place.

(14) A suitable allowance not exceeding Rs. 10/- P.M. to be approved by the Committee will be given to the Accountant for working as Treasurer of the Fund in spare time.

(15) The accounts will be examined once a year by Auditors from amongst the personnel of the District or Unit to be approved by the Committee. The report of the Auditor on accounts will be placed before the District Committee.

(16) The Committee will meet at least once in a quarter to transact the business of the Fund.

(17) An account for the Fund will be opened with any of the Banks doing Government business and will be operated by the Chairman who may authorise the Vice-Chairman to operate it on his behalf in case of necessity.

(18) All receipts of the Fund will be credited to the Account immediately on receipt.

(19) A sum of Rs. 50/- or below may be kept with the Treasurer as imprest to meet any unforeseen emergent expenses.

(20) Payments as far as possible will be made by Cheques.

Sd/- S. D. UJWAL, I.A.S.,
Home Secretary to the Government.
for Inspector General of Police,
Rajasthan, Jaipur.

APPENDIX 'A'

S. No.	*District of Unit*	*Year*	*Amount collected*	*Source of information*	*Amount spent*	*Purpose of expenditure*	*Authority ordering the amount to be spent*	*Remarks.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Alwar ..	1954	Rs. 9017/-	Selling of tickets in connection with performance of wague shows, dance etc.	Rs. 1999/-	Welfare of the police personnel.	Chairman, Welfare Fund Committee.	
		1955	Nil.		564/-			
		1956	5129/-		1507/15/-			
2.	Bharatpur ..	1954	5894/15/6	Performance by B. K. Dass	1372/7/- 322/10/-	Remitted to PHQ. advertisement charges.	I.G.P. S.P.	
		1955	Nil.	..	..	..	..	
		1956	Nil.	..	..	..	..	
3.	Tonk ..	1954	4344/14/-	Variety Show Subscription	1063/12/-	Remitted to PHQ.		
		1955 1956	Nil. Nil.		3610/- 200/-	Police week at Jaipur. Medical help to Const. Shri Radhey Shyam patient of T.B.	S.P. Tonk. D.I.G., Jaipur.r	
					245/1/-	Medical help of police employees.	S.P. Tonk.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rs.		Rs.			
4.	Sikar ..	1954	5783/-	Performance by Shri B.K. Dass	1186/-	Remitted to Benevolent Fund.	I.G.P.	
					193/5/- 200/-	Reparing of well heirs of the deceased consts. killed ancounter.		
					288/8/-	B. K. Dass show.	Welfare Fund committee.	
		1955	Nil.		373/5/-	Medical aid to police personnel.		
		1956	6962/8/-	Donations and sale of tickets of Magic show etc.	423/-	To police personnel.		
					300/-	To Magician.		
5.	Pali ..	1954-55	5981/9/-	B. K. Dass performance	66/7/-	Rent of furniture.	S.P. Pali.	
					48/-	Printing of tickets.		
					5/-	Tonga charges.		
					30/-	Misc. charges.		
					296/-	To P.H.Q.	I.G.P.	
					250/-	To P.H.Q.		
		1955-56	Nil.		36/10/-	Chairman General committee Raj. police week.	I.G.P.	
					35/-	Recreation of police personnel	S.P. Pali.	
					6/12/-	Rubber stamp of Fund.	S.P. Pali.	
					10/-	Diet charges and medical relief of wounded Const. Amra of RAC.	S.P. Pali.	
					40/-	Cashier's Allowance.	S.P. Pali	

6.	Jaisalmer ..	1955	874/10/3	By staging drama and arranging cinema show.	194/-		S.P. Jaisalmer.
		1956	1625/-		194/-		
7.	Barmer ..	1954	5152/-	Performances by B. K. Dass.	1529/12/6	Welfare of police personnel.	S.P. Barmer
		1955	Nil.				
		1956	80/10/6	Dramatic Performance.	71/13/-	-do-	,,
8.	Jalore ..	1954	1476/2/-	B. K. Dass performance.	10/-/6	Reading and writing materials to Consts.	S.P. Jalore.
					98/7/6	Refreshment to team.	
					35/-	Radio Battery.	
					36/-	Entry fee for police week.	
		1955			15/6/-	Sweets distributed on 15th August (Indepedence day).	S.P. Jalore
					64/2/9	Refreshment in Tournaments.	,,
					850/-	Loan to Canteen.	,,
		1956	Nil.		364/9/-	Loan to Band.	,,
9.	Sirohi ..	1956-57	3402/11/-	By arranging Cinema show.	352/9/-	Expenses of show.	S.P. Sirohi
10.	Bikaner ..	upto 1955	8024/-	Entertainment show and voluntary contribution	472/-	Welfare of Police personnel.	Committee of Welfare Fund.
		1956	1194/-	-do-	1750/-	-do-	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Kotah ..	1956	6483/-	Voluntary subscription by police personnel and magic show.	1272/-	Interest free loans to police personnel etc.	S.P. Kotah	
			733/-	By amalgamating other funds.				
12.	Bundi ..	1955-56	358/-	Canteen profit.	35/-	Help to widows of Consts.	S. P. Bundi	
					197/-	Treatment of Const. Daulat Singh.		
					40/-	Radio Licence Renewal, fee and penality.		
					30/-	Tournament fee.		
					50/-	Screen in Mess.		
		1956-57	498/-	Variety show.	51/-	Radio repairing.		
					50/-	Tournament fee.		
					6/-	Cost of one Chitla.		
					20/-	Welfare of Constables.		
13.	Jhalawar ..	1954	726/8/-	Donation.	174/4/-	For amusement of Police	S.P. Jhalawar.	
		1955	577/10/3	Donation.	361/2/-	personnel, cost of book		
			264/3/-	From Barber Fund		and slates, Medicines,		
		1956	33/1/-	Donation.	103/1/-	etc.		
14.	Dungarpur ..	1955	2824/4/6	Canteen profit collected in last years	50/-	Medical help to Const. Kachru a T.B. patient.	S.P. Dungarpur	
			532/2/-	Amalgamated from other funds.	..	..		

15.	Banswara ..	1955	413/14	Subscribed by employees	19/15	Medical Aid	S. P. Banswara.
		1956	545/-	-do-	30/8/-	Police tournament fee.	
					12/12/6-	Prizes for games.	
					25/-	Medical aid.	
					2/11/-	Miscellaneous.	
16.	Udaipur ..	1954-55	2495/7/6	Profits Co-operative Stores and collections.	529/14/6	Welfare of Police Staff.	S.P. Udaipur.
		1955-56	1632/5/3	-do-	1259/2/6	-do-	
		1956 (upto date).	2041/8/-		1056/0/3	-do-	
17.	1st Bn. RAC	From 1-4-55 upto date	5877/4/-	Subscription from Ranks and file.	1324/11/-	Entry fee of RAC games other sports and meals and Welfare of men.	Not readily available.
18.	2nd Bn. RAC	1955	1673/14/-	Contributory collections amalgamation of Bn. fund agricultural fund and poultry fund.	955/15/9	Supply of milk to players, cost of medicines creamation of RAC. man, allowance to Accountant and payment of temple of temple bills.	Committee.
		1956	2302/-	As above.	1016/-/6		
19.	3rd Bn. RAC	1955	2647/15/-	By amalgamating other funds.	1196/15/3		By Committee.
			3081/3/3		1100/4/6		
			5729/2/3				
		1956	3913/3/6				

Page No 138

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	4th Bn. RAC	1955-56 Apl. '56 to dt.	4100/- 2000/-	Compulsory Subscription.	6115/- 245/-	.. ..	Commandant on the recommendation of Committee.	
21.	5th Bn. RAC	1955	2634/11/3 4471/4/-	Amalgamated from Bn. Fund Contribution from rank and file, stitching charges and vegetable produce etc.	1330/10/-	Sports entry fee Milk and refreshment to players, Barmer Allowance, Cashier's Allowance, Canteen Clerk Allowance,		
		1956	2959/12/-	-do-	929/8/-	Bn. Pujari Allowance and other Expenditure made on festivals, drama accessores etc.		
22.	Jhunjhunu ..	1955-56	3126/8/3	Amalgamated from other funds.	16/-	Scavenging charges of Club.		
			56/14/-	Interest	22/3/-	Subscription of News papers.		
			200/-	Received from Distt. Board Jhunjhunu for repairing of well.	2/9/- 143/8/9 50/-	K. Oil etc. for club. Purchase of Seeds and vegitable plants. Allowance to Cashier.		
			44/-	Sale proceeds of canteen.	37/-	Picnic and parties to Force personnel etc.		

					238/1/6	Donations to the families of deceased Govt. servants and to those in service on account of the cost of medicines applied in c/w their illness.	
					98/-	Purchase of Games & Drama articles.	
					120/-	Repairs of Police Lines Well.	
					47/-	Printing of Forms and purchase of stationery.	
					255/-	Advances to subordinate officers.	
					16/-	Radio lincense renewal fee.	
					47/9/6	Miscellaneous.	
		1956-57	20/5/-	Interest.	13/8/-	News papers subscription.	
			564/6/9	Sale proceeds of Kheti Bari.	24/12/-	Purchase of seeds.	
			1257/10/-	Canteen profit.	75/-	Donation to the families of deceased police employees.	
					26/15/9	Republic day expenditure.	
					122/9/6	To a party.	
					50/-	Fodder for camel buffalow.	
					53/5/-	Purchase of seeds etc.	
23.	Ganganagar	1955	13246/11/6	Dangal & Cinema show.	4449/8/3	Welfare of police personnel.	S.P. Ganganagar.
		1956	22771/4/3	-do-	4564/4/-	-do-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Chittorgarh ..	1953-54	333/8/-	Charitable shows etc.	122/2/6	Payment to performers	S.P. Chittorgarh	
		1954-55	1780/15/-	-do-	170/-/6	Printing of tickets, lighting arrangements.		
		1955-56	1315/-/3	-do-	605/11/6	Cost of slates and books etc.		
		1956-57	605/11/6	-do-	68/10/6	Fee for Range tournaments and Medical aid constables.		
25.	Bhilwara ..	1953	1743/2/-		1034/-/9	Cost of starch and Charcoal and Refreshment etc.	S.P. Bhilwara.	
		1954	1625/6/-		324/3/9	-do-		
		1955	3/5/-	Interest.	201/3/-	-do-		
		1956	Nil.		278/7/9	-do-		
26.	M. B. C. Kherwara ..	1955-56	1348/3/3	Subscription and canteen profit.	624/10/-	Medical aid to weak and ill police personnel and maintenance of recreation room, etc.,		
		1956-57 upto-date..	659/-	-do-	375/14/-	-do-	Comdt. M. B. C.	
27.	Jaipur ..	1955	280/-	Cinema Show.	200/-	T.B. treatment of two constables.		
		1956	300/-	Reward from Jaipur Bank.	400/-	Ex[illegible]s of Magic show of Ranj[illegible] Kumar.		
			198/-	Magic Show.	90/-	T.B. treatment of one constable and funeral ceremony.		
					83/-	Publicity of Magic show		
					25/-	Expenses of Magician.		

Page No 141

परिशिष्ट ६

(गुरुवार, १८ अक्टूबर, १९५६ के प्रश्न जो सदन की मेज पर रखे गये)

१२२(23/H.M.) **श्री गुरुदयालसिंह सन्धु** वि० सं० ४९—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) हथियारों के लाइसेंस जारी करते समय लाइसेंस फार्म की किस नियम के अन्तर्गत १) फीस वसूल की जाती है ?

(ख) क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि भारत के किसी अन्य राज्य में ऐसे लाइसेंस फार्मों पर कोई फीस वसूल की जा रही है या नहीं और भविष्य में इसको बन्द करने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(क) यह सरकारी आज्ञा संख्या F.18(7)(1)Piii/51, दिनांक २३, २५ नवम्बर, १९५३ के अन्तर्गत एक रुपया बुकलेट का लिया जाता है।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है। जांच कराने की आवश्यकता इसलिये नहीं है कि जो एक रुपया वसूल किया जाता है वह बुक लेट की छपाई, जिल्द बंधाई आदि के खर्च का लिया जाता है।

(ग) जी नहीं।

१२३(25/H.M.) **श्री रामदयाल उपाध्याय** वि० सं० १२३—क्या न्याय मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जहाजपुर में जुडिशियल लौकअप कब तक बन जायगा ?

(ख) इसको बनाने में सरकार कितने रुपये खर्च कर रही है तथा यह किस दर्जे का बनेगा ?

उत्तर

(क) इस लॉकअप के सन् १९५७-५८ तक बन जाने की संभावना है।

(ख) ३५,००० रुपये।

(ग) तीसरे दर्जे का।

१२४. (29/A.T.A.) **श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु** वि० सं० ४९—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानहर के नहरी क्षेत्र में कपास की फसल को कितना नुकसान हुआ है ?

(ख) सरकार ने कपास की फसल में से बीमारी को दूर करने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये हैं और जो फसल नष्ट हो चुकी है उसमें आबियाना वगैरह की माफी के लिये क्या रियायत दी जावेगी ?

उत्तर

(क) इस प्रकार के निश्चित आंकड़े इस विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कपास की फसल में से बीमारी को दूर करने के लिये कृषि विभाग ने २७५३७ बीघे भूमि में १,१२,००० पौण्ड दवाइयां छिड़कीं जिसका मूल्य २०,००० रुपये होता है। इसके फलस्वरूप फसल में क्षति होने से काफी बचाव हो गया।

आबियाना की माफी के वास्ते नहर विभाग से जानकारी प्राप्त की जाय।

१२५ (30/A.T.M.) श्री रामदयाल उपाध्याय वि० सं० १२३—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

तहसील जहाजपुर में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सन् १९५४-५५ में कितने तालाब बनाये गये तथा इस वर्ष वहां कितने तालाब बनाने की सरकार की योजना है?

उत्तर

(क) तहसील जहाजपुर में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सन् १९५४-५५ में निम्नलिखित तालाब बनाये गये:—

१. मलोला तालाब
२. भवानीपुरा तालाब
३. इण्ट्रोया तालाब
४. सांगरिया तालाब
५. खटोला तालाब

(ख) केवल एक ही "नागदी" तालाब की योजना है।

१२६. (7/F.M.) श्री जवानसिंह वि० सं० ६९—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सिरोही जिले में इस साल से पहले, हर साल चराई के लिये कितने पशु गुजरात से आते रहे हैं?

(ख) यह पशु किस मौसम में आते हैं और कितने समय तक सिरोही जिले में रहते हैं?

(ग) क्या गत दो साल से सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि इन पशुओं को सिरोही में आने से रोक दिया जावे क्योंकि ये घास व खड़ी फसलों का भारी नुकसान करते हैं?

(घ) क्या सिरोही जिले में इन पशुओं की रोकथाम के लिये किसानों ने आन्दोलन किया था?

(ङ) राजस्थान सरकार ने उस संबंध में बम्बई सरकार से क्या समझौता किया है और भविष्य में राजस्थान सरकार का क्या कदम लेने का विचार है?

उत्तर

(क) सन् १९५४-५५ में १३७२६ पशु, सन् १९५५-५६ में ११८९८ पशु।

(ख) बरसात आरंभ होते ही ये पशु आते हैं और लगभग चार माह सिरोही जिले में ठहरते हैं।

(ग) खड़ी फसलों में नुकसान के लिये तो नहीं, हां, घास में नुकसान संबंधी प्रश्नकर्ता महोदय की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(घ) जी हां ।

(ङ) हां, ऐसा होना संभव है किंतु जहां जिस मौसम में मवेशी इधर उधर भेजने की आवश्यकता होती है उसी समय आती जाती है ।

(च) परस्पर समझौते के अनुसार राजस्थान की मवेशी बम्बई प्रान्त में जावे एवं बम्बई प्रान्त की मवेशी राजस्थान में आवे क्योंकि कभी वर्षा एवं अकाल के समय मवेशी चराई की समस्या राजस्थान के लिये भी हो सकती है ।

१२७(31/A.T.M.) **श्री रामदयाल उपाध्याय** वि० सं० १२३—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बनास योजना पर सरकार कितना रुपया खर्च करेगी ?

(ख) इस योजना से कितनी भूमि की सिंचाई होगी व उसका कार्य कब से प्रारंभ होगा ?

उत्तर

(क) बनास योजना अगर ली गई तो उस पर लगभग ४ करोड़ ८० लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है ।

(ख) लगभग २ लाख २५ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ।

(ग) योजना अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है । तखमीने के पूरे बनने पर अथवा योजना कमीशन की मंजूरी मिलने पर ही कहा जा सकता है कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा ।

१२८ (13/S.R.M) **श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री** वि० सं० ५६—क्या कृपया राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

उत्तर

(१) कस्टम एण्ड एक्साइज विभाग के चौथे दर्जे के कितने कितने कर्मचारी तीस तीस वर्ष की सर्विस हो जाने के कारण और ५५ वर्ष की उम्र हो जाने के कारण नौकरियों से मुक्त किये गये एवं उनमें से कितने व्यक्तियों को पेन्शन एवं ग्रेच्युएटी दी गई ?

(२) ऐसे व्यक्तियों के कितने केस अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं जिन्हें न पेन्शन ही दी गई न ग्रेच्यूएटी तथा इनका निर्णय कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) कस्टम एक्साइज विभाग ने कस्टम विभाग की समाप्ति के फलीभूत १५५ चौथी श्रेणी के कर्मचारी ३० वर्ष का सेवाकाल व ५० वर्ष की आयु होने के कारण सेवा से मुक्त किये गये ।

प्रपत्र में ५५ वर्ष संभवतः भूल से दर्ज हो गये हैं। उनमें से ७२ कर्मचारियों के पेन्शन व ग्रेच्युएटी के मामले तय किये गये जाकर पेमेण्ट के ऑर्डर अकाउण्टेण्ट जनरल ऑफिस, जयपुर से जारी हो चुके हैं।

(२) ऐसे कर्मचारियों के ८३ केसेज अभी पेन्डिग हैं जिनको तय करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आशा है शीघ्र ही इनको तय कर दिया जायगा।

हाल ही में एक्साइज व टैक्सेशन विभाग की कॉन्फ्रेन्स में जो अगस्त के अन्तिम सप्ताह में हुई इस मामले पर काफी जोर दिया गया था; और यह निश्चय किया गया था कि सितम्बर, १९५६ के आखिर तक ऐसे सारे मामले तय कर दिये जावें।

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये)

श्री भैरू सिंह (१६)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १ अप्रेल सन् १९५२ से ३० मार्च सन् १९५६ तक सरकार द्वारा किस किस जिले में किन किन व्यक्तियों के किस किस तारीख को कौन कौन से हथियार जब्त किये गये और क्यों ?

(ख) जब्त शुदा हथियार किन किन को कब कब वापिस किये गये और क्यों ?

(ग) १ अप्रेल सन् १९५२ से ३० मार्च सन् १९५६ तक किन किन व्यक्तियों के हथियारों के लाईसेंस या रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किये गये और क्यों तथा इन हथियारों का क्या हुआ ?

कृपया उपरोक्त प्रश्नों की एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(उत्तर अनुपलब्ध)

श्री भैरू सिंह (१६)—क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १ अप्रेल सन् १९५५ से अब तक सरकार के विरुद्ध किस किस मामले में कितनी कितनी डिक्री हुई ?

(ख) इस समय में कितने मामलों में सरकार ने वादी से कम्प्रोमाइज किसकी राय से किया और क्यों ?

(ग) जिन मामलों से सरकार के विरुद्ध डिक्री हुई है या राजीनामा हुआ है उनमें वादियों की तरफ से सरकार को किस किस मामले में किस किस तारीख को कितनी कितनी मियाद का नोटिस मिला ?

(घ) सरकार द्वारा नोटिस का उत्तर किन किन मामलों में अन्दर मियाद नहीं दिया गया और क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(ङ) जिन मामलों में सरकार के विरुद्ध नोटिस आदि आये हैं उनमें किस किस अधिकारी की गलती थी ?

(च) जिन मामलों में डिक्रियां हुई हैं उनमें पैरवी की खामी का कारण किन किन मामलों में था व पैरवी करने वाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(छ) क्या ऐसे मुकदमात की पैरवी की निगरानी रखने के लिये सरकार द्वारा अधिकारी नियुक्त है ? यदि हां, तो क्या कभी ऐसे अधिकारी ने फैसला होने से पूर्व मुकदमे के हालात से सरकार को सूचित किया था ? यदि हां, तो किन किन में और कब ?

उत्तर—

(क) इसका उत्तर संलग्न तालिका के कालम नम्बर २ में दिया गया है।

[श्री भैरूसिंह]

(ख) इसका उत्तर संलग्न तालिका के कालम नम्बर ३ में दिया गया है।

(ग) इसका उत्तर संलग्न तालिका के कालम नम्बर ४ में दिया गया है।

(घ) इसका उत्तर संलग्न तालिका के कालम नम्बर ५ में दिया गया है।

(ङ) इसका उत्तर संलग्न तालिका के कालम नम्बर ६ में दिया गया है।

(च) इसका उत्तर संलग्न तालिका के कालम नम्बर ७ में दिया गया है।

(छ) इसका उत्तर संलग्न तालिका के कालम नम्बर ८ में दिया गया है।

(तालिका अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

३. **रावत श्री शभुसिंह** (१३९)—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जिला भीलवाडा सिंचाई डिविजन कांकरोली के अन्तर्गत तहसील के सदर मुकाम सहाडा के पास सहाडा का खेडा नामक गांव में स्थित तालाब पर वहां के किसानों ने लगभग १५,०००) पन्द्रह हजार अथवा अधिक रुपयों का काम कर लिया है ?

(ख) क्या यह सही है कि अधूरा काम पड़ा रह जाने से बरसात से उसके भी टूट फूट जाने का भय रहता है ?

(ग) क्या इस तालाब पर काम करवाने हेतु सरकार से बार बार निवेदन किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस तालाब को पूरा करके वर्तमान निर्मित बांध और किसानों को हानि से बचाने की क्या व्यस्था की है ?

उत्तर—

(क) इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) ऐसा संभव है।

(ग) हां।

(घ) इस पर सरकार विचार करेगी।

(ङ) सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

४. **रावत श्री शंभुसिंह** (१३९)—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भीलवाडा जिले की तहसील सहाडा और रायपुर में तालाब और चेनल के काम के निमित्त विगत पांच वर्षों में कहां कहां से मांग की जा रही है ?

Page No 147

(ख) उपरोक्त तहसीलों में तालाबों का कार्य कहां कहां चालू है, कितना बन चुका व कितना बाकी है ? बने हुए का वास्तविक और बाकी काम का अनुमानिक व्यय भी कामवार बतलाने की कृपा करें ?

(ग) प्रत्येक तालाब ओर चेनल का केचमेण्ट एरिया क्या होगा तथा कितना गहरा पानी कितने रकबे में भरेगा और कमांडेड और कमांडिंग एरिया कितना होगा ?

(घ) मांगों का बाकी काम कब शुरू किया जावेगा ?

उत्तर—

(क) निम्न कामों की मांग है:—

(१) चन्द्रभागा बांध } सहाडा तहसील
(२) आटावाडा बांध
(३) लाखोला तालाब का विस्तार
(४) देवरिया बांध
(५) कोठारी फिडर चेनल } रायपुर तहसील

(शेष अगले पृष्ठ पर तालिका देखिये)

(ख) व (ग) स्थिति निम्न प्रकार हैं:—

	नाम	कैचमेण्ट एरिया वर्ग मीलों में	कैपेसिटी दस लाख घन फुटों में	हुए काम का खर्चा	बाकी काम रहा का खर्चा	भराई रकबा एकडों में	गहराई फुटों में	कमाण्डेड एरिया एकड़ों में	रिमार्क्स
१.	चन्द्रभागा बांध ..	१५०	६७३	१ लाख	९ लाख	१५००	३४	१०,०००	काम चालू है।
२.	आटावाडा बांध ..	३१.५	३४०	—	४.३ लाख	९००	३४	४,५००	काम के टैंडर मंजूरी के बाद काम जारी होगा।
३.	लाखोला तालाब ..	८.५	९०	—	५० हजार	५००	१३	१,३००	काम का तखमीना सरकार के विचाराधीन है।
४.	देवरिया तालाब ..	४९	२१५	२ लाख	१.६ लाख	११००	३१	३,०००	काम चालू है।
५.	कोठारी फिडर चेनल ..	इस काम की अभी सर्वे जारी है और एस्टीमेट बनाना है।							

शुद्धि-पत्र

गुरुवार, २५ अक्टूबर, १९५६

पृष्ट संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
११३१	२	द्वादसम् बैठक	द्वादशम् बैठक
११३५	२५	संबंधित नागरिक	संबंधित नागरिक
११४१	२	श्री भैरूं सिंद	श्री भैरूं सिंह
११५०	५	श्री चांपमल	श्री चांदमल
११५३	२०	श्री खतसिंह	श्री खेतासह
११६९	१	वधेयक	विधेयक
११७३	१	विधयक	विधेयक
११९४	१	प्रम्यास	प्रन्यास
१२१२	१	सावजनीन	सार्वजनीन
१२२८	७	श्री [illegible]	श्री भैरूं सिंह